भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

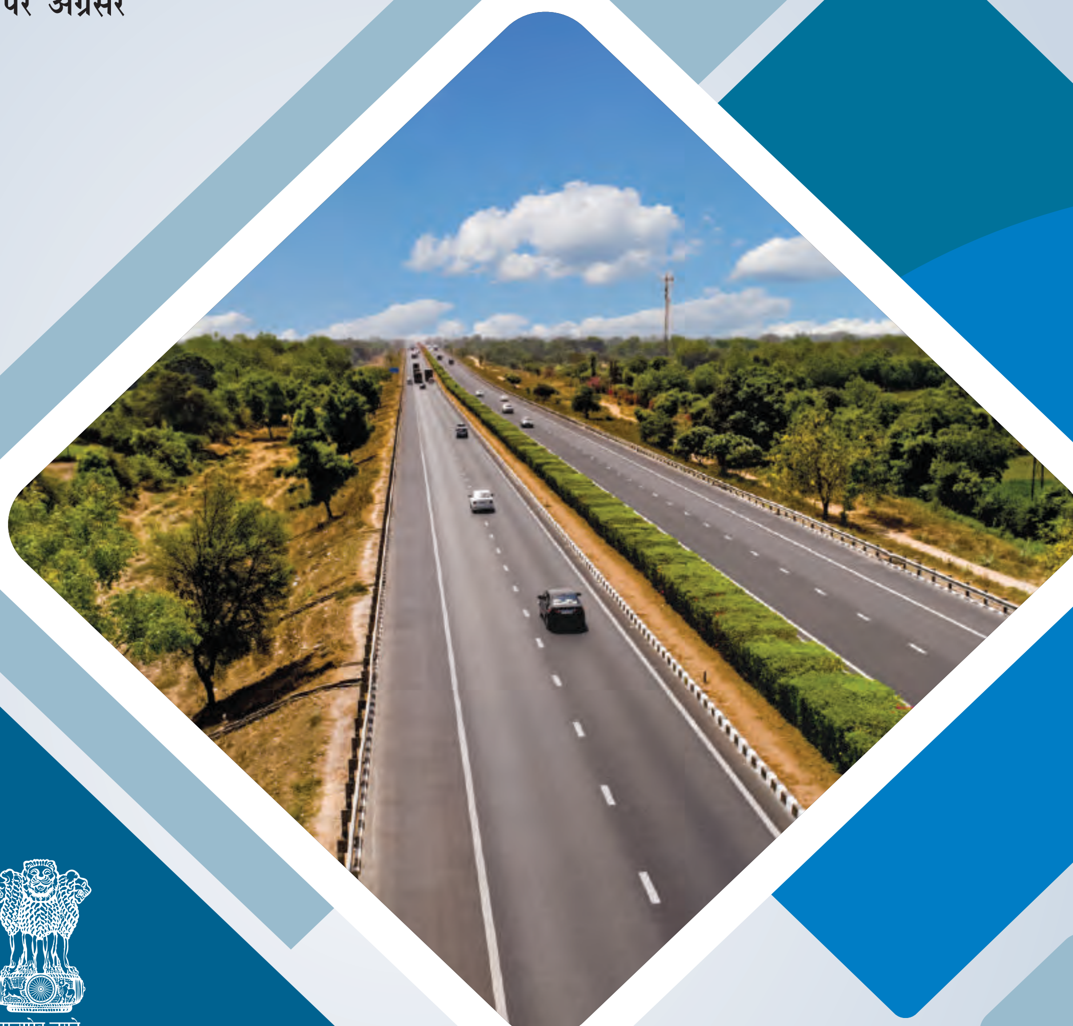

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

द्वारका-एक्सप्रेस मार्ग, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस मार्ग की आधारशिला और जयपुर रिंग रोड़ का उद्घाटन

भारतमाला

प्रगति के पथ पर अग्रसर

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

(01.01.2018-31.03.2019)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली

30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, 2019 का उद्घाटन

यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ–कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच–चौकियों पर लगाते हैं।

This is one of the most important and prominent Road Signs. This sign indicates that driver should immediately stop. Usually Police, traffic and toll authorities use this sign at check posts.

विषय-सूची

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ
I	प्रस्तावना	7
II	वर्ष एक नजर में	9
III	सड़क विकास	35
IV	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	47
V	राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल)	51
VI	सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा	59
VII	अनुसंधान और विकास	67
VIII	प्रशासन और वित्त	75
IX	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	85
X	नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन	89
XI	परिवहन अनुसंधान	91
XII	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	95
XIII	स्वतच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की गई पहलें	98

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आबंटित विषय	99
परिशिष्ट 2	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना	101
परिशिष्ट 3	देश में राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची	102
परिशिष्ट 4	2018-19 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए किया गया आबंटन	105
परिशिष्ट 5	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आबंटन और निर्मोचन	107
परिशिष्ट 6	वित्तीय प्रगति 2018 -19, एनएचआइडीसीएल	108
परिशिष्ट 7	अनु. जाति/अनु. जनजाति कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों की संख्या (तकनीकी और गैर-तकनीकी) से संबंधित सूचना	109
परिशिष्ट 8	राष्ट्रीय परमिट शुल्क के राज्यवार संवितरण का विवरण	110
परिशिष्ट 9	मुख्य शीर्षवार व्यय	112
परिशिष्ट 10	पिछले तीन वर्षों के केन्द्रीय लेन-देन (एससीटी) के विवरण के अनुसार प्राप्तियों का ब्यौरा	113
परिशिष्ट 11	पिछले तीन वर्षों की राजस्व प्राप्तियों का शीर्षवार ब्यौरा	113
परिशिष्ट 12	लेखाओं के मुख्य बिंदु	114
परिशिष्ट 13	भारत में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या : 2003 से 2017	115
परिशिष्ट 14	सड़क दुर्घटनाओं और उनसे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या : 2005 से 2017	116
परिशिष्ट 15	श्रेणीवार सडक नेटवर्क : 1951 से 2017	117
परिशिष्ट 16	47 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का संयुक्ति वास्तविक कार्य-निष्पादन- 2015-16 और 2016-17	118
परिशिष्ट 17	लंबित सीएंडएजी (वाणिज्यिक) पैराओं की स्थिति	119
परिशिष्ट 18	स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गतिविधियों की वित्तीय और भौतिक प्रगति	120

इस चिन्ह का प्रयोग गोलचक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दायीं तरफ यातायात के दिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है।

This sign is used at roundabouts where a specific lane discipline is to be followed. This sign directs the traffic to give way to the fellow traffic on your right side.

राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार, 2018

यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है। इसलिए, चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए।

This sign notifies that entry is prohibited for all vehicles. Certain pockets of an area or road are demarcated as 'no entry' areas for traffic. This could be entry to a restricted area or no-traffic zone. So the driver should obey it and divert his route.

सभी मोटर वाहनों का आना मना है
All Motor Vehicles Prohibited

इंदौर - मनमाड रेलवे लाइन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़–भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।

This sign signifies that there should be no movement of traffic in the designated area either from outside or within. This is used to decongest the area. It is also used at pedestrian areas.

टोल - ऑपरेट - ट्रांसफर विषय पर निवेशकों के साथ विचार - विमर्श

ईज ऑफ मुविंग इंडेक्स - इंडिया रिपोर्ट, 2018 का विमोचन

जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों (एचएमवी) का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है।

As sign itself speaks the area designated is a no entry zone for Trucks or HMV. These could be narrow lanes or congested areas where entry of heavy transport vehicle could obstruct smooth flow of traffic.

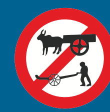

बैलगाड़ियों और
हाथठेलों का आना मना है
Bulock & Hand
Cart Prohibited

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन वर्ष 2009 में पूर्ववर्ती नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दो स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था ।

1.2 किसी देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है । यह विकास की गति, संरचना और पद्धति को प्रभावित करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के निर्माण और अनुरक्षण, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली,1989 को प्रशासित करने, सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मुद्दों, ऑटोमोटिव मानकों इत्यादि से संबंधित व्यापक नीतियां तैयार करने का कार्य करता है।

1.3 यातायात (यात्री और माल) को संभालने के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता को औद्योगिक विकास की गति के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत का सड़क नेटवर्क करीब 58.98 लाख किमी है जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं, जिनकी लंबाई इस प्रकार है:-

राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे	1,32,500 किमी
राज्यीय राजमार्ग	1,56,694 किमी
अन्य सड़कें	56,08,477 किमी
कुल	58,97,671 किमी

1.4 ऐतिहासिक तौर पर, परिवहन क्षेत्र में निवेश सरकार द्वारा ही किया जाता रहा है। तथापि, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

कार्य

1.5 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आबंटित विषय **परिशिष्ट-1** में सूचीबद्ध किए गए हैं ।

संगठन

1.6 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट-2** में दी गई है।

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ-ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

This sign indicates that the road has been prohibited for plying of Bullock & Hand Carts. These slow moving carts many a times hinder the smooth flow of traffic.

1.7 सम्बद्ध कार्यालय

1.7.1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,1988 नामक एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। एनएचएआई इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े अथवा उनके प्रासंगिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है । यह प्राधिकरण फरवरी, 1995 से प्रचालन में है।

1.7.2 राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि. (एनएचआईडीसीएल)

मंत्रिमंडल ने दिनांक 13.03.2014 को आयोजित अपनी बैठक में पड़ोसी देशों के साथ सतत आधार पर क्षेत्रीय सड़क सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए, पड़ोसी देशों के साथ देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/उन्नयन/चौड़ीकरण का कार्य अनन्य रूप से किए जाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कारपोरेट संस्था को स्थापित करने तथा उसे प्रचालनात्मक बनाने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया था।

1.7.3 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आइएएचई)

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आइएएचई) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली एक पंजीकृत संस्था है। यह अकादमी, केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगी निकाय है जिसका गठन वर्ष 1983 में देश में राजमार्ग अभियंताओं के प्रवेश स्तर पर एवं सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण की दीर्घकाल से अनुभव की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था। यह विदेश मंत्रालय के आउटरिच कार्यक्रम के भाग के रूप में अन्य देशों के अभियंताओं के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित करता है।

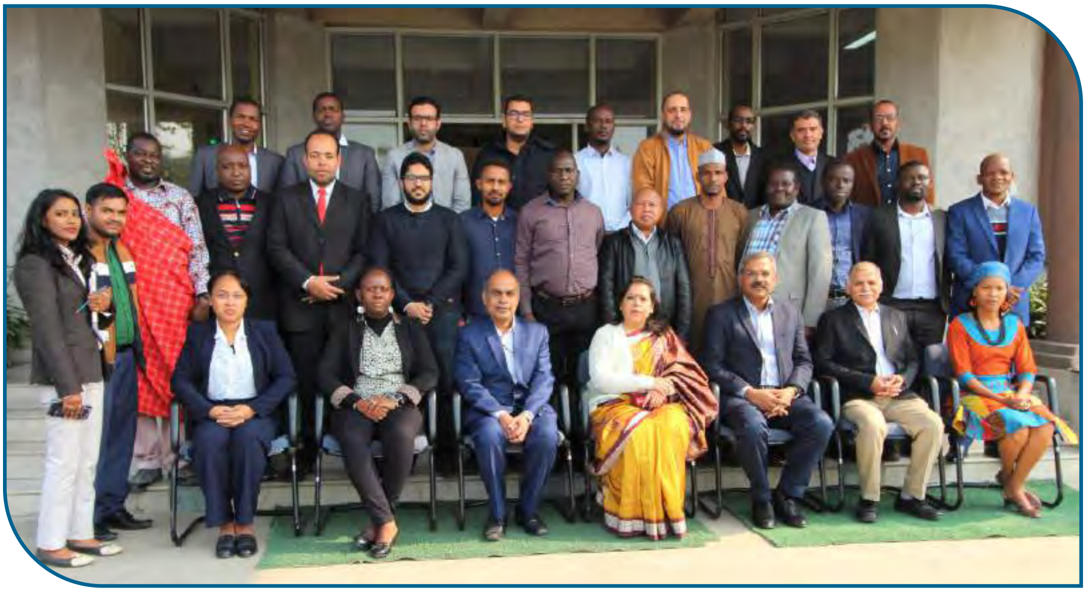

भारत - अफ्रिका फॉरम शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आईएएचई में प्रशिक्षण कार्यक्रम

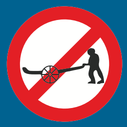

अध्याय-II

वर्ष 2018-19 एक नजर में

2. सड़क नेटवर्कः

2.1 सड़क क्षेत्रः राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है जो देश के धमनी नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय राजमार्गो का विकास भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के विभिन्न चरणों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों को उन्नत और मजबूत बनाने के लिए बड़ी पहल की है। दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार तक विभिन्न कार्यक्रमों की स्थिति इस प्रकार है :

चरण	कुल लंबाई किमी में	31.12.2017	01.01.2018 से 31.03.2019 के दौरान पूरी की गयी लंबाई	31.03.2019 तक पूरी की गयी लंबाई
भारतमाला परियोजना (I + II + III + IV) स्वत.चर्तु., पत्तन संपर्क एवं 2/4/6 लेनों में उन्नयन / उत्तर दक्षिण - पूर्व - पश्चिम कॉरिडोर का विकास	46,278	30,331	3,447	33,808
V स्वि.चर्तु., उच्च घनत्व कॉरिडोर	6,500	2,643	621	3,264
VI एक्सप्रेसवे	1,000	0	176	176
VII रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर और अन्य संरचनाएं	700 किमी रिंग रोड / बाईपास + फ्लाईओवर आदि।	24	91	115
एसएआरडीपी - एनई (चरण क + अरुणाचल पैकेज)	6,418	2,443	586	3,029
वामपंथी उग्रवाद (विजयवाड़ा रांची मार्ग सहित)	6,014	4,519	760	5,279
ईएपी (डब्ल्यूबी + जेआईसीए + एडीबी)	1,985	757	261	1,018

गैर एनएचडीपी : इस योजना के अंतर्गत दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक 8741 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक 18385 किमी की लंबाई का कार्य सौंपा गया।

2.2 वर्ष 2018-19 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए निर्माण वर्ष था। यह वर्ष पिछले चार वर्षों में लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णयों से प्रोद्भूत लाभों को संघटित / समेकित करने का वर्ष था, चालू परियोजनाओं की निगरानी करने का समय, सड़क बाधाओं से निबटने और पिछले वर्ष पहले से हासिल कार्य की प्रभावशाली गति में वृद्धि करने का एक समय था। मंत्रालय ने वर्ष 2015 -16 तक सौंपे गए सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय लिया और वर्ष 2017-18 के दौरान हासिल 9,829 किमी के निर्माण की तुलना में कम से कम 10,855 किमी का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का लक्ष्य हासिल किया। समग्र रूप से, 5.80 लाख करोड़ रूपये से अधिक की लागत के 52,000 किमी से अधिक की लंबाई की सड़क परियोजनाएं प्रगति पर हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, 10,855 किलोमीटर लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। मंत्रालय ने देश भर में राजमार्ग अवसंरचना का विस्तांर करने में नयी ऊँचाइयों को छुआ है।

2.3 वर्ष 2018-19 ने कई विशिष्टताएं देखी गयीं। दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्लीं - मेरठ एक्सप्रेसवे का पैकेज 1, ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं।

2.4 मंत्रालय द्वारा की गई मुख्य पहलें

2.4.1 सड़क और राजमार्ग स्कंध द्वारा की गई मुख्य पहलें इस प्रकार हैं-

2.4.1.1 नए कार्यक्रम, परियोजनाएं और संरचनाएं

(I) भारतमाला परियोजना :

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 24 अक्तूबर 2017 को आयोजित अपनी बैठक में 5,35,000 करोड़ के अनुमानित परिव्यय पर 5 वर्षों (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक) की अवधि में 34,800 किमी लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण/उन्नयन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग छत्रक कार्यक्रम - ''भारतमाला परियोजना चरण - 1'' के क्रियान्वयन को मंजूरी दी। यह कार्यक्रम आर्थिक कॉरिडोरों, अंतर कॉरिडोर और फीडर मार्गों के विकास, राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों, तटीय और पत्तन संपर्क सड़कों और हरित क्षेत्र एक्सप्रेसवे जैसे कारगर अंतर्क्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों को पाटकर पूरे देश में माल और सवारी संचलन की दक्षता को इष्टतम करने पर लक्षित है। इस कार्यक्रम में मल्टीम-मॉडल एकीकरण अंतर्निहित है। इस कार्यक्रम में पिछड़े और जनजातीय इलाकों, आर्थिक क्रियाकलापों वाले क्षेत्रों, धार्मिक एवं पर्यटक महत्व, वाले स्थानों, सीमावर्ती क्षेत्रों, तटवर्ती क्षेत्रों और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के मार्गों की संपर्क संबंधी जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत पहले ही लगभग 6400 किलोमीटर (शेष एनएचडीपी कार्य सहित) की कुल लंबाई वाली परियोजनाओं का कार्य सौंपा जा चुका है जबकि लगभग 25,000 किलोमीटर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है।

शहरों से गुजरने वाले यातायात को कम करने और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में रिंग रोड / बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास की परिकल्पना की गई है; रिंग रोड के लिए 28 शहरों की पहचान की गई है; 125 चोक पॉइंट और 66 भीड़भाड़ वाले स्थानों में सुधार हेतु उनकी पहचान की गई है।

साइकिल–सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए, साइकिल–सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जहां यह चिन्ह लगा हो।
In order to ensure the safety of cyclists certain roads which are meant for fast moving vehicles are prohibited for cyclists. So the cyclists should not use the roads where this sign has been installed.

दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेसवे

कोटा चंबल पुल

भारतमाला परियोजना के तहत पहचान किए गए नेटवर्क को सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर प्रमुख आर्थिक केंद्रों से संपर्कता को बेहतर बनाने के लिए अनुकूलित किया गया है। ब्राउन फील्ड/ मौजूदा संरेखण के उन्नयन की तुलना में समग्र लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को जोड़ने हेतु ग्रीन-फील्ड संरेखण की पहचान और निर्धारण में न्यूनतम दूरी के सिद्धांत का पालन किया गया है, क्योंकि छोटे ग्रीन-फील्ड संरेखण पूंजीगत लागत और समय की तुलना में वाहन प्रचालन लागत, दोनों में काफी कमी लाने में सक्षम हैं।

(II) सेतु भारतम

सुरक्षित और निर्बाध यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने एक योजना, जिसे सेतु भारतम नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत आरओबी/आरयूबी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सम पार (लेवल क्रॉसिंग) को प्रतिस्थापित करने की एक योजना की परिकल्पना की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले 174 आरओबी / आरयूबी में से 91 संस्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी प्राक्कलित लागत 7,104.72 करोड़ रुपये है। 91 संस्वीकृत आरओबी / आरयूबी में 59 के कार्य सौंप दिए गए हैं और प्रगति के विभिन्नन चरणों में हैं।

(III) चारधाम महामार्ग विकास परियोजना

इस ईपीसी परियोजना में उत्तराखंड राज्य में अवस्थिति चार प्रमुख धामों, नामत: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में आसान पहुँच मार्ग के विकास की परिकल्पना की गयी है। ये चार धाम प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। इस परियोजना में 12,000 करोड़ रुपये की लागत से पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन के अभिविन्यास वाले 889 किमी लंबी सड़कों का विकास शामिल है। इस परियोजना को मार्च, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(IV) पूर्वोत्तर की राजमार्ग परियोजनाएं

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 12,000 किमी से अधिक लंबाई की सड़क के निर्माण के लिए 1,90,000 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं संस्वीकृत की गयीं हैं। एनएचआईडीसीएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की लागत 1,66,026 करोड़ रुपये तक की है, जिसमें सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के 10,892 किमी सड़कें शामिल हैं। 17,257 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं संबंधित राज्य पीडब्यूडी को आवंटित की गयी है। इसके अलावा, 7,000 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं एनएचएआई को सौंपी गयी है।

(V) लॉजिस्टिक पार्क

भारतमाला परियोजना के चरण - 1 में विकास के लिए 35 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्कों के एक नेटवर्क की पहचान की गयी है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास के लिए 7 स्थानों पर भू-खंडों की उपलब्धता की पुष्टि की गयी है और सभी आसंथियों में डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

2.4.1.2 पूर्ण की गयी / महत्वपूर्ण परियोजनाएं :

(i) ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे - वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे

दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की दो परियोजनाओं जिनमें पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली को एनएच-1 और एनएच-2 को जोड़ने वाले 135 किमी लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) और 135 किमी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे शामिल हैं, को इस वर्ष पूरा किया गया था तथा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा क्रमशः मई, 2018 और नवंबर, 2018 में इनका उद्घाटन किया गया था। ईपीई का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा और डब्यूपीई का निर्माण हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था। इन दो एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण की संकल्पना दिल्ली न आने वाले यातायात का मार्ग परिवर्तन कर राष्ट्रीय राजधानी में भीड़-भाड़ कम करने और इसे प्रदूषण रहित बनाने के दोहरे उद्देश्यों के लिए की गई थी।

1700 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिए 5900 करोड़ रुपये का व्यय करने के अलावा 4617.87 करोड़ रुपये की लागत से एनएच 1 पर कुंडली से एनएच 2 पर पलवल तक ईपीई खंड का निर्माण किया गया। इस परियोजना को 910 दिनों के नियत लक्ष्य की तुलना में करीब 500 दिनों के कीर्तिमान समय में पूरा किया गया था। यह बंद टोलिंग प्रणाली से सुसज्जित पूरी तरह प्रवेश नियंत्रित छः लेन एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे पर एक प्रतिष्ठित टॉल प्लाजा है जो इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह अवसंरचना, संपूर्ण ईपीई के आईटीएस नियंत्रण प्रणाली और प्रमुख संरचनाओं की होलोग्राफिक मॉडलों और ईपीई के निर्माण के साथ एक डिजिटल आर्ट गैलरी से सुसज्जित हैं। सभी 30 प्रवेश बिन्दुओं पर वे-इन मोशन उपकरण, संपूर्ण लंबाई पर सौर विद्युत, 4000 किलोवाट की क्षमता वाले आठ सौर ऊर्जा संयंत्र, वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचन और भारतीय संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाले स्मारकों की 36 प्रतिकृतियां इस एक्सप्रेसवे की प्रमुख विशिष्टियां हैं। इस परियोजना से करीब 50 लाख मानव दिवस रोजगार अवसर सृजित हुए।

(ii) वाराणसी एयरपोर्ट रोड और रिंग रोड

माननीय प्रधानमंत्री ने नवंबर में एनएच-56 पर 759.36 करोड़ रुपये की लागत के 16.55 किमी लंबे वाराणसी रिंग रोड चरण-1, और 812.59 करोड़ की लागत के 17.25 किमी लंबे बाबतपुर - वाराणसी रोड का उद्घाटन किया। इससे वाराणसी से हवाई अड्डे तक लगने वाला यात्रा समय कम हो गया है, और बौद्ध तीर्थ के लिए महत्वपूर्ण स्थाल, सारनाथ तक अधिक सुविधाजनक ढंग पहुंच से वाराणसी के लोगों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है।

2.4.1.3 नियोजित / प्रगतिधीन परियोजनाएं :

(i) दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेसवे

दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्देश्ये दिल्ली और मेरठ के बीच तथा इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तीव्र एवं सुरक्षित संपर्कता प्रदान करना है। डीएमई का संरेखण दिल्ली में निजामुद्दीन पुल से शुरू होता है और डासना तक मौजूदा एनएच-24 तक चलता है। जबकि डीएमईकी एक लेन एनएच-24 पर डासना से हापुड़ तक बनी रहेगी, डासना से मेरठ तक ग्रीनफील्ड संरेखण की योजना बनाई गई है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 पैकेजों में किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लंबाई 82 किमी है, जिसमें से प्रथम 27.74 किमी लंबाई 14-लेन वाली होगी जबकि शेष लंबाई में 6 लेन वाला एक्संप्रेसवे होगा। इस परियोजना की संभावित लागत 4975.17 करोड़ रुपये है।

इस परियोजना के 8.36 किलोमीटर लंबे पैकेज-1 का उद्‌घाटन इस वर्ष मई में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। यह निजामुद्दीन पुल से दिल्ली - उत्तर प्रदेश सीमा तक का 14 लेन प्रवेश नियंत्रित खंड है और इसे 30 माह की पूर्व निर्धारित निर्माण अवधि की तुलना में 18 माह के कीर्तिमान समय में लगभग 841.50 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया था।

यह देश का पहला 14 लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी अनेक विशिष्टताएं प्रदूषण को कम करने में मदद करेगीं। इनमें राजमार्ग के दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल ट्रैक, यमुना पुल पर एक उर्ध्वाधर उद्यान, सौर प्रकाश व्यवस्था और केवल ड्रिप सिंचन के माध्यम से पौधों को पानी देना शामिल है।

उत्तर प्रदेश सीमा से डासना (19.28 किमी) तक पैकेज - II, डासना से हापुड़ (22.27 किमी) तक पैकेज - III और डासना से मेरठ (31.78 किमी) तक पैकेज - IV ग्रीनफील्डस संरेखण निर्माणाधीन है।

(ii) दिल्ली - वडोदरा एक्सप्रेसवे

सोहना, दौसा, जोरा, रतलाम, गोधरा से होकर दिल्ली - वडोदरा के बीच 840 किलोमीटर लंबाई के एक ग्रीनफील्डं संरेखण का विकास किया जा रहा है जिससे दिल्ली - वडोदरा के बीच यात्रा की दूरी लगभग 140 किमी तक कम जाती है।

(iii) वडोदरा - मुंबई एक्सप्रेसवे

किम, तलसारी, वसई और ठाणे से होकर वडोदरा - मुंबई के बीच 360 किलोमीटर की लंबाई के एक ग्रीनफील्ड संरेखण को अंतिम रूप दिया गया है। वडोदरा - किम सेक्टर के लिए 124 किमी लंबाई हेतु कार्य पहले ही सौंप दिए गए हैं और किम तथा तलसारी के बीच 151 किमी लंबाई के लिए बोलियां आमंत्रित की गयीं हैं।

(iv) बेंगलोर - चैन्नै एक्सप्रेसवे

इस 260 किमी लंबे एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर कार्य प्रगतिधीन है। यह एक ग्रीनफील्ड संरेखण है। वर्तमान में बेंगलोर-चेन्नै को जोड़ने वाली दो सड़कें हैं, एक होसकोटे (बेंगलोर) - आंध्र प्रदेश से होकर चेन्नै की ओर तथा दूसरी सड़क इलेक्ट्रॉनिक सिटी (बेंगलोर) होसुर (तामिलनाडु) से होकर और फिर चेन्नै की ओर जाती है। प्रस्तावित एक्संप्रेसवे का संरेखण इन दो खंडों के बीच पड़ता है।

(v) नागपुर - हैदराबाद - बेंगलोर (एनबीएच) एक्सप्रेसवे

940 किमी लंबे नए ग्रीनफील्डग नागपुर-हैदराबाद-बेंगलोर एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर कार्य सौंप दिया गया है और संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है। दाएं मुड़ना वर्जित है। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

This sign directs the traffic to either move straight or take left turn. Turning towards right is prohibited. Violation of these sign may jeopardize your safety and may also lead to penal action.

(vi) बेट द्वारका - ओखा पुल

मंत्रालय ने 2.32 किमी की लंबाई वाले इस सिग्नेचर ब्रिज के साथ ओखा से बेट द्वारका द्वीप तक मुख्य भूमि को गुजरात तट से जोड़ने के लिए 4-लेन के सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण का काम शुरू किया है। इस परियोजना को 689.47 करोड़ रुपये की लागत दिनांक 01.01.2018 को सौंप दिया गया है। यह भारत का सबसे लंबा स्पैन केबल धारित ब्रिज होगा जिसका मुख्य स्पैन 500 मीटर होगा। इस परियोजना को 30 माह की अवधि में पूरा किया जाना है।

(vii) इलाहाबाद में फाफामऊ में गंगा नदी पर पुल

इलाहाबाद में फाफामऊ में एनएच - 96 पर गंगा नदी पर 9.9 किमी लंबे 6-लेन के नए पुल के निर्माण हेतु एक परियोजना के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसकी कुल पूंजीगत लागत 1948.25 करोड़ रुपये है। इस परियोजना की निर्माण अवधि तीन वर्ष है और इसे दिसंबर, 2021 तक पूरा किए जाने की संभावना है। नए पुल के निर्माण से इलाहाबाद में एनएच-96 पर मौजूदा 2-लेन के पुराने फाफामऊ पुल पर यातायात की भीड़-भाड़ की समस्या दूर हो जाएगी। नया पुल कुंभ, अर्ध-कुंभ और प्रयाग में संगम में अन्य वार्षिक रस्मी स्नान के दौरान पवित्र शहर इलाहाबाद में बड़े समागम को सुसाध्य करेगा। इससे तीर्थ पर्यटन प्रोत्साहन प्राप्त होगा और पवित्र शहर प्रयाग की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। यह नया 6 लेन पुल नैनी पुल के रास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग-27 और राष्ट्रीय राजमार्ग -76 से होकर मध्य प्रदेश से आने वाले लखनऊ / फैजाबाद आने वाले यातायात के लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा नए पुल की यह परियोजना निर्माण के दौरान करीब 9.20 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष नियोजन सृजित करेगा।

(viii) बिहार के फुलौत में कोसी नदी के ऊपर पुल

राष्ट्रीय राजमार्ग - 106 के मौजूदा बीरपुर-बीहपुर खंड के पुनर्वासन और उन्नयन के लिए अनुमोदन के साथ, बिहार के फुलौत में 6.930 किमी लंबे 4-लेन पुल के निर्माण की एक परियोजना को मंजूरी दी गयी थी। इस नए पुल के निर्माण से बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 के उदाकिशनगंज और बिहपुर के बीच मौजूदा 30 किलोमीटर का अंतराल भर जाएगा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 31 के पूर्ण उपयोग के अलावा नेपाल / उत्तर बिहार / पूर्व-पश्चिम गलियारे (एनएच-57 से गुजरते हुए) और दक्षिण बिहार / झारखंड / स्वर्णिम चतुर्भुज (एनएच-2 से गुजरते हुए) के बीच संपर्कता उपलब्ध होगी।

(ix) सिल्कयारा बेंड - बरकोट सुरंग

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने उत्तराखंड राज्य में एनएच-134 के साथ धारासू-यमुनोत्री खंड पर 4. 532 किलोमीटर लंबे 2-लेन के द्वि-दिशात्मक सिल्कायारा बेंड - बरकोट सुरंग के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण को मंजूरी दी। यह परियोजना चारधाम कार्यक्रम का हिस्साब है। 1383.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना की निर्माण अवधि 4 वर्ष है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर इस खंड पर धारासू से यमुनोत्री तक की यात्रा दूरी लगभग 20 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा के समय में एक घंटे की बचत होगी। इससे यमुनोत्री तक हर मौसम में

संपर्कता उपलब्ध होगी जिससे देश के भीतर प्रादेशिक सामाजिक - आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

2.4.1.4 लंबित परियोजनाओं का पुन:प्रवर्तन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिनिर्णीत परंतु लंबित एनएच परियोजनाओं की बाधाओं की पहचान करने और पिछले पॉंच वर्षों की अवधि में समुचित नीतिगत पहलों के माध्यम से उनका हल निकालने के लिए सक्रिय कदम उठाता रहा है। इन नीतिगत पहलों में से कुछ इस प्रकार हैं :

(i) सीओडी के दो वर्ष के उपरांत 100 प्रतिशत इक्विटी विनिवेश

यह नीति अधिनिर्णयन की तिथि के अनपेक्ष प्रचालन की शुरूआत (सीओडी) से दो वर्षों में निजी डेवलपर्स को उनकी पूरी इक्विटी निकालने और सभी प्रचालनात्मक बीओटी परियोजनाओं से बाहर निकलना सक्षम करती है और इस प्रकार इस क्षेत्र में ऐसी खुली इक्विटी का पुनर्निवेश समर्थ करती है।

(ii) दवाबग्रस्त परियोजनाओं में प्रीमियम आस्थगन

यह नीति अधिनिर्णीत परियोजनाओं के लिए बोली चरण के दौरान रियायतग्राही द्वारा प्रतिबद्ध प्रीमियम के पुन: अवधि निर्धारण अनुमत करती है।

(iii) बीओटी विधि में रियायतग्राहियों पर अनारोपित विलंबों के लिए विलंबित एनएच परियोजनाओं हेतु रियायतग्राहियों को युक्तिसंगत प्रतिकर

यह नीति विलंबित बीओटी (टोल) परियोजनाओं के लिए विलंब की सीमा तक की अवधि के लिए रियायत अवधि में विस्तार समर्थ करती है, बशर्ते कि मूल प्रचालन अवधि अपरिवर्तित रहता हो। इसी प्रकार विलंबित बीओटी (वार्षिकी) परियोजनाओं के लिए वास्तविक विलंब के संगत छूटी हुई वार्षिकी का भुगतान बहाल किया जा रहा है।

(iv) एकबारगी निधि निषेचन

यह नीति मामला दर मामला आधार पर पर्याप्त समुचित सम्यक तत्परता के अध्यधीन एनएचएआई द्वारा एकबारगी निधि निषेचन के माध्यम से वैसी विलंबित बीओटी परियोजनाओं का पुन:प्रवर्तन और वास्तविक समापन समर्थ करती है जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत वास्तविक प्रगति हो चुकी हो। इस नीतिगत व्यवस्थाय का लाभ 7 परियोजनाओं में उठाया गया।

2.4.1.5 कार्य के त्वरित निष्पादन के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना :

(i) परिदान पद्धति पीयूसी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को परियोजनाओं के परिदान पद्धति - पीपीपी / ईपीसी, के संबंध में निर्णय लेने के लिए सीसीईए द्वारा सशक्त किया गया है।

(ii) परियोजना मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए बढ़ी हुई सीमा

एक सीसीईए निर्णय द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं का मूल्यांकन करने एवं अनुमोदित करने के लिए [बीओटी (टोल) और हाइब्रिड वार्षिकी परियोजनाएं के लिए टीपीसी और ईपीसी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत लागत] प्राधिकृत किया गया है। इसके अलावा, सीसीईए ने पीपीपी और साथ ही साथ ईपीसी परियोजनाओं को केवल उनके सिविल निर्माण लागत के आधार पर मूल्यांकित करने और अनुमोदित करने की अनुमति दी है।

(iii) बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली :

मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग संकर्मो और केंद्र प्रायोजित संकर्मो के लिए ईपीसी पद्धति पर संविदाओं के लिए बोलीदाताओं की पूर्व-अर्हता की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली (बीआईएमएस) विकसित की है। बीआईएमएस बोलीदाताओं के सभी मौलिक विवरण जैसे सिविल कार्य अनुभव, नकदी प्रोद्भवन और नेटवर्क, वार्षिक कारबार इत्यादि से संबंधित डाटा बेस के रूप में कार्य करती है। यह प्रणाली पहले से ही संग्रहित डाटा की मदद से प्रारंभिक क्षमता और बोली क्षमता जैसे मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर बोलीदाताओं की पूर्व-अर्हता का शीघ्र मूल्यांकन अनुमत करती है। इसलिए इस सूचना का उपयोग करते हुए तीव्रतर तकनीकी मूल्यांकन निष्पादित किया जा सकता है।

(iv) भारतमाला परियोजना चरण -1 के लिए, प्रत्यायोजनों को और बढ़ा दिया गया है :

उन सभी पीपीपी बीओटी (टल) परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन एनएचएआई बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिनके लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाना है और निर्माण, अनुरक्षण का वित्त पोषण टोल राजस्व से किया जाना है।

भूमि लागत को छोड़कर 2,000 करोड़ रुपये की टीपीसी तक की सभी बीओटी (वार्षिकी) / एचएएम परियोजनाओं का मूल्यांकन सचिव (आरटीएच) की अध्यक्षता वाली एसएफसी द्वारा किया जाएगा और मंत्री (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अन्य बीओटी (वार्षिकी) / एचएएम परियोजनाएं सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मूल्यांकित की जाएगी और सीसीईए द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(v) वर्द्धित अंतर मंत्रालयी समन्वयन :

पर्यावरण एवं वन, रेलवे और रक्षा से संबंधित मंजूरी / अनापत्ति मुद्दों का समाधान करने के लिए माननीय मंत्री (आरटीएच एंड एस) की अध्यक्षता में एक मंत्री स्तरीय अवसंरचना समूह बनाया गया है। ज्यादातर मुद्दों का समाधान कर लिया गया है।

2.4.1.6 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सुगम करने के लिए निधियन मॉडल और अन्य नीतियां :

(i) टोल - ऑपरेट - ट्रांसफर मॉडल के माध्यम से परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण :

इस मंत्रालय ने संपन्न सड़क परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से निधि जुटाने के लिए एक नये तरीके की संकल्पना

की है। इसे टोल - ऑपरेट - ट्रांसफर (टीओटी) के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्राप्त राजस्वों को वापस अवसंरचना विस्तार / उन्नयन में निवेश कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत, सार्वजनिक निधिबद्ध एनएच परियोजनाओं हेतु एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए टोल शुल्कों के संग्रहण का अधिकार एक एकमुश्त राशि के अग्रिम भुगतान के एवज में रियायतग्राहियों (डेवलपर्स/निवेशक) को समनुदेशित किया जाता है। टीओटी मॉडल के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं का ओ एंड एम दायित्व अवधि के समापन तक रियायतग्राहियों का होता है।

यह मंत्रालय टोल - ऑपरेट - ट्रांसफर (टीओटी) योजना के माध्यम से सरकारी निधियों से निर्मित अपनी सड़क परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण कर रहा है। यह योजना 30 वर्षों की रियायत अवधि के लिए समूह में राष्ट्रीय राजमार्गों की बोली की परिकल्पना करती है। प्रथम समूह में 09 परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश और गुजरात की कुल 681 किमी सड़कें हैं। इसे वर्ष 2018 में 9,681 करोड रुपये के लिए मैक्वेरी को अधिनिर्णीत किया गया था। यह राशि एनएचएआई के अनुमानों से करीब डेढ़ गुना थी। दूसरे समूह में चार राज्यों - राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार में फैले 586 किमी से अधिक की सड़कें शामिल हैं, को भी बाजार में रखा गया था। हालांकि, इनकी पुनर्संरचना की जा रही है और दूसरे चरण में बोली लगाने के लिए रखा जा सकता है।

(ii) एनएचएआई और एसबीआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 10 वर्षों के लिए दीर्घावधिक अप्रत्याभूत ऋण के रूप में 25,000 करोड़ रुपये प्राप्तक करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एसबीआई द्वारा एक बार में संस्वीकृत की जाने वाली यह सबसे बड़ी राशि है। यह एनएचएआई द्वारा एक बार में प्राप्त अब तक की सबसे बड़ी राशि भी है।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्गों के संरेखन के लिए दिशानिर्देश

मंत्रालय ने एनएच परियोजनाओं के उचित संरेखण के निर्धारण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें क्रियान्वयन एजेंसियों को मौजूदा राजमार्गों को चौड़ा करने के बजाय ग्रीनफील्ड संरेखण की व्यवहार्यता की जांच करने की सलाह दी गई है, विशेष रूप से आर्थिक गलियारों के मामले में। ऐसा इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि किसी मौजूदा राजमार्गों के विस्तांर में मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के लिए भूमि सुविधाओं का स्थानांतरण और निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त करना, पेड़ों की कटाई शामिल है, जिन कार्यों में काफी समय लगता है और काफी लागत आती है। इसके अलावा, पहले राजमार्गों की आयोजना आमतौर पर शहरों को जोड़ने के लिए बनाई जाती थी, जो न्यूनतम दूरी संकल्पना की अनुमति नहीं देता था। इस सड़क ज्यामिति को कम उपयोगी पाया गया था, विशेष रूप से आर्थिक गलियारों के मामले में। भारतमाला परियोजना में भी आर्थिक गलियारों के लिए गलियारा दृष्टिकोण का आह्वान किया गया है। कुछ परीक्षण मामलों में यह भी पाया गया है कि मौजूदा सड़क के विस्तार में शामिल लागत पर ही किसी ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना के लिए 60 से 70 मीटर का मार्गाधिकार (आरओबी) प्राप्त करना व्यवहार्य होता है विशेष रूप से जब विस्तार के तहत सुविधाओं का स्थानांतरण करने, वृक्षों की कटाई करने, मार्गाधिकार में अवस्थित संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए अतिरिक्त प्रतिकर से संबद्ध लागत और इसमें लगने वाले समय को ध्यान में रखा जाता है।

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.

(iv) राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार की शुरूआत

राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में असाधारण रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रियायतग्राहियों और संविदाकारों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से इस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरुस्कार स्थापित किए गए हैं। राजमार्ग निर्माण और टोलिंग के क्षेत्र में कार्यरत रियायतग्राहियों और संविदाकारों से अगस्त, 2018 माह में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ये पुरस्कार निर्माण, प्रबंधन, प्रचालन और अनुरक्षण, सर्वश्रेष्ठ टोल प्लाजा, सबसे सुरक्षित राजमार्ग, डिजाइन और नवाचार प्रौद्योगिकियों में नवाचार की पॉंच श्रेणियों में तैयार किए गए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यंम से कुल 109 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका पूर्व निर्धारित समंकन मापदंडों पर मात्रात्मक मूल्यांकन किया गया और डेस्कटॉप और तृतीय पक्ष फील्ड मूल्यांकन के माध्यम से वैधीकरण किया गया। तदोपरांत एक स्वतंत्र जूरी ने संक्षिप्त सूची की जॉंच की और मंत्रालय द्वारा सम्मानित किए जाने हेतु सभी श्रेणियों के अंतिम स्वर्ण और रजत पुरस्कार विजेताओं का चयन किया। पुरस्कृत रियायतग्राही/ठेकेदार के नामों के साथ पुरस्कार जीतने वाली परियोजनाओं के फोटोग्राफ मंत्रालय के कैलेंडर 2019 में छापे गए हैं।

(v) राजमार्ग क्षमता निर्देशिका

सीएसआईआर - सीआरआरआई द्वारा विकसित भारत की पहली राजमार्ग क्षमता निर्देशिका का इस वर्ष लोकार्पण किया गया। यह निर्देशिका देश के सड़क अभियंताओं और नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करने के लिए एक साधन के रूप में डिजाइन की गयी है। यह विभिन्न प्रकार की सड़कों, जिनके लेन अभिविन्यास भिन्न हैं, पर यातायात अभिलक्षण के आधार पर इन सड़कों के विकास और प्रबंध के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है।

भारतीय राजमार्ग क्षमता मैनुअल अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट का विमोचन

राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृमष्टाता पुरस्काटर, 2018 के विजेता

(vi) भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) के अंतर्गत पुलों का सूचीकरण :

स्थिति सर्वेक्षण करने और पुलों / संरचनाओं का सूचीकरण करने और उन दवाबग्रस्त पुलों की पहचान करने के लिए जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरुरत है और मरम्मत, पुनर्वासन पुनर्निर्माण / नव निर्माण इत्यादि जैसे सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों को अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों और अन्य संरचनाओं की संख्या जानने हेतु आईबीएम प्रणाली (आईबीएमएस) स्थापित की गयी है।

1,72,000 से अधिक पुलों और पुलियों की सूची बनाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। कुल 137 पुलों को दवाबग्रस्त संरचनाओं के रूप में पहचान की गयी है, जिनकी तुरंत पुनर्निर्माण / प्रतिस्थापन की आवश्यंकता है। मरम्मत और पुनर्निर्माण या क्षयोन्मुख संरचनाओं के स्थान पर नये पुल के निर्माण के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना बनाई गयी है।

(vii) भूमि अधिग्रहण, संविदा दस्तावेज इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर कार्यशाला

मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण, संविदा दस्तावेज (ईपीसी/डीपीआर) से संबंधित मुद्दों और ई-दिशा (ईआरपी परियोजनाएं), नये मानक और तकनीकी विनिर्देशनों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल के क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए दिनांक 18.12.2018 को दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी दिशानिर्देशों की निर्देशिका भी जारी की गयी।

भूमि अधिग्रहण पोर्टल

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.

2.4.2 हरित पहल :

(I) इलेक्ट्रिक, इथेनॉल और मिथेनॉल यानों को परमिट से छूट दी गयी

इलेक्ट्रिक गतिशीलता और वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने बैटरी चालित यानों, और साथ ही साथ मिथेनॉल ईंधन या इथेनॉल ईंधन से चालित यानों को 18 अक्टूबर 2018 को जारी अधिसूचना के तहत सवारियों या माल का वहन करने के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट प्रदान कर दी है।

(II) वाहन डाटा बेस के साथ पीयूसी डाटा (उत्सर्जन से संबधित डाटा) को जोड़ने से संबंधित परामर्शी

वाहन डाटाबेस के साथ नियंत्रित प्रदूषण (पीयूसी) डाटा को जोड़ने के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक प्रणाली विकसित की गयी है और इसका परीक्षण किया गया है। इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को 1 अक्टूबर 2018 की एक परामर्शी जारी की गयी है जिसमें सभी पीयूसी विक्रेताओं को दिशानिर्देशों का अनुपालन करने और वाहन डाटाबेस में उत्सर्जन परीक्षण डाटा की इलेक्ट्रॉनिक अपलोडिंग सुगम करने का निदेश दिया गया है।

(III) बैटरी – चालित यानों के पंजीकरण चिन्ह से संबंधित अधिसूचना

विद्युत यानों को विशिष्ट पहचान देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पंजीकरण चिन्ह हरी पृष्ठभूमि वाले नंबर प्लेट पर प्रदशित किया जाएगा इस आशय की अधिसूचना 7 अगस्त 2018 को जारी की गयी थी।

(IV) गैसोलिन के साथ एम 15 (15 प्रतिशत) मिथेनॉल सम्मिश्रण

मंत्रालय ने वाहन निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए और साथ ही कच्चे तेल, जिससे गैसोलिन का उत्पादन किया जाता है, के आयात भार को कम करने के लिए गैसोलिन में मिथेनॉल के सम्मिश्रण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2022 तक तेल एवं गैस की आयात निर्भरता को वर्ष 2014–15 के स्तर से 10 प्रतिशत कम करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की थी। मिथेनॉल को वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार कुछ सीमा तक आयात निर्भरता को कम किया जा सकता है।

(V) यान बीमा / बीमा नवीकरण के लिए पीयूसी प्रमाण-पत्र की आवश्याकता

मंत्रालय ने आईआरडीए और सभी साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंध निदेशकों / अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि वैध पीयूसी की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कोई भी तृतीय पक्ष बीमा जारी या नवीकरण नहीं किया जाता है। ऐसा भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए किया गया है।

(VI) निर्माण उपकरण यानों और ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन मानक

मंत्रालय ने निर्माण उपकरण यानों और ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं। ये मानक 1 अक्टूबर 2020 से (ट्रेम IV) और 1 अप्रैल 2024 [भारत चरण (सीईवी/ट्रेम)-V] से क्रियान्वित किए जाएंगे। इससे पर्यावरण हितैषी सन्निर्माण / खनन गतिविधियां सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

(VII) चार पहिया साइकिल को गैर - परिवहन यानों में शामिल किया गया

मंत्रालय ने मद 'चार पहिया साइकिल' को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 'गैर-परिवहन' यान के रूप में अंतर्वेश को अधिसूचित किया है। चार पहिया साइकिल तिपहियों के आकार का एक यान है परंतु उसमें चार टायर होते हैं और वह कार की तरह पूरी तरह आच्छादित होता है। इसमें तिपहिया यानों की तरह का इंजन होता है। इससे यह अंतिम मील संपर्कता के लिए किफायती और सुरक्षित परिवहन साधन बन जाता है। चार पहिया साइकिल को इस अधिनियम के तहत केवल परिवहन हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी, परंतु अब इसे गैर - परिवहन के लिए भी उपयोज्य बना दिया गया है।

2.4.3 ई-पहलें :

(I) भूमिराशि पोर्टल

यह मानते हुए कि भूमि अधिग्रहण किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार और/या विकास के लिए प्रथम मूलभूत आवश्यकता है, और कि इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है, मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए आईटी अनुप्रयोग विकसित किया है। भूमि राशि के रूप में ज्ञात सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का यह पोर्टल भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिसूचनाओं का पूरी तरह डिजिटल और कागज रहित संसाधन अनुमत करता है और इसके परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण मामलों का पारदर्शी, कुशल और त्रुटि रहित प्रबंधन हुआ है। इसने भूमि अधिग्रहण से संबंधित गतिविधियों की वास्तविक समय लक्ष्य अनुसरण और रिपोर्टों का सृजन भी संभव किया है। मसौदा अधिसूचना जमा करने से लेकर मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन तक की पूरी प्रक्रिया और ई-राजपत्र में अधिसूचना अब ऑनलाइन है।

इस प्रक्रिया से प्रणाली में पारदर्शिता भी आयी है। पहले, अनुमोदित प्रतिकर राशि सीएएलए (भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी) में जमा होकर पड़ी रह जाती थी, परंतु भूमिराशि पोर्टल बन जाने के बाद प्रतिकर राशि उचित समय में सीधे ही संबंधित व्यक्ति के खाते में अंतरित हो जाएगी। इसके अलावा, यह संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इसमें फाइलों को भौतिक रूप से इधर-उधर नहीं ले जाना पड़ता है, सभी कार्य डिजिटल तरीके से किए जाते हैं।

(II) उपक्रम संसाधन आयोजना (ईआरपी) परियोजना - ई-दिशा

ई-दिशा, डिजिटल एकीकृत राजमार्ग परिसंपत्ति प्रणाली, मंत्रालय, एनएचएआई और एनएचडीसीएल में डिजाइन, विकास, क्रियान्वयन और प्रौद्योगिकी समाधान सक्षमता का फलक है। यह डाटा के दोहरीकरण को समाप्त करेगा और अंकीकरण (डिजिटाजेशन) के साथ "सत्य के एकल स्रोत" के साथ डाटा एकीकरण प्रदान करेगा। एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय, विभागों के साथ मंत्रालय प्रमुख हितधारक है।

ई-दिशा विभिन्न विभागों और पारि-प्रणालियों से वास्तविक समय सूचना प्रवाह सुगम करेगा, ताकि कारोबारी डाटा-संचालित निर्णय ले सकें और प्रदर्शन का सीधा प्रबंध कर सकें।

ई-दिशा मुख्यालयों के साथ-साथ मंत्रालय, एनएचएआई एवं एनएचआईडीसीएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखा कार्यालयों में एक साथ क्रियान्वित की जा रही है। ईआरपी तीन वेवों में क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें से वेव-1 करीब 10,00,000 अंकीकृत (डिजिटाइज्ड) पृष्ठों के साथ नये मंच पर वर्द्धित पीएमआईएस का सीधा प्रबंधन है और इसे डीएमएस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। डाटा का अंकीकरण प्रगति पर है।

(III) इनामप्रो को ई-शासन राष्ट्रीय पुरस्कार

इस मंत्रालय के अधीन एक सीपीएसई एनएचआईडीसीएल द्वारा शुरू की गयी ''इनामप्रो'' परियोजना को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-शासन में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए श्रेणी - I ''सरकारी प्रक्रिया पुन-अभियांत्रिकी में उत्कृष्टता'' के तहत 'स्वर्ण' पुरस्कार से अलंकृत किया गया है।

(IV) ई-टोलिंग

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पहल, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली को यातायात की कठिनाइयों को दूर करने और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और पैसिव रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंऔटिफिकेशन (आरएफआईडी) का उपयोग करते अधिसूचित दरों पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण करने के लिए अखिल भारत आधार पर क्रियान्वित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी भारतीय राजमार्ग मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) को केंद्रीय समाशोधन गृह (सीसीएच) के रूप में कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ ईटीसी के लिए एक क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए अधिनिगमित किया गया है। सड़क प्रयोक्ताओं को फास्टैग जारी करने के लिए 22 बैंकों (सरकारी और निजी क्षेत्र बैंक सहित) को फास्टैग जारीकर्ता बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है। फास्टैग के उपयोग के लिए सड़क प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 2.5 प्रतिशत कैशबैक का प्रस्ताव किया जा रहा है। ईटीसी कार्यक्रम राष्ट्रीय राजमार्गों के 446 शुल्क प्लाजाओं पर चल रहा है। सड़क प्रयोक्ताओं को प्रयोक्त शुल्क का भुगतान करने में समर्थ करने के लिए फास्टैग के अलावा कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन प्रयोग मेंलाए गए हैं, जैसे क्रेडिट / डेबिट कार्डों के माध्यम से शुल्कों के संग्रहण के लिए पीओएस मशीनों का उपयोग, प्रि-पेड भुगतान लिखतों का उपयोग इत्यादि। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, बैंकों ने सामूहिक रूप से 45.55 लाख फास्टैग जारी किए हैं और 8.66 लाख औसत दैनिक ईटीसी लेनदेन के साथ ईटीसी के माध्यम से औसत दैनिक संग्रहण बढ़कर 19.18 करोड़ रुपये हो गया है, जो कुल शुल्क संग्रहण का 28 प्रतिशत है।

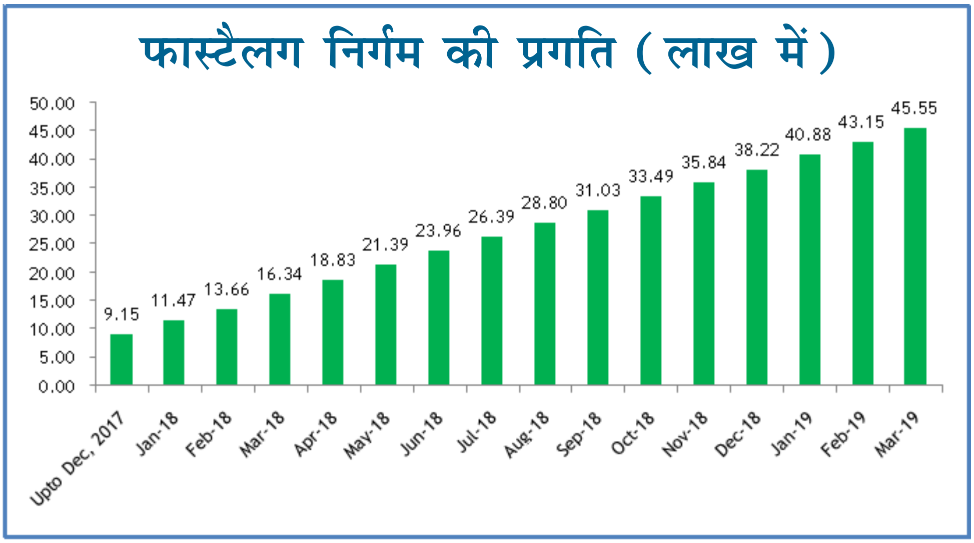

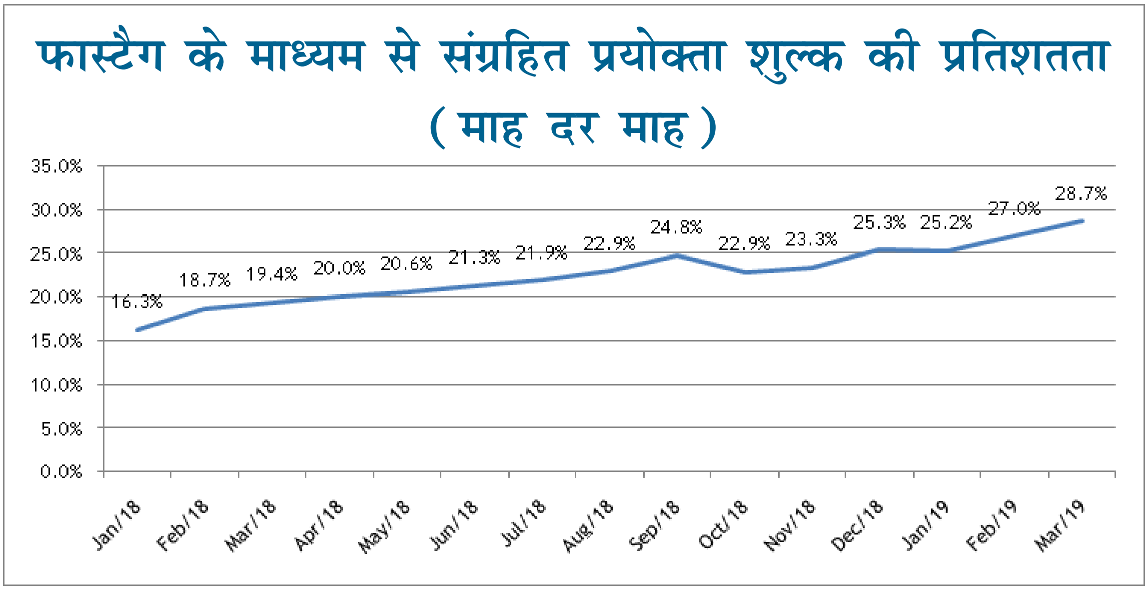

(v) परिवहन से संबंधित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने को समर्थ करने के लिए नियमों में संशोधन

मंत्रालय ने परिवहन दस्तावेजों को एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने के लिए एक परामर्शी जारी की और उसके उपरांत इसे समर्थ करने के लिए प्रासंगिक नियम में संशोधन किया है। नये नियमों के अंतर्गत नागरिक परिवहन संबंधित दस्तावेज जैसे पंजीकरण, बीमा, उपयुक्तता और परमिट, चालन अनुज्ञप्ति, नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र और कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, यदि आवश्यक हो, वर्दी पहने किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के मांगे जाने पर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत कर सकता है। इससे दस्तावेजों को रखने और उनका सत्यापन करने के लिए डिजिटल मंचों का उपयोग करना सक्षम होगा और यह नागरिक को सुविधा प्रदान करने की दिशा में और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि नागरिकों को कोई परेशानी / असुविधा न हो। मोटर यानों के स्वामियों और चालकों से इलेक्ट्रानिक दस्तावेज स्वीकार करने के संबंध में राज्यों को एक परामर्शी जारी करने के अलावा मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत एसओपी भी जारी की गयी है।

2.4.4 भूमि अधिग्रहण प्रभाग द्वारा की गयी प्रमुख पहलें

(I) राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किसी मौजूदा सड़क के क्षमता वर्द्धन के लिए या किसी ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रथम बुनियादी आवश्यकता है। इस मंत्रालय ने विलंब के कारणों का आकलन करने और अभिज्ञात बाधाओं / कठिनाईयों को दूर करने के लिए परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत विश्लेषण किया था। यह देखा गया था कि भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं को जारी करने की प्रक्रिया विलंबों से ग्रसित थी, भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण (सीएएलए) के पास सरकारी निधियों की भारी राशि जमा थी। इसलिए एक भूमि अधिग्रहण (एलए) प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया जो विभिन्न प्राधिकरणों के बीच कड़ी प्रदान करेगी, भौतिक प्रति की आवश्यकता समाप्त करेगी, फॉर्मेटिंग त्रुटियों / लिपिकीय चूकों को कम करेगी और मसौदा अधिसूचना की आसान लक्ष्यानुसरण समर्थ करेगी। अवधारणा पर निर्णय ले लिए जाने के पश्चात मंत्रालय के भूमि अधिग्रहण स्कंध द्वारा इसे मूर्त

रूप दिया गया और नवंबर, 2016 में एनआईसी को एक ऐसी संपूर्ण वेब यूटिलिटी डिजाइन करने का अधिदेश दिया गया जो अपेक्षित कुशलता लाएगा।

(ii) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में कई हितधारक शामिल होते हैं, राज्य पीडब्यूडी, जो डीपीआर तैयार करता है, जिसके आधार पर भूमि अधिग्रहण किया जाता है, से लेकर राज्यर राजस्व अधिकारी जो भूमि का वास्तविक रूप से अधिग्रहण करते हैं, मंत्रालय / एनएचएआई / एनएचआईडीसीएल का परियोजना जोन, जो भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री की मंजूरी प्राप्त करता है। इसलिए, छह महीने तक व्यापक हितधारक परामर्श किए गए, परिणामस्वरूप यूटिलिटी का अंतिम डिजाइन तैयार हुआ और उसका नाम भूमिराशि रखा गया। अगले छह माह तक प्रत्येक राज्य में उन अधिकारियों के साथ करीब करीब 50 प्रशिक्षण / अनुस्थापन सत्र आयोजित किए गए, जो मसौदा अधिसूचना प्रस्तुत करने के लिए वास्तव में पोर्टल का उपयोग करेंगे और उनके सुझावों को भी इस सॉफ्टवेयर में शामिल किया गया।

(iii) भूमिराशि पोर्टल से किसी गड़बड़ी को दूर करने और संसाधन को निर्विघ्न बनाने के लिए दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 के बीच इसका परीक्षण किया गया था। 1 अप्रैल 2018 से इसे सभी क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है और इसने मसौदा अधिसूचना की हस्त प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया।

(iv) भूमिराशि पोर्टल ने वर्तमान राजकोषीय वर्ष के दौरान अधिसूचनाओं की गति काफी बढ़ा दी है। वर्तमान वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इस मंत्रालय की सभी क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 2920 एलए अधिसूचनाएं जारी की गयीं हैं जबकि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1000 एलए अधिसूचना ही जारी की गयीं थी।

(v) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि

क्र. सं.	वर्ष	3ए के तहत अधिसूचित क्षेत्र (है)	3डी के तहत अधिसूचित क्षेत्र अर्थात् कुल अधिग्रहित क्षेत्र (है)
1.	2016-17	8471	7491
2.	2017-18	11459	9494
3.	2018-19	96450	29374

स्रोत : भूमिराशि पोर्टल

(vi) इस पोर्टल ने अधिसूचना जारी करने में लगने वाले समय को काफी कम कर दिया है। पहले अधिसूचना को संसाधित करने में 3 से 4 माह का समय लग जाता था जबकि अब संसाधन में 3 से 4 सप्ताह का समय ही लगता है।

(vii) भूमिराशि पोर्टल पर 3ए और 3डी अधिसूचनाओं के सारणी प्रारूप को मानकीकृत किया गया है और अधिसूचना फॉर्मेटिंग की आवश्यकता को कम करने के लिए ई-राजपत्र पोर्टल के अनुरूप छह (06) कॉलम प्रारूप को अंगीकृत किया गया है। इससे राजपत्र समाचार पत्र प्रकाशन के लिए अपेक्षित स्थान का इष्टतमीकरण हो गया है।

(viii) वास्तविक समय आधार पर प्रभावित / इच्छुक व्यक्ति के खाते में प्रतिकर जमा करने के लिए भूमिराशि पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत कर दिया गया है। इस एकीकरण के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण के खाते में सरकारी निधियों के जमा रहने से बचाव होगा।

2.4.5 सड़क परिवहन क्षेत्र द्वारा की गयी प्रमुख पहलें :

2.4.5.1 परिवहन और मोटर यान विधान

(I) सड़क परिवहन प्रणाली का सशक्तीकरण

मंत्रालय ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस)/मोबाइल कम्यूनिकेशन हेतु ग्लोबल सिस्टम (जीएसएम) आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन/ टिकट प्रणाली, इंटर मॉडल फेयर इंटीग्रेशन, यात्री सूचना प्रणाली इत्यादि जैसी सूचना प्रौद्योगिकी लागू के उपयेाग के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ''सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में आईटीएस को मजबूत करना'' नामक एक स्कीम शुरू की है जिससे शहर के भीतर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और समूचे राज्य के लिए पूर्ण आवागमन योजना बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सके। मंत्रालय आईटी संबंधी परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना लागत के 50% तक की एकबारगी वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

(ii) बस टर्मिनल सुविधाओं का विकास

लोगों की कुशल गतिशीलता किसी समाज और राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। जहाँ राज्य सड़क परिवहन उपक्रम /राज्य परिवहन उपक्रम लाभकारी बस संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनमें से ज्यादातर बस टर्मिनल सुविधाओं के विकास और समारक्षण की उपेक्षा करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली बस टर्मिनल सुविधाओं को विकसित करने और अधिक महत्वपूर्ण, उचित तरीके से इसके सतत् प्रचालन और अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय ने एक योजना शुरू की है (5 सितंबर 2018 को), नामत: राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में बीओटी/एचएएम आधार पर बस पोर्टों का विकास। यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है और इसका लक्ष्य राज्यों द्वारा बस टर्मिनल अवसंरचना के विकास की प्रक्रिया शुरू करनी है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी बस परिवहन के प्रयोक्ताओं को बस पर चढ़ने और उतरने के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और प्रयोक्ता हितैषी स्थाोनकों और साथ ही साथ बेहतर सवारी सुविधाएं प्रदान कर सरकारी बस परिवहन के प्रयोक्ताओं को हितलाभ प्रदान करने के लिए बस टर्मिनल अवसंरचना की क्षमता और गुणवत्तां बढ़ाना है। यह योजना सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के इंटरसिटी बस प्रचालकों की आवश्यकता को पूरा करने पर भी लक्षित है।

(iii) महिला सवारियों की संरक्षा और सुरक्षा (निर्भया योजना)

भारत सरकार ने एक समर्पित निधि - निर्भया निधि स्थापित की है। यह मंत्रालय सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए विशिष्ट रूप से बनाई गयी परियोजनाओं के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को

निर्भया निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निर्भया योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार और बेंगलोर मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को निधि जारी की गयी है। नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, कर्नाटक के प्रस्तावों की जॉच की जा रही है।

(iv) परिवहन / यातायात विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह मंत्रालय पड़ोसी देशों से आने और वहॉं जाने वाले वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करने / उसकी निगरानी करने के अलावा, देश में सड़क परिवहन के नियमन से संबंधित व्यापक नीतियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। मोटर यान अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 इत्यादि सड़क परिवहन प्रभाग से प्रशासित होते हैं। यह मंत्रालय समय समय पर विभिन्न विषयों पर अलग अलग अधिसूचनाएं भी जारी करता है। राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के परिवहन विभागों के अधिकारियों को परिवहन से संबंधित नये नियमों और विनियमों के संबंध में अद्यतित करने के लिए यह मंत्रालय विभिन्न संस्थानों के माध्यम से मानव संसाधन के विकास के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(v) ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन (टीएफएल) के साथ समझौता ज्ञापन

देश में एक स्थायी और प्रभावी सार्वजनिक सड़क परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, इस मंत्रालय और 'ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन' (टीएफएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 'ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन' एक वैधानिक निकाय है जिसे ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्ट, 1999 के तहत स्थापित किया गया है और इसे लंदन में गतिशीलता प्रदान करने का काम सौंपा गया है। यह एमओयू अगले तीन वर्षों में यात्री क्षमता को दोगुना करने; सड़क परिवहन क्षेत्र में आईटी का उपयोग करके यात्री सेवाओं, डेटा विश्लेषण आदि में सुधार लाने के लक्ष्य के साथ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार लाने; विशेषकर शहरी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने; प्रौद्योगिकी का समावेशन करने, टिकट और यात्री सूचना का प्रावधान; शहरी परिवहन आयोजना और नीति, परिवहन का संस्थागत संगठन, शासन और जवाबदेही व्यवस्था; व्यवहार परिवर्तन और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह परिवहन क्षेत्र में नीतिगत सुधारों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा, बेहतर ग्राहक सेवा, वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण का दोहन और परिवहन क्षेत्र में प्रभावी आईटी प्रणालियों को लागू करने में सक्षम करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारत में डिजिटल लेनदेन और उच्च क्षमता वाले डीजल / इलेक्ट्रिक वाहनों के समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

(vi) विश्व बैंक के साथ प्रतिपूर्ति योग्य परामर्शी सेवा समझौता

इस मंत्रालय द्वारा यात्री गतिशीलता बढ़ाने के लिए एसटीआरयू की ''यात्री वहन क्षमता बढ़ाने और दक्षता में सुधार लाने'' के लिए राज्यों में पायलट परियोजनाओं हेतु प्रतिपूर्ति योग्य सलाहकार सेवाएं (आरएएस) कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक को संलग्न किया गया है। सलाहकार सेवाओं का उद्देश्य भागीदार राज्यों को उनकी सार्वजनिक परिवहन नीति में सुधार लाने और राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों (एसटीआरयू) को उनकी सेवा परिभाषा और आयोजना में सुधार लाने और नवोन्मेषी संविदा विधियों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के क्षमतावर्द्धन में सहायता करने और सुरक्षित तथा किफायती सेवाएं प्रदान करने में सेवा प्रदाताओं की क्षमता बढ़ाने में सहायता करना होगा।

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां बायीं ओर साइड सड़क हैं। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on left. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

(vi) टैक्सीधनीति से संबंधित दिशानिर्देश

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के रेडियो टेक्सी एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) 6000/2015 में इसके 11 अगस्त 2016 के आदेश के तहत दिए गए निर्देश के अनुसार काली / पीली टैक्सियों, रेडियो टैक्सियों, एग्रीगेटर्स आदि को दिए गए मौजूदा परमिट से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों की जांच करने के लिए मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसके निर्देश निबंधन में अन्य बातों के साथ साथ एमवी अधिनियम, 1988 के मौजूदा प्रावधानों के तहत एक विश्वसनीय और स्वीकार्य कार्य-योजना और मसौदा योजना तैयार करना शामिल था। शहरी गतिशीलता संवर्धन करने के लिए टैक्सी नीति दिशानिर्देश का प्रस्ताव करने वाली समिति की रिपोर्ट को इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद इस रिपोर्ट को उचित कार्रवाई करने के लिए सभी राज्य सरकारों को यह रिपोर्ट भेज दी गई थी। राज्य सरकारों को टैक्सी एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए अपने नियम में संशोधन करने का अधिकार है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की टैक्सी एग्रीगेटर्स को विनियमित करने में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

(viii) सुगम्य भारत अभ्रियान

सुगम्य भारत अभियान निर्मित परिवेश, परिवहन, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिप्रणाली में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुँच सृजित करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। यह अभियान दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के उन सिद्धांतों पर आधारित है जो यह कहता है कि दिव्यांगता उस तरीके से कारित होता है जिस तरीके से समाज संगठित होता है और न कि व्यक्तियों की सीमाओं और दुर्बलताओं पर आधारित होता है। शारीरिक, सामाजिक, संरचनात्मक और व्यवहार संबंधी बाधाएं विकलांग लोगों (दिव्यांगजन) को सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने से रोकती हैं। मार्च 2018 तक सरकारी स्वामित्व वाले 10% सार्वजनिक परिवहन वाहक को पूरी तरह से अभिगम्य बनाया जाना था। 61 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों (एसटीआरयू) में से 58 एसटीआरयू ने ब्यौरा उपलब्ध करवाया है। इस 58 की संख्या में से 17 में 25% से अधिक अभिगम्यता है, जबकि 33 एसटीआरयू में 10% से कम अभिगम्यता है, 12 एसटीआरयू ने 75 से 100% के बीच अभिगम्यता लक्ष्य हासिल किया है।

(ix) परिवहन जगत को लाभ :

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारी माल वाहनों के लिए अनुमेय धुरी भार बढ़ा दिया है। इससे माल वाहनों के अर्जक भार में 15 से 20% तक सुधार हुआ है, जिससे संभरण लागत में काफी कमी आई है।

मंत्रालय ने ट्रांसपोर्टरों के कारोबार की सरलता के लिए कई पहलें की हैं। इन पहलों में इलेक्ट्रॉनिक प्रलेखीकरण की अनुमति, फिटनेस की अवधि में वृद्धि, हल्के वाणिज्यिक वाहनों की परिवहन लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना और राष्ट्रीय परमिट अपेक्षाओं को आसान बनाना शामिल है।

(x) अन्य नागरिक हितैषी पहलें :

- सरकार ने विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों /ड्यूटी से संबंधित कुछेक श्रेणियों के वाहनों को छोड़कर, शेष वाहनों के ऊपर लगी रेड और एंबर लाइट को हटा कर वीआईपी संस्कृति समाप्त करने का साहसिक प्रयास किया है।
- तृतीय पक्ष बीमा देनदारियों के लिए संरचित मुआवजा के तहत पांच लाख रुपये की एक निश्चित मुआवजा राशि अधिसूचित की है। इससे अधिकांश पीडितों को मदद मिलेगी और उन्हें आसानी से शीघ्र मुआवजा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओईएम द्वारा बेचे जा रहे सबसे सस्ती वाहनों में भी वैश्विक मानकों के अनुरूप विशिष्टताएं हों, वाहनों के सुरक्षा मानकों का उन्नयन किया गया है।
- मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चालन अनुज्ञप्ति और पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कभी भी मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करने के लिए नियमों में संशोधन किया है।

2.4.5.2 सड़क सुरक्षा :

(i) सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी

पूरे भारत के पुलिस प्राधिकरणों द्वारा दिए गए आंकड़ों पर आधारित सड़क दुर्घटना संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों की संख्या में कुछ कमी आई है, जैसा कि नीचे की सारणी में देखा जा सकता है :

मापदंड	2016	2017	पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन
सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	4,80,652	4,64,910	(-) 3.3
मारे गए लोगों की संख्या	1,50,785	1,47,913	(-) 1.9

मंत्रालय सड़क अवसंरचना में सुधार, सड़क सुरक्षा संपरीक्षा, सड़कों पर ब्लैक स्पॉटों की पहचान और उसमें सुधार और ऑटोमोबाइल सुरक्षा मानकों के सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन और प्रवर्तन सुदृढ़ीकरण इत्यादि सहित कई उपायों के माध्यम से सड़क सुरक्षा की समस्या का समाधान करने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहा है।

(ii) जिलों में चालक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश

मंत्रालय चालन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए राज्यों , वाहन निर्माताओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। चालन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), चालन प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) स्थापित किए गए हैं, जो अत्याधुनिक अवसंरचना से सुसज्जित आदर्श चालन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। मंत्रालय ने देश के सभी जिलों में चालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और भारी वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का

समर्थन करने के लिए एक योजना शुरू की है। इसके अलावा, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में आदर्श चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) स्थापित किए जा रहें हैं। अब तक विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 29 (नग) डीटीआर / आईटीडीआर और 4 आरटीडीसी संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 16 का कार्य पूरा हो गया है और वे कार्य कर रहें हैं।

मंत्रालय ने सड़क और पर्यावरण सुरक्षा में सुधार करने और सड़कों पर समग्र गतिशीलता को मजबूत करने के लिए चालकों को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चालन प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) स्थापित करने के लिए एक योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत, मंत्रालय अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के 50% की सीमा तक एकमुश्त सहायता प्रदान करेगा। सरकार डीटीसी की स्थापना के लिए अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करेगी।

(iii) सुखद यात्रा एप्प और टॉल-फ्री आपातकालीन नंबर

इस वर्ष मार्च में, राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए एनएचएआई द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्प और टोल फ्री आपातकालीन नंबर 1033 शुरू किए गए थे। सुखद यात्रा मोबाइल अनुप्रयोग टोल गेट संबंधी सूचना प्रदान करता है। इस एप्प की प्रमुख विशेषताओं में प्रयोक्ता के लिए सड़क गुणवत्ता से संबंधित सूचना डालने या राजमार्ग पर किसी दुर्घटना या सड़क गड्ढों की सूचना देने के प्रावधान शामिल हैं। यह प्रयोक्त्तुओं को टोल प्लाजाओं पर अपेक्षित इंतजार समय से संबंधित वास्तविक समय डाटा और विभिन्न सुविधाएं जैसे रूचि कि बिन्दु, हाईवे नेस्ट / नेस्ट मिनी, इत्यादि भी उपलब्ध कराता है। इस एप्प को फास्टैग खरीदने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

एनएचएआई 1033 टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर की शुरूआत

टोल फ्री नंबर 1033 प्रयोक्ताओं को पूरे राजमार्ग पर आपात स्थिति की सूचना देने या राजमार्ग संबंधी फीडबैक प्रदान करने में सक्षम करेगा। इस सेवा को सड़कों पर एंबुलेंस / टो-अवे सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है।

(iv) 30 वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन

30 वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, 2019 का गांधी स्मृति और दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली में 4 फरवरी, 2019 को उद्घाटन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकार और उद्योग के सड़क सुरक्षा हितधारकों ने भाग लिया।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सुरक्ष यात्रा - महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजघाट में एक मोटर कार रैली को हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी दिखाने का यह कार्यक्रम भी 30 वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरूआत कार्यक्रम का एक हिस्सा था। इस अवसर पर महात्मा गांधी के निजी सचिव श्री वी. कल्याणम भी उपस्थित थे। यह रैली भारत के साथ-साथ बांग्लादेश और म्यांमार में गांधीजी से संबद्ध ऐतिहासिक स्थलों से गुजरी और बांग्लादेश में ढाका की यात्रा करने से पहले भारत में साबरमती, पोरबंदर, दांडी, यरवदा, सेवाग्राम, जबलपुर, लखनऊ, गोरखपुर, चौरीचौरा, चंपारण, शांतिनिकेतन और कोलकाता से होकर गुजरी। यह रैली 24 फरवरी, 2019 को म्यांमार के यांगून में 7250 किलोमीटर की कुल दूरी तय करने के बाद संपन्न हुई। रैली भारत और विश्व भर में महात्मा गांधी के 150 वें वर्ष के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोहों का हिस्सा थी। इसने अपने मार्ग पर सड़क सुरक्षा सरोकारों की वकालत की।

सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें सुरक्षा क्षेत्र की उभरती प्रवृत्ति विषय पर सेमिनार और कार्यशाला, सड़क संरक्षा इंजीनियरिंग, मोटर यान बीमा, आपात देखभाल (नेक व्यक्ति संरक्षण एवं प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता प्रशिक्षण), युवा की भूमिका और सड़क सुरक्षा में कॉर्पोरेट की भूमिका विषय पर उद्योग / कॉर्पोरेट संगोष्ठी शामिल थीं। इनमें ओईएम, एसीएमए, परीक्षण अभिकरण, रोड इंजीनियर्स / लेखापरीक्षक और सड़क संनिर्माण कंपनियों / रियायतग्राही, कॉरपोरेट्स, एनजीओ, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों, मेडिकल स्टाफ और कॉलेज छात्रों ने भाग लिया। आईडीटीआर, सराय काले खान में स्कूल बस ड्राइवर रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया, जहां निजी स्कूलों के बस चालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

(v) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता वर्द्धन के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नामनिर्दिष्ट् किया है। इस केंद्र का उद्देश्य शोध अध्ययनों और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के निक्षेपागार के रूप में कार्य करना है। मानव संसाधन विकास और सूचना विनिमय इनकी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण घटक है। अक्टूबर, 2018 तक, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा केंद्र ने पूरे भारत में 31 पाठ्यक्रम आयोजित किए और 1,400 से अधिक सड़क सुरक्षा और सुरक्षा संपरीक्षा पेशेवरों को प्रशिक्षित किया।

(vi) सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन

महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से 25 अक्टूबर, 2018 को वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटी) की स्थापना और सार्वजनिक सेवा वाहनों पर आपातकालीन बटन हेतु विस्तृत मानक अधिसूचित किए गए हैं। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को फिटनेस प्रमाणन के लिए वाहनों की जाँच करते समय सार्वजनिक सेवा के वाहनों में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने और वीएलटी डिवाइस की फिटमेंट और कार्यात्मक स्थिति की जाँच करने का अधिदेश दिया गया है। राज्यों में कमांड और कंट्रोल केंद्र का इस्तेमाल विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र, राज्य और केंद्र सरकारों के परिवहन प्राधिकरण, उपकरण विनिर्माताओं और उनके अधिकृत डीलरों, परीक्षण एजेंसियों आदि को को अंतर फलक प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा। कमांड और कंट्रोल केंद्र वाहन डाटाबेस या राज्य के संबंधित डाटाबेस को निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने और डिवाइस की स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में फीड प्रदान करने में सक्षम होगा।

2.4.6 अन्य :

(i) मार्गस्थ सुविधाएं और हाईवे नेस्ट (मिनी)

मंत्रालय अपने राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाओं और वर्द्धित सेवा के रूप में मार्गस्थ सुविधाओं की उपलब्धता और विकास के महत्व समझता है। जबकि इसने नयी परियोजनाओं में ऐसी पूर्ण विकसित सुविधाओं के विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं, इसने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य शुरू किया है, जहाँ कहीं भी ये व्यवहार्य पाए जाते हैं।

(ii) स्वेच्छता पखवाड़ा और 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान (एसएचएस)

मंत्रालय द्वारा 15 सितंबर और 2 अक्टूबर, 2018 के बीच सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया था। इस अवधि के दौरान एनएचएआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट के गाँवों के स्कूलों में श्रमदान और सफाई से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गयीं थी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शौचालयों का निर्माण, एनएचएआई टोल प्लाजाओं में कूड़ादानों की स्थापना और होर्डिंग लगाने के कार्य शुरू किए गए। वर्ष 2017-18 के लिए स्वच्छता कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को एक विशेष पुरस्कार प्रदान किया था।

नागपुर - हैदराबाद खंड

इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे

यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है।

This sign cautions you about a Right Hand Curve on the road ahead. This helps you in maneuvering vehicle accordingly and nullifies the possibility of crash due to sudden appearance of turn.

अध्याय-III

सड़क विकास

3.1 इस मंत्रालय को सामान्यत: सड़क परिवहन के विकास तथा विशेषत: राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर राज्यों में स्थित सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राज्य् सरकारों को राज्यीय सड़कों के विकास में सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) और अंतर राज्यीय सम्पर्क तथा आर्थिक महत्व (आईएससीएंडईआई) योजनाओं से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर सम्पर्कता सुधार कार्यक्रम (एनएचआईआईपी) के अतिरिक्त मंत्रालय एसएआरडीपी-एनई और एलडब्यूई योजनाओं को भी क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यीय सड़कें शामिल हैं। मंत्रालय, सड़कों और पुलों के संबंध में तकनीकी सूचना के आगार के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त देश में सड़कों और पुलों के मानकों और विनिर्देशों के निर्धारण के लिए भी उत्तरदायी है।

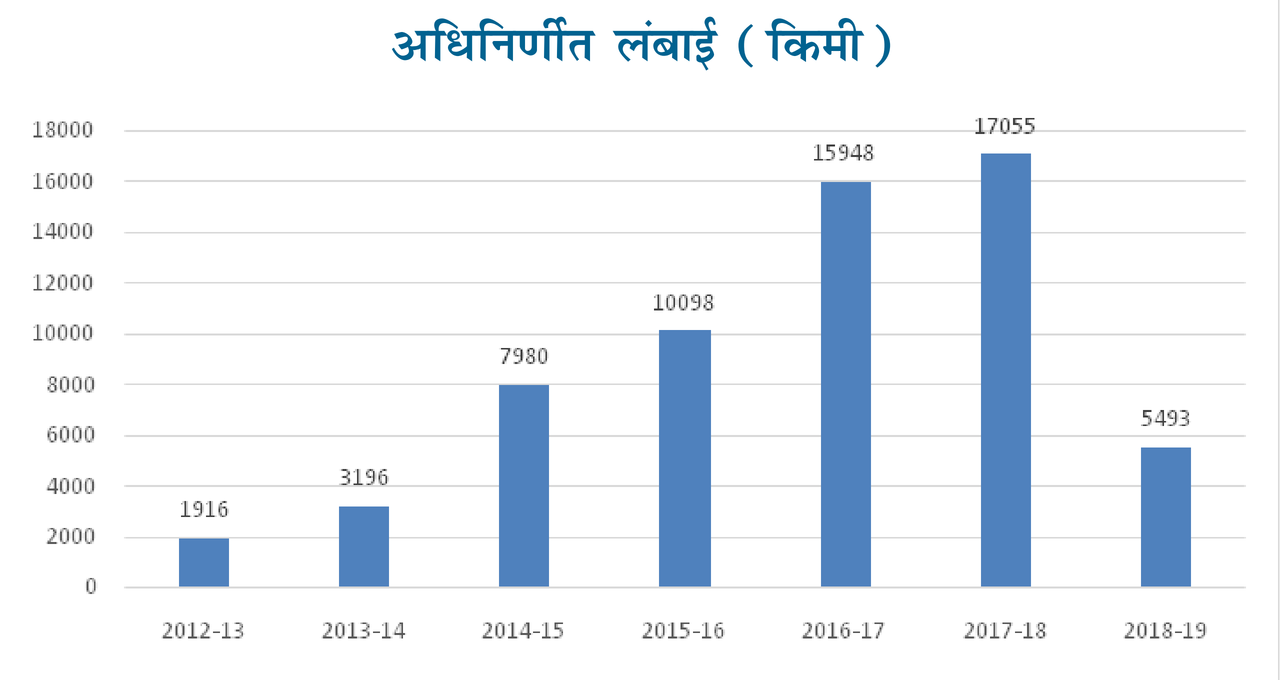

अधिनिर्णीत लंबाई (किमी)

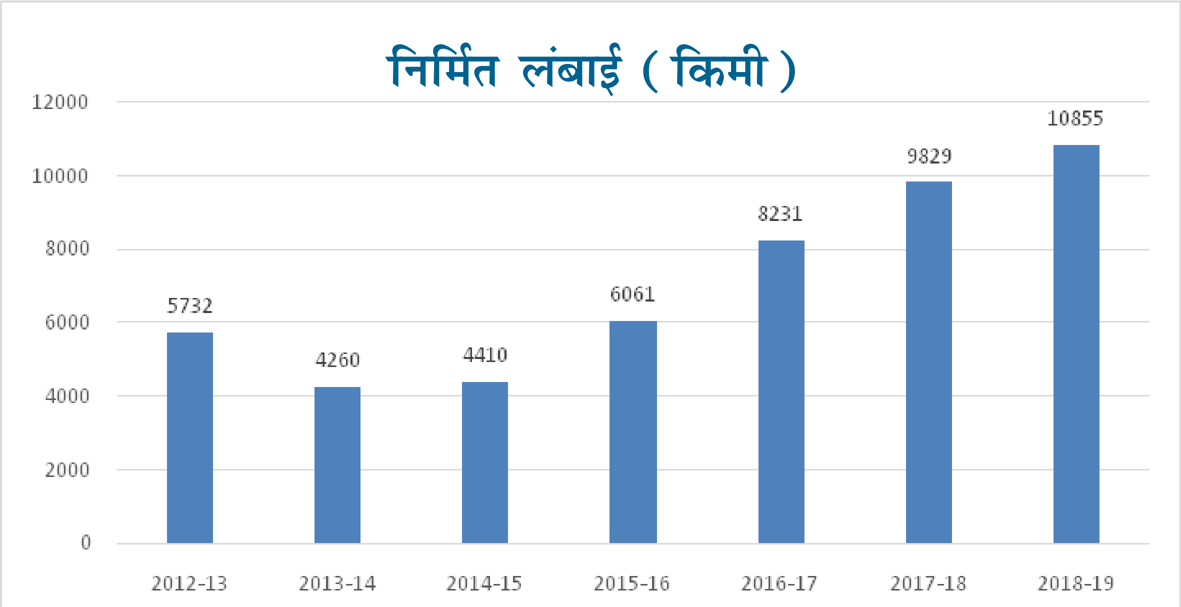

निर्मित लंबाई (किमी)

3.2 राष्ट्रीय राजमार्ग की वह लंबाई जिसके लिए भारत सरकार संवैधानिक रूप से जिम्मेदार है, 1,32,500 किमी है। राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यणवार सूची परिशिष्ट, – 3 में संलग्नर है।

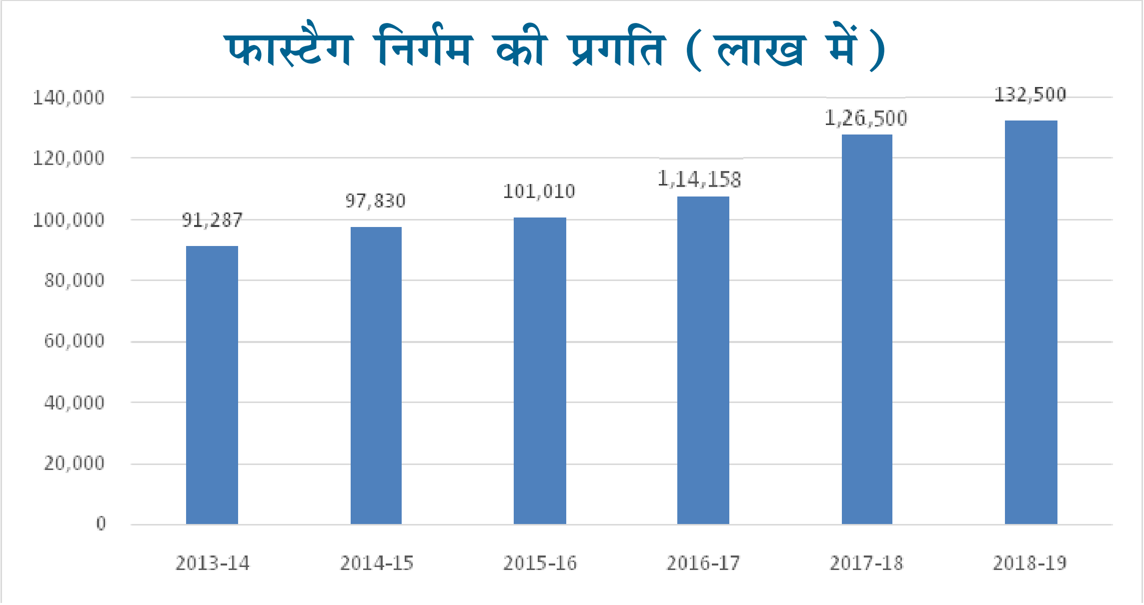

फास्टैग निर्गम की प्रगति (लाख में)

3.3 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में क्षमता दबाव, अपर्याप्त पेवमेंन्ट क्रस्टम, घटिया ज्यामिती और सुरक्षा कारकों के अभाव जैसी विभिन्न कमियां हैं। उपलब्ध संसाधनों के अंदर, कार्यों को प्राथमिकता निर्धारण करके विद्यमान राजमार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, पुलों का पुनर्निर्माण/ चौड़ीकरण और बाइपासों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाता है। हालांकि, सरकार राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अधिक बजटीय आबंटन प्रदान कर रही है फिर भी राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित कर पाना संभव नहीं हो पाया है। सड़क विकास कार्यक्रम के लिए अन्य स्रोतों से निधियां जुटाने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता तो है ही, इसके साथ ही बजटीय आबंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता भी है क्योंकि हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र की सहभागिता कम हुई है।

3.4 राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

सरकार भारतमाला और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) कार्यान्वित कर रही है, जो देश में वर्ष 2000 से शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है। भारतमाला और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को मुख्यतया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

3.5 भारतमाला परियोजना चरण – I

भारतमाला परियोजना के चरण –I में निम्नलिखित का विकास शामिल है

क्र. सं.	योजना	लम्बाई (किमी)	लागत (करोड़ रु)
1.	आर्थिक कॉरिडोर	9,000	120,000
2.	अंतर कॉरिडोर एवं फीडर रोड	6,000	80,000
3.	राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता सुधार	5,000	100,000
4.	सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा संपर्कता	2,000	25,000
5.	तटीय एवं पत्तन संपर्कता सड़क	2,000	20,000
6.	एक्सप्रेसवे	800	40,000
	उप योग	24,800	385,000
7.	एनएचडीपी' सहित चालू परियोजनाएं	10,000	150,000
	कुल	34,800	535,000

* एनएचडीपी के अंतर्गत शेष कार्य को पूरी तरह भारतमाला परियोजना में शामिल कर दिया गया है। रारा (मूल), एसएआरडीपी–एनई, ईएपी और एलडब्ल्यूई योजनाओं के अंतर्गत शेष कार्य संबद्ध योजनाओं के तहत जारी रहेंगे।

3.6 भारतमाला चरण – I के लिए निधियन के स्रोत

भारतमाला परियोजना चरण–I का निधियन वाह्य सहायता, टीओटी (टोल – ऑपरेट –ट्रांसफर) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के अपेक्षित मुद्रीकरण, आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) और निजी क्षेत्र निवेश के अलावा

पेट्रोल एवं डीजल से संग्रहित उपकर (समय समय पर वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार), टोल से संग्रहित राशि से किया जाएगा।

भारतमाला परियोजना के चरण –I और सड़कों / राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की अन्य योजनाओं के लिए वर्ष 2021–22 तक निधि का स्रोत दर्शाते हुए वित्त–पोषण योजना इस प्रकार है :

क्र. सं.	स्रोत	आकलित निधि (करोड़ रु)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए निर्धारित सीआरएफ	2,37,024
2	जीबीएस (एसएआरडीपी, ईएपी प्रति भाग इत्यादि.)	59,973
3	टीओटी (टोल - ऑपरेट -ट्रांसफर) के माध्यम से एनएच के अपेक्षित मुद्रीकरण	34,000
4	पीबीएफएफ (टोल - एनएचएआई)	46,048
5	बाजार से उधार	2,09,279
6	निजी निवेश (पीपीपी)	1,06,000
	कुल	6,92,324

3.7 वित्तीय प्रदर्शन –

3.7.1 वर्ष 2018–19 के दौरान पूंजीगत व्यय और आईईबीआर की वृद्धि में हुई प्रगति

वर्ष 2018–19 के दौरान मंत्रालय को आवंटित निधि और किए गए व्यय को नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

राशि करोड़ रुपये में

क्र. सं.	योजना	2018-19	
		आवंटन	व्यय *
1	जीबीएस - पूंजी	68055	66,719
2	एम एंड आर - राजस्व	2,686	1,687
3	कुल (केंद्रीय क्षेत्र सड़क)	70,741	68,406
4	सीआरएफ (राज्यीय सड़कें)-राजस्व	6999	6785
5	राज्यीय सड़कों के लिए ईआई एंड आईएससी - पूंजी	500	475
6	सड़क परिवहन - राजस्वं	258	155
7	सचिवालीय व्यय - राजस्व	127	117
8	कुल (बजट)	78,625	75,938
9	आईईबीआर	62,000	61,217
10	सकल योग (बजट+आईईबीआर)	1,40,625	1,37,155
11	निजी क्षेत्र निवेश	25,000	21,605.3

***अनंतिम**

जीबीएस – सकल बजटीय सहायता, आईईबीआर – आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन, निजी क्षेत्र निवेश – आवंटन = लक्ष्य

***व्यय (अनंतिम)**

यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के 'डिवाइडर' (विभाजक) में एक 'गैप' है और वहां यू–टर्न (वापस मुड़ने) की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए।

This sign indicates that there is a gap in the divider of a road and there is a provision of U-turn. The driver should slow and take relevant lane to avoid any crash.

3.7.2 टोल संग्रहण

क्र. सं.	मापदंड एवं इकाई	2018-19 *
1	राजमार्ग लंबाई टोल संग्रहित (किमी)	2,415
2	टोल संग्रहण (करोड़ रुपये)	9,259

*अनंतिम

3.7.3 टोल - ऑपरेट - ट्रांसफर (टीओटी) में गैर कर राजस्व में वृद्धि में हुई प्रगति

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) खंडों के मुद्रीकरण के लिए अगस्त, 2016 में टोल, ऑपरेट और ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल अनुमोदित किया था। वर्ष 2021-22 तक टीओटी रियायत के अंतर्गत करीब 34,000 करोड़ रुपये की निधि जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान टीओटी के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीओटी के प्रथम समूह का रियायत दिनांक 29.08.2018 से शुरू किया गया है और रियायतग्राहियों से 9,681.50 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं और उस राशि को भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा कर दिया गया है। इसके अलावा, दिनांक 06.08.2018 को टीओटी के दूसरे समूह के लिए बोलियां आमंत्रित की गयीं, जिसकी प्रारंभिक आकलित रियायत मूल्य 5,362 करोड़ रुपये है। बोलियां प्राप्त हो गयीं हैं और उच्चतम बोली 4,612 करोड़ रुपये की है जो 13.98 प्रतिशत कम है। एनएचएआई ने बोली निरस्त कर दी है और फिर से समूहीकरण के बाद पुन: निविदाकरण की प्रक्रिया में है।

3.8 राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)

- वर्तमान वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 28,931 करोड़ रुपए की राशि और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 135.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए सीमा सड़क संगठन को आबंटित 115 करोड़ रुपए सहित कुल 1,844 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।
- वर्ष 2018-19 (मार्च, 2019 तक) के दौरान राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा **परिशिष्ट-4** में दिया गया है।

3.9 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी - एनई)

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी - एनई) का उद्देश्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की राजधानियों के साथ, जिला मुख्यालयों और दूर-दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क में सुधार करना है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 7429 किमी की लंबाई में 2/4 लेनिंग तथा राज्यीय सड़कों की लगभग 2,712 किमी की लंबाई में 2 लेनिंग/सुधार कार्य शामिल है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों के 88 जिला मुख्यालयों का निकटस्थ / राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ कम से कम 2 लेन सड़क द्वारा सम्पर्क सुनिश्चित हो जाएगा। चरण 'क' में 3014 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों और 1085 किमी की राज्यीय

सड़कों सहित 4099 किमी की सड़कों का सुधार कार्य शामिल है। 4099 किमी में से सीमा सड़क संगठन, राज्यीय लोक निर्माण विभाग और एनएचएआईडीसीएल को 3213 किमी सड़कों के विकास का कार्य सौंपा गया है और शेष 886 किमी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गयी है। 3,339 किमी लम्बाई के कार्य सौंप दिए गए हैं और मार्च, 2019 तक 2,101 किमी का कार्य पूरा कर लिया गया है। एसएआरडीपी एनई चरण 'क' के मार्च, 2023-24 तक पूरा होने की संभावना है।

3.10 अरूणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेजः

3.16.1 अरूणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज, जिसमें 2319 किमी (2205 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग और 114 किमी राज्य/जीएस सड़कें) लम्बे सड़क खंड शामिल हैं, को सरकार द्वारा दिनांक 09.01.2009 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसमें से 776 किमी के कार्य को बीओटी (वार्षिकी) आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और शेष 1,543 किमी के कार्य को मंत्रालय की वर्तमान नीति के अनुसार ईपीसी/मद दर संविदा आधार पर विकसित किए जाने प्रस्ताव है। मार्च, 2019 तक 1,934 किमी लम्बाई के कार्य सौंप दिए गए हैं और 928 किमी की सड़कों का काम पूरा कर लिया गया है। संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश पैकेज को मार्च, 2023-24 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

अरुणाचल प्रदेश पैकेज सहित एसएआरडीपी में 30,315 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

3.11 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों (एलडब्ल्यूई) में सड़क संपर्क में सुधार

3.11.1 सरकार ने दिनांक 26.02.2009 को आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य. प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 34 जिलों में इन क्षेत्रों के सर्व समावेशी संवृद्धि के लिए 7300 करोड़ रुपए की लागत से 1177 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों और 4276 किमी राज्यीय सड़कों (कुल 5477 कि.मी.) को 2 लेन में विकसित किए जाने के लिए सड़क आवश्यकता प्लान (आरआरपी) को अनुमोदित किया था। देश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास का दायित्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंपा गया है।

3.11.2 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 8,673.90 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत पर 5,422 किमी लंबाई के लिए विस्तृत प्राक्कलनों की संस्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 8,739 करोड़ रुपए की लागत पर 5419 कि.मी. लंबाई के निर्माण का कार्य सौंपा जा चुका है। मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 4,792 किमी लंबाई में विकास पूरा कर लिया गया है और अब तक किए व्यय की संचयी राशि 7,311 करोड़ रुपए है।

3.12 विजयवाड़ा रांची मार्ग का विकास

3.12.1 1,622 कि.मी. लंबे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित विजयवाड़ा-रांची मार्ग में से, ओडिशा में 600 किमी (निवल लंबाई 594 किमी) राज्यीय सड़कों (549 किमी के नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्ग और 45 किमी के राज्यीय राजमार्ग) के विकास, जिसे किसी भी केन्द्रीय अथवा राज्य स्कीम में शामिल नहीं किया गया है, को 4 नवंबर 2010 को 1,200 करोड़ रुपये की लागत पर मंजूरी प्रदान की गई है।

3.12.2 अब तक, 1,347 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत के कुल 592 किमी लंबाई के सभी 9 पैकेजों के लिए विस्तृत प्राक्कलन संस्कृत किए जा चुके हैं और कार्य सौंप दिए गए हैं। मार्च, 2019 तक 1,055 करोड़ रुपए के संचयी व्यय पर 569 कि.मी. लंबाई का विकास कार्य पूरा किया जा चुका है।

3.13 एनएच संकर्मों के लिए जनजातीय उप योजना

मंत्रालय वर्ष 2011 - 12 से जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के तहत समर्पित निधियां निर्धारित करता आया है, जो वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) सड़क विकास योजना तक सीमित था। तथापि, मंत्रालय के टीएसपी घटक के अंतर्गत समर्पित परिव्यय में काफी वृद्धि कर, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) [एनएच(ओ)] योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के अंदर सीमित एनएच परियोजनाओं को शुरू कर वित्त वर्ष 2018-19 से वार्षिक पूंजीगत बजटीय आवंटन (वाह्य सहायता घटक के ऋण भाग और टोल - ऑपरेट - ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल पर राष्ट्रीय राजमार्गों की नीलामी द्वारा प्राप्त राजस्व की वापस निवेशित राशि को छोड़कर) के 4.3 प्रतिशत कर दिया गया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय के टीएसपी घटक के अंतर्गत निधियों के आवंटन और व्ययित राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

राशि करोड़ रुपये में

वित्त वर्ष	पात्र पूंजीगत योजना के लिए कुल परिव्यय	जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के अंतर्गत परिव्यय	व्यय की गयी राशि (अनंतिम)	
			कुल पात्र पूंजीगत योजनाओं के अंतर्गत	टीएसपी घटक के अंतर्गत
2018-19	57,840	2,700	56,772	2,356

3.14 राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संपर्क सुधार परियोजना (एनएचआईआईपी):

3.14.1 राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संपर्क सुधार परियोजना (एनएचआईआईपी) के चरण-I के अंतर्गत विश्व बैंक की ऋण सहायता से बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के एकल/मध्यमम लेन से 2 लेन/पेव्ड शोल्डर संरेखण सहित 2 लेन में पुनरुद्धार और उन्नयन तथा खंडों का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

3.14.2 4,554 करोड़ रुपये की लागत पर सभी 15 परियोजनाओं के कार्य सौंप दिए गए हैं। मार्च, 2019 तक 839.05 किमी लंबाई में काम पूरा कर लिया गया है।

3.14.3 परियोजना घटक:

घटक क: सड़क सुधार और अनुरक्षण

- राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की 1120 किमी लम्बाई का 2 लेन/पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन विन्यास में चौड़ीकरण और उन्नयन।
- निर्माण के पश्चात 5 वर्ष की अवधि के लिए परिसंपत्तियों का निष्पादन आधारित अनुरक्षण।

घटक ख: संस्थागत विकास घटक

- उद्यम संसाधन नियोजन प्रारम्भ करना।
- मानक प्रचालन निर्देशिका(ओं) का विकास।
- 'लागत डेटा बेस' (राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य के लिए) और 'डेटा पुस्तिका' (दर विश्लेषण के लिए) सहित विभिन्न मानक संदर्भ सामग्री को अद्यतन बनाना।
- आईटी आधारित सड़क सूचना पद्धति।
- व्यापक परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली- जिसमें 3 परियोजना राज्यों में सभी गैर-एनएचडीपी राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।

घटक ग: सड़क सुरक्षा घटक

- सड़क सुरक्षा मानकों और प्रक्रिया संहिताओं की समीक्षा करना और उनको अद्यतन करना।
- परियोजना राज्यों में सड़क दुर्घटना डेटा बेस प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन।
- केन्द्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा क्षमता का सुदृढ़ीकरण।

3.14.4 सीसीईए द्वारा यथा-अनुमोदित संशोधित परियोजना लागत 6461 करोड़ रुपए (सिविल निर्माण कार्य 4554.26 करोड़ रुपए, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनःस्थाणपन- 610.24 करोड़ रुपए, पर्यावरण उपशमन - 50.84 करोड़ रुपए, जन-उपयोगी सुविधाओं का स्थाणनांतरण - 161.16 करोड़ रुपए, निष्पादन आधारित अनुरक्षण - 432.65 करोड़ रुपए, वास्ततविक आकस्मिकताएं - 127.52 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग को एजेंसी प्रभार - 149.62 करोड़ रुपए, पर्यवेक्षण एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं - 149.62 करोड़ रुपए, संस्थागत विकास और सड़क सुरक्षा - 225 करोड़ रुपए)।

3.14.5 वित्तीय प्रगति :

- 2018-19 के लिए आबंटन : काउंटरपार्ट निधि के अंतर्गत 371 करोड़ रुपए और बाहरी सहायता प्राप्त1 परियोजना निधि से 359 करोड़ रुपए।
- मार्च, 2019 तक संचयी व्यय : 3,407 करोड़ रुपए (आरंभ से लेकर), वित्त वर्ष 2018-19 के लिए : 652 करोड़ रुपए।
- वित्त वर्ष 2018-19 में संवितरण के लिए पात्र सकल व्यय : 3,407 करोड़ रुपए (आरंभ से लेकर), वित्त वर्ष 2018-19 के लिए : 686 करोड़ रुपए।
- 2018-19 में विश्व बैंक से प्राप्त सकल संवितरण योग्य हिस्सा: 99 करोड़ रुपए (आरंभ से लेकर), वित्त वर्ष 2018-19 के लिए : 340 करोड़ रुपए।
- विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति : 1496.19 करोड़ रुपए (आरंभ से लेकर) अगस्त, 2018 तक।

3.14.6 वास्तविक प्रगति :

चरण	कुल लम्बाई किमी में	31 मार्च, 2019 तक पूरी की गई लम्बाई किमी में	वि.व. 2018-19 के दौरान पूरी की गई लम्बाई किमी में
मॉनीटरिंग रिपोर्ट के अनुसार	1,120	839.05	86

कई बार सड़क पथ-कर वसूली केंद्र/जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहाँ वाहनों को रुकना पड़ेगा।

Many a times the road passes through toll collection point/check posts etc. One can find barriers on such places. This sign indicates that there is a barrier ahead on the road and vehicle has to stop there.

3.15 कौशल विकास :

मंत्रालय ने अधिकृत प्रशिक्षण प्रदाता महानिदेशक (प्रशिक्षण) डीजीटी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं में राजमार्ग निर्माण क्षेत्र में कामगारों के कौशल विकास के प्रयास किए हैं।

इस परियोजना की प्रायोगिक योजना में मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से दो ट्रेडों, अर्थात् बार बेंडिंग और मैसनरी में 5 राज्यों (कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) में 2831 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया है।

दिनांक 22.12.2017 को नई दिल्ली में, माननीय मंत्री (आरटी एंड एच) ने डीजीटी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर राजमार्ग निर्माण क्षेत्र के 1,00,000 श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए राजमार्ग क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 2018-19 के अंत तक विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाताओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 99,000 श्रमिकों को पंजीकृत किया है और एमओआरटीएच, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल के विभिन्नि परियोजना स्थलों पर छः ट्रेडों (मैसनरी, बार बेंडिंग, स्कैफोल्डिंग, शटरिंग, पेंटिंग और प्लम्बिंग) में 83,000 श्रमिकों को पहले ही प्रशिक्षण प्रदान कर दिया है।

3.16 केन्द्रीय सड़क निधि

(I) मंत्रालय को केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए 51,679.23 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यीय सड़कों के लिए अनुदान	6,998.92
अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	500.00
राष्ट्रीय राजमार्ग	44,172.31
सड़क परिवहन	8.00
कुल	51,679.23

(II) केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को आबंटन के लिए नियत की गई निधियां, विभिन्न राज्यों को 30% ईंधन की खपत के आधार और 70 % राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर आबंटित की जाती हैं।

(III) वर्ष 2000-01 से 2018-19 तक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटित और निर्मोचन का सार **परिशिष्ट 5** में दिया गया है।

3.17 राज्यी सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदन:

पिछले 15 माह के दौरान (दिनांक 31.03.2109 तक) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 33,303.19 करोड़ रुपए की लागत के 1250 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें ईआई एंड आईएससी, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क एवं आर्थिक महत्व (आईएससीएंडईआई) की योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित कार्य शामिल नहीं हैं।

3.18 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व (आईएससी एंड ईआई) योजनाएं:

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाएं, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अधिनियमन से पहले ही विद्यमान थीं। उस समय, केन्द्रीय ऋण सहायता से केवल मामूली धनराशि वाले कार्यक्रम ही संस्वीकृत किए जाते थे। अब इस योजना को 24 जुलाई, 2014 की केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़कें) नियमावली, 2014, जिसमें दिनांक 23.06. 2016 और दिनांक 18.12.2017 की अधिसूचना के अनुसार अन्य संशोधन किए गए हैं, के प्रावधानों के अनुसार विनियमित कर दिया गया है ।

3.19 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृति

वर्ष 2018-19 के दौरान, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व (आईएससीएंडईआई) की योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है और सुधार के लिए कुल 447.34 करोड़ रुपए की लागत के 34 प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए हैं।

3.20 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) :

3.20.1 राजमार्ग अभियांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को शामिल करते हुए इस अकादमी की दृष्टि और दायरे को व्यापक बनाया गया है। यह अकादमी राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाती आ रही है। भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के मुख्य गतिविधियों में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:-

- नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना।
- वरिष्ठ और मध्यं स्तर के अभियंताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।
- सड़क विकास के कार्य में शामिल वरिष्ठ स्तर के अभियंताओं और प्रशासकों के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम चलाना।
- राजमार्ग क्षेत्र में विशेषीकृत क्षेत्रों और नई प्रवृत्तियों में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- स्वदेशी और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास करना।
- पीपीपी और ईपीसी इत्यादि के बारे में अल्पकालिक पाठ्यक्रम/प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजन करना, देश में सड़कों और राजमार्गों की आयोजना/डिजाइन/निर्माण और प्रबंधन में सहकारी अनुसंधान आयोजित करना तथा सड़क सुरक्षा जैसे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना।
- विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अफ्रीकी / अन्य विदेशी मूल के अभियंताओं का प्रशिक्षण।
- आईएएचई को समनुदेशित अन्य प्रकीर्ण कार्य

3.20.2 वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम :

वर्ष 2018-19 के दौरान, अकादमी ने 20 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 667 अभियंताओं और पेशेवरों ने भाग लिया। इसमें रॉयल भूटान सरकार के 27 प्रतिभागी और अफ्रीकी फोरम सम्मेलन (आईएएफएस) के 88 प्रतिभागी शामिल हैं।

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अंग्रेजी के 'टी' अक्षर की तर्ज पर तिराहा (इंटरसेक्शन) है और वहां सीधा रास्ता नहीं जाता है। यातायात को बायीं या दायीं ओर मोड़ना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है।

This sign cautions about that there is T-intersection on the road ahead and there is no forward movement. Traffic has to either turn left or right. This helps driver in planning his movement on road.

राष्ट्रीय राजमार्ग का भुवनेश्वर - पुरी खंड

वाराणसी रिंग रोड फेज - 1

सफर के दौरान यह चिन्ह विश्राम के लिए मोटल, लॉज या अन्य विश्राम गृह के नजदीक लगाया जाता है। राजमार्गों पर ये चिन्ह देखे जा सकते हैं।

This sign is erected near motel, lodge or any other place where facility for resting is available. These signs can be seen on highways.

अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग

"सड़क बंद है" संकेत दर्शाता है कि वहां आगे रास्ता नहीं है। यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि सड़क पर आगे मार्ग नहीं है।

"NO THROUGH ROAD" sign indicates that there is no throughway. This sign informs drivers that there is no way ahead on the road.

अध्याय-IV

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

4.1 यह मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है और कुल आबंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। पूर्वोत्तंर में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाीई 13,678 किमी है और इन्हें चार एजेंसियों- राज्य लोक निर्माण विभागों, सीमा सड़क संगठन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एनएचआईडीसीएल द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जा रहा है। कुल 13,678 किमी की लम्बाई में से लगभग 11,958 किमी लंबाई एनएचआईडीसीएल और संबंधित राज्यीय लोक निर्माण विभागों के पास है, 864 किमी लम्बाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है और 856 किमी लंबाई सीमा सड़क संगठन के पास है।

4.2 राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शुरू किए गए विकास एवं अनुरक्षण कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम संख्या	कार्यक्रम	लंबाई (किमी में)
क.	एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत लम्बाई	110 किमी
ख.	राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बालई, एसएआरडीपीएनई के अंतर्गत राज्यीय सड़कें चरण 'क' चरण 'ख' (केवल डीपीआर तैयार किए जाने के लिए अनुमोदित)	 4,099 किमी 3,723 किमी
ग.	अरूणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज	2,319 किमी

4.3 मेघालय राज्य (जोवाई-मेघालय/असम सीमा (रताछेड़ा खंड) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 की 110 किमी लम्बाई एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत आती है।

4.4 अन्तर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क और अर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत 1,670.09 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

4.5 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 2,839.02 करोड़ रुपए की राशि के 168 कार्य प्रगति पर हैं।

4.6 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 4,303.36 करोड़ रुपए लागत के 58 कार्य प्रगति पर हैं।

4.7 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यों का राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है:-

4.8 अरूणाचल प्रदेश

4.8.1 सरकार ने 11,919 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2,319 किमी सड़कों के निर्माण/सुधार कार्य शामिल करते हुए अरूणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज अनुमोदित किया है। 2,319 किमी लम्बाई में से 2,180 किमी लम्बाई अरूणाचल प्रदेश राज्य में पड़ती है।

4.8.2 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 943.40 करोड़ रुपए लागत का एक सुधार कार्य प्रगति पर है।

4.8.3 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 522 करोड़ रुपए की लागत के 58 कार्य चल रहे हैं।

4.8.4 अन्तर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत 292.21 करोड़ रुपए की लागत के 12 कार्य प्रगति पर हैं।

4.9 असम

4.9.1 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,487.08 करोड़ रुपए की लागत के 25 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

4.9.2 असम में लुमडिंग-डबोका-नगांव-गुवाहाटी से होकर सिल्चर से श्रीरामपुर को जोड़ने वाली 667 किमी की लम्बाई, राष्ट्री य राजमार्ग विकास परियोजना चरण-।। के अंतर्गत पूर्व पश्चिम महामार्ग के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एनएचआईडीसीएल को सौंपी गई है। 636 किमी में कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सौंप दिया गया है और गुवाहाटी बाईपास की 18 किमी लंबाई सहित लगभग 606 किमी लंबाई अभी तक पूरी की जा चुकी है। शेष 31 किमी लंबाई के लिए काम एनएचआईडीसीएल द्वारा हाल ही में सौंपा गया है।

4.9.3 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अभी तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 859.06 करोड़ रुपए की राशि के 44 कार्य प्रगति पर हैं।

4.9.4 अन्तर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत लगभग 81.52 करोड़ रुपए राशि के दो कार्य प्रगति पर हैं।

4.9.5 सरकार ने 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम' के चरण 'क' के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ने वाले चार लेन के पुल के निर्माण सहित नुमालीगढ़ से डिबरुगढ़ तक (201 किमी) के राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को चार लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नुमालीगढ़ से डिबरुगढ़ तक कार्य छह पैकेजों में सौंपा जा चुका है और एनएचआईडीसीएल द्वारा इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। जहां तक नुमालीगढ़-गोहपुर पुल का संबंध है, डीपीआर तैयार किए जाने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी गई है।

4.9.6 सरकार ने 11,919 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2,319 किमी सड़कों को शामिल करते हुए अरूणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए स्वीतकृति दे दी है। 2,319 किमी लम्बाई में से 139 किमी लंबाई असम राज्य में आती है।

4.10 मणिपुर

4.10.1 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 53.32 करोड़ रुपए की लागत से 2 पुलों पर हो रहे कार्यों सहित 874.90 करोड़ रुपए की लागत के 11 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

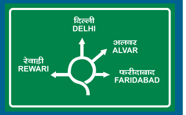

4.10.2 सीआरएफ के अंतर्गत, 141.58 करोड़ रुपए की राशि के 10 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

4.10.3 आर्थिक महत्व और अंतर-राज्यीय सड़क संपर्क के अंतर्गत 210.97 करोड़ रुपए की राशि के 4 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

4.11 मेघालय

4.11.1 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल), के अंतर्गत 71.41 करोड़ रुपए के छः सुधार कार्य प्रगति पर है।

4.11.2 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, 95.72 करोड़ रुपए के 14 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 67.68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक कार्य प्रगति पर है।

4.12 मिजोरम

4.12.1 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल), के अंतर्गत 338.08 करोड़ रुपए मूल्य के 6 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

4.12.2 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, 214.38 करोड़ रुपए की धनराशि के 8 सुधार कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त आईएससी योजना के अंतर्गत 57.91 करोड़ रुपये लागत का एक कार्य प्रगति पर है।

4.13 नागालैंड

4.13.1 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल), के अंतर्गत 1,082.04 करोड़ रुपए की लागत से 6 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

4.13.2 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 430.27 करोड़ रु. मूल्य के 22 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

4.13.3 आर्थिक महत्व और अंतर-राज्यीय सड़क संपर्क के अंतर्गत 867.21 करोड़ रुपए मूल्यं के 16 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

4.14 सिक्किम

4.14.1 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 56.28 करोड़ रुपए की राशि के 9 कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 92.59 करोड़ रु. की लागत के 04 कार्य प्रगति पर हैं।

4.15 त्रिपुरा

4.15.1 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल), के अंतर्गत 205.96 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

4.15.2 राज्य सड़कों के सुधार के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 98.33 करोड़ रुपए की राशि के 6 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

एनएचआईडीसीएल के चौथे स्थापना दिवस का उद्घाटन

यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों (स्थानों) की दिशा और उनकी दूरी को इंगित करता है। आम तौर पर चौराहे (इंटरसेक्शन) से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं।

This sign indicates the direction and distance to various destinations falling on that particular road. These signs are generally installed before intersections.

अध्याय-V

राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि. (एनएचआईडीसीएल)

5.1 प्रस्तावना :

- राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसे पाँच वर्ष पूर्व जुलाई, 2014 में निगमित किया गया था और इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले देश के पूर्वोत्तर और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में त्वरित गति से राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य अवसंरचनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से सितम्बर, 2014 से कार्य करना आरंभ कर दिया था। वर्तमान में, स्थानीय आबादी के प्रत्येक वर्ग को समग्र आर्थिक हितलाभ प्रवाहित करने एवं उन्हें और अधिक सुदढ तरीके से राष्ट्रीय अर्थव्य वस्था में एकीकृत करने के साथ इन क्षेत्रों के आर्थिक समेकन पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

  भारत सरकार द्वारा इस कम्पेनी को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कॉरीडोर सहित 13,500 किमी से अधिक लंबाई की सड़क सम्पर्कता को सुधारने और विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।

  कम्पनी ने अपनी स्थापना के बाद से ही दक्षता और पारदर्शिता हेतु सूचना-प्रौद्योगिकी पहल जैसे कि ई-ऑफिस, ई-निविदा, ई-मॉनीटरिंग, ई-एक्सैस को अंगीकृत किया है।

  पॉच वर्षों की एक छोटी अवधि में ही, एनएचआईडीसीएल देश के पूर्वोत्तर और सामरिक दृष्टि से महत्वएपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में राजमार्ग निर्माण और अन्य अवसंरचनाओं के विकास में तेजी लाने में समर्थ रहा है। आज की तिथि में, कंपनी पहले ही 2,01,600 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों, भारतमाला एवं सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित राष्ट्रीय राजमार्गों की करीब 13,630 किमी लंबाई की 291 परियोजनाओं को विकसित करने की प्रक्रिया में है।

5.2 **असम** से शुरु करते हुए, 55,533 करोड़ रुपये की प्राक्कलित परियोजना लागत पर 3261 किमी लंबाई की 85 परियोजनाएं एनएचआईडीसीएल को सौंपी गयीं हैं। वर्ष 2019 में एसएआरडीपी के तहत 19 किमी लंबाई की एक परियोजना सौंपी गयी है। 31 मार्च 2019 तक एनएचआईडीसीएल 191.86 किमी की कुल लंबाई का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसमें से 159 किमी लंबाई 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच पूरी की गयी है।

5.3 **अरूणाचल प्रदेश** में कम्पनी 12,640 करोड़ रुपए की प्राक्कलित परियोजना लागत की लगभग 1,148 किमी लंबाई की कुल 38 परियोजनाओं का काम देख रही है। वित्त वर्ष 2019 में 21.5 किमी लंबाई की एक परियोजना राष्ट्री य राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत सौंपी गयी है। एनएचआईडीसीएल ने 31 मार्च 2019 तक 240.13 किमी की कुल लंबाई का कार्य संपन्न किया है, जिसमें से 207 किमी लंबाई का कार्य 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच पूरा किया गया है।

5.4 **हिमाचल प्रदेश** में एनएचआईडीसीएल 3,254 करोड़ रुपए की प्राक्कलित परियोजना लागत पर निष्पादित की जाने वाली कुल 198 किमी लंबाई के लिए 3 डीपीआर तैयार करने का काम देख रही है।

5.5 **जम्मू और कश्मीर** में 10,170 करोड़ रुपए की प्राक्कलित परियोजना लागत पर 816 किमी लंबाई की कुल 15

परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं में 274 किमी लंबा राष्ट्रीय राजामार्ग - 244, जम्मू से अखनूर, जैड मोड सुरंग और जोजिला सुरंग शामिल हैं। एनएचआईडीसीएल ने कुल 31 मार्च 2019 तक 34 किमी लंबाई पूरी कर ली है 124 किमी का अनुरक्षण कार्य पूरा कर लिया है।

5.6 **मणिपुर** में कंपनी के पास 27,041 करोड़ रुपए की प्राक्कलित परियोजना लागत पर कुल 2096 किमी कुल लंबाई की 25 परियोजनाएं हैं। इसके अलावा, कंपनी की इस वर्ष 2,406 करोड़ रुपये की संस्वीकृत लागत पर 163.42 किमी की कुल लंबाई की 5 और परियोजना सौंपने की योजना है। मणिपुर की जीवन-रेखा समझी जाने वाली इम्फाल-जीरीबाम रोड का काम भी एनएचआईडीसीएल को सौंपा गया था। यह सड़क बहुत ही खराब स्थिति में थी फिर भी इसे बहाल कर दिया गया है और दो बड़े पुल नामत: बराक और मकरू पुल शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा चूडाचांदपुर, उखरुल - तोलोई - तादुबी, तमेंगलोंग-खोनसांग नामक तीन सड़कों को बहाल करने का काम चल रहा है। वर्ष 2019 में 167 किमी लंबाई की 3 परियोजनाएं सौंपी गयी हैं, जिसमें एडीबी निधियन के तहत इंफाल से मोरेह रोड तक 46 किमी को 2 लेन बनाने, एसएआरडीपी के तहत तामेंगलोंग से खोंसांग रोड का 40 किमी का 2 लेन बनाने और एम एंड आर के तहत चुराचांदपुर से तिपाइमुख रोड के पुनर्वासन के कार्य भी शामिल हैं। एनएचआईडीसीएल ने 31 मार्च 2019 तक 400 किमी के अनुरक्षण का कार्य पूरा कर लिया है जिसमें 371 किमी 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच पूरा किया गया है।

5.7 **मेघालय** में कम्पनी के पास इस समय 17,250 करोड़ रुपए की प्राक्कलित परियोजना लागत से 1200 किमी लंबाई की कुल 21 परियोजनाएं हैं, जिसमें जीसीआई निधिबद्ध 51.5 किमी को कवर करने वाली 553.41 करोड़ रुपये की लागत की तुरा-डालु परियोजना भी है। मार्च, 2019 में एसएआरडीपी के तहत 30 किमी लंबाई को कवर करने वाली 1 परियोजना का कार्य सौंपा गया है।

5.8 **मिजोरम** में कंपनी ने जेआईसीए से वित्तकपोषण सहायता प्राप्त करके 4163 करोड़ रुपए की संस्वीकृत लागत पर (कुल परियोजना लागत 6168 करोड़ रुपए है) 351 किमी (8 पैकेजों में) की डिजाइन लंबाई के आईजॉल से तुईपांग खंड तक एनएच-54 के उन्नयन के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया है। जेआईसीए निधियन के अंतर्गत मार्च, 2019 में 8 पैकेजों में 3217.31 करोड़ रुपये की अधिनिर्णीत लागत पर 294.16 किमी लंबाई के 7 पैकेजों के कार्य सौंपे गए हैं।

5.9 **नागालैंड** में कुल 25 परियोजनाएं हैं। सभी परियोजनाओं की कुल लंबाई 834 किमी और प्राक्कलित परियोजना लागत 11,606 करोड़ रुपए है। कंपनी ने 3721 करोड़ रुपये की लागत पर दीमापुर बाईपास (असम भाग) के निर्माण सहित 280 किमी की लंबाई की 13 परियोजनाओं के कार्य सौंपे हैं। वर्ष 2018 में कोहिमा बाईपास का काम शुरू करने के लिए इसकी डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया। एनएचआईडीसीएल ने 31 मार्च 2019 तक 21 किमी की कुल लंबाई का कार्य पूरा कर लिया है।

5.10 **सिक्किम** में एनएचआईडीसीएल के पास 13,810 करोड़ रुपए की प्राक्कलित परियोजना लागत पर 751 किमी लंबाई की कुल 17 परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं में शामिल हैं- गंगटोक के लिए 242 किमी लंबा वैकल्पिक राजमार्ग जो चीन के साथ वास्ताविक नियंत्रण रेखा तक जाता है, पश्चिमी सिक्किम में सिंगतम-ग्याकलशिंग रोड और उत्तरी सिक्किम में भारतमाला परियोजनाएं। जनवरी, 2018 से मार्च, 2019 के बीच 51.68 किमी लंबाई की 5 परियोजनाएं सौंपी गयीं हैं, जिनमें

यह सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक पेट्रोल पम्प है। कई बार इस चिन्ह पर दूरी भी इंगित की जाती है, जो दर्शाता है कि चिन्ह बोर्ड से पेट्रोल पम्प कितनी दूरी पर है।
This informatory sign indicates that there is a Petrol Pump ahead. Sometimes distance is also indicated on this sign which gives an idea about location of the Petrol Pump from the sign post.

एसएआरडीपी के अंतर्गत 16.16 किमी लंबा रानीपूल से पाक्योंग तक एनएच -717ए का 2 लेन निर्माण, एनएच (ओ) के अंतर्गत चिसोपानी ट्रैफिक सुरंग और एम एंड आर के तहत 3 परियोजनाएं शामिल हैं। एनएचआईडीसीएल ने 31 मार्च 2019 तक कुल 43 किमी लंबाई का कार्य पूरा कर लिया है।

5.11 **त्रिपुरा** में एनएचआईडीसीएल के पास 11,461 करोड़ रुपए की प्राक्कलित परियोजना लागत पर 721 किमी लंबाई की कुल 11 परियोजनाएं हैं। इसमें सबरूम में फेनी नदी पर बड़ा पुल शामिल है जो त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा और इसकी संस्वीकृत लागत 128.69 करोड़ रुपये है। 85 किमी के मानु - सिमलंग के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है। शेष परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है। एनएचआईडीसीएल ने 31 मार्च, 2019 तक 131 किमी की कुल लंबाई पूरी कर ली है।

5.12 **उत्तराखंड** में, मंत्रालय ने एनएचआईडीसीएल को 13,118 करोड़ रुपए की प्राक्कलित परियोजना लागत की कुल 849 किमी लंबाई की 15 परियोजनाएं दी हैं। एनएचआईडीसीएल को रुद्रप्रयाग - जोशीमठ का अनुरक्षण और निर्माण भी सौंपा है, मार्च, 2018 में यह परियोजना 3 पैकेजों में सौंपी गयी है जिसमें एनएच (ओ) के अंतर्गत 6.635 किमी लंबाई की 3 परियोजनाएं सौंपी गयीं हैं, इसमें चार धामों में से एक धाम यमुनोत्री को सभी मौसम में जोड़ने वाली सिल्क यारा सुरंग भी शामिल है, जिसकी लंबाई 4.86 किमी है और अधिनिर्णीत लागत 853.79 करोड़ रुपये है, जिसे मई 2018 में सौंपा गया था।

5.13 **पश्चिम बंगाल** राज्य में 4,217 करोड़ रुपए की प्राक्किलित परियोजना लागत से 101 किमी लंबाई की कुल 8 परियोजनाओं में से एक 114.74 करोड़ रुपये की संस्वीकृत लागत पर नेपाल को जोड़ने वाली परियोजना मेछी पुल (1.4 किमी) है। सागर द्वीप और काकद्वीप के बीच संपर्क सड़क के निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 26.5 किमी की कुल लंबाई की बागराकोट से काफेर का निर्माण मार्च 2018 में एसएआरडीपी के अंतर्गत सौंपा गया है। 13 किमी लंबाई की बागराकोट से काफेरसे गंगटोक तक वैकल्पिक राजमार्ग का निर्माण और उन्नयन मार्च, 2019 में एसएआरडीपी के तहत सौंपी गयी है।

5.14 **अंडमान और निकोबार द्वीप** में एनएचआईडीसीएल को 3,415 करोड़ रुपए की लागत पर 459 किमी लंबाई की 19 परियोजनाओं की जिम्मेसदारी दी गई है। 3 परियोजनाएं जिनकी लंबाई 116.9 किमी है, सौंपे जाने की प्रक्रिया में है। राष्ट्रीय राजमार्ग - 4 (पुराना एनएच 223) की हालत बहुत खराब थी और अब इसकी जिम्म्ेदारी एनएचआईडीसीएल को दी गई है। शेष बहाली का काम मार्च 2018 में शुरू किया गया था। यह सड़क पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन की बनाई जा रही है और इसके साथ ही इस पर 3 बड़े पुल मिडिल स्ट्रेट क्रीक, हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक और चैथम आईलैण्ड पर बनाए जाने हैं। 64.30 किमी की कुल लंबाई के जारवा क्षेत्र का पुनर्वासन और उन्नयन मार्च, 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के तहत सौंपा गया था, 55 किमी की कुल लंबाई के पुनर्वासन और उन्नयन की 1 परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के तहत सौंपी गयी थी। वर्ष 2019 में कुल 83 किमी लंबाई की 4 परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के तहत पुनर्वासन कार्य हेतु सौंपी गयी है। 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक एनएचआईडीसीएल ने कुल 81 किमी लंबाई का कार्य पूरा कर लिया है।

5.15 **एनएचआईडीसीएल को सौंपी गई भारतमाला परियोजनाएं** - आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति ने 24 अक्टूबर 2017 को आयोजित अपनी बैठक में 'भारतमाला परियोजना' के चरण - 1 के निवेश अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार किया

और यह पॉच वर्षों की अवधि में क्रियान्वित की जाएगी। अनुमोदित घटकों में सीमा सड़क, अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता सड़क, आर्थिक कॉरिडोर (एनईआर) एवं फीडर मार्ग ख्र अंतर्देशीय जल मार्ग शामिल हैं। कंपनी को भारतमाला परियोजना के तहत 4,864 किमी की लंबाई की जिम्मेदारी दी गई है जिसका विवरण इस प्रकार है:

सारांश						
क्रम संख्या	वर्गीकरण	एनएचआईडीसीएल द्वारा सिविल कार्य किया जाना है	शेष कार्य-व्याप्ति की स्थिति		
			डीपीआर पूरी की गई (किमी में)	डीपीआर पूरी की जा रही है (किमी में)	डीपीआर आमंत्रित और अभी सौंपे जाने हैं
1	सीमा सड़कें	1436	-	1366	70
2	अंतर-राष्ट्रीय सड़क संपर्क	945	673	272	-
3	आर्थिक कॉरीडोर (एनईआर)	2180.7	78	2102.7	-
4	फीडर पथ- अन्तरदेशीय जलमार्ग	302.3	-	302.3	-
	कुल जोड़	**4864**	**751**	**4043**	**70**

5.16 **एनएचआईडीसीएल द्वारा अंतर-राष्ट्रीय सड़क संपर्क स्थापित किया जाना** – यह कंपनी नेपाल, बांगलादेश और म्यांमार के साथ सीमापार सड़क संपर्क तैयार करने में निम्न लिखित परियोजनाओं के माध्यम से महत्वापूर्ण भूमिका निभा रही है:

- त्रिपुरा को बंगलादेश से जोड़ने के लिए सबरूम में फेनी नदी पर पुल का निर्माण।
- इम्फाल-मोरेह रोड और मोरेह बाईपास के निर्माण से म्यांनमार के साथ व्याापार सुकर हो सकेगा। मोरेह में बनाया जाने वाला थल-पत्तसन निर्माणाधीन है जिसे लैण्ड पोर्ट और कस्टम विभाग द्वारा बनाया जा रहा है।
- मिजोरम में आईजॉल से तुईपांग तक राष्ट्रीय राजमार्ग – 54 को 351 किमी लंबाई में 2 लेन का बनाए जाने से इस राष्ट्रीय राजमार्ग की महती भूमिका मिजोरम से होकर सीमापार म्यांनमार से सीमा व्यापार में होगी। लैण्ड पोर्ट और कस्टम विभाग द्वारा दो थल-पत्तनों का विकास किया जा रहा है।
- एशियन राजमार्ग (एएच-02) पर 6 लेन के मेछी पुल के निर्माण से पश्चिम बंगाल से होकर सीमापार नेपाल के साथ व्यापार सुधर जाएगा।

5.17 'जीआईसीए' निधिबद्ध परियोजनाएं

I. प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने मेघालय और मिजोरम में राष्ट्रीय राजमार्गों की 403 किमी लंबाई के विकास के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। 403 किमी में से लगभग 52 किमी लंबाई मेघालय में होगी और 351 किमी लंबाई मिजोरम में होगी। यह परियोजना ईपीसी विधि से निष्पारदित की जाएगी।

ii. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं निर्माण-पूर्व अन्य गतिविधियों की लागत सहित कुल प्राक्कलित लागत 6,721 करोड़ रुपए है। परियोजना के कायन्वियन का काम वित्त वर्ष 2017-18 में शुरू कर दिया जाएगा। सिविल कार्य वर्ष 2021 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और अनुरक्षण कार्य वर्ष 2025 तक पूरे कर लिए जाने की आशा है।

iii. इस परियोजना से मेघालय और मिजोरम में अवसंरचना में सुधार होने से उप-क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे अंतर-राज्यीय सड़कों और अंतर-राष्ट्रीय सीमाओं के साथ सड़क संपर्क में भी सुधार होगा। दो लेन मानक का बनाए जाने का कार्य 'उत्तर-पूर्व सड़क नेटवर्क संपर्क परियोजना चरण-।' योजना के तहत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीआईसीए) की ऋण सहायता से किया जाएगा।

iv. जेआईसीए सहायता से निर्मित किए जाने वाला 4,997.04 करोड़ रुपये की लागत का 19.282 किमी लंबा धुबरी – फुलवारी पुल को सीसीईए ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

5.18 एनएचआईडीसीएल को सौंपी गई परियोजनाओं की स्थिति

5.18.1 सौंपी गई लंबाई: एक नजर में

एनएचआईडीसीएल के कार्य का अवलोकन

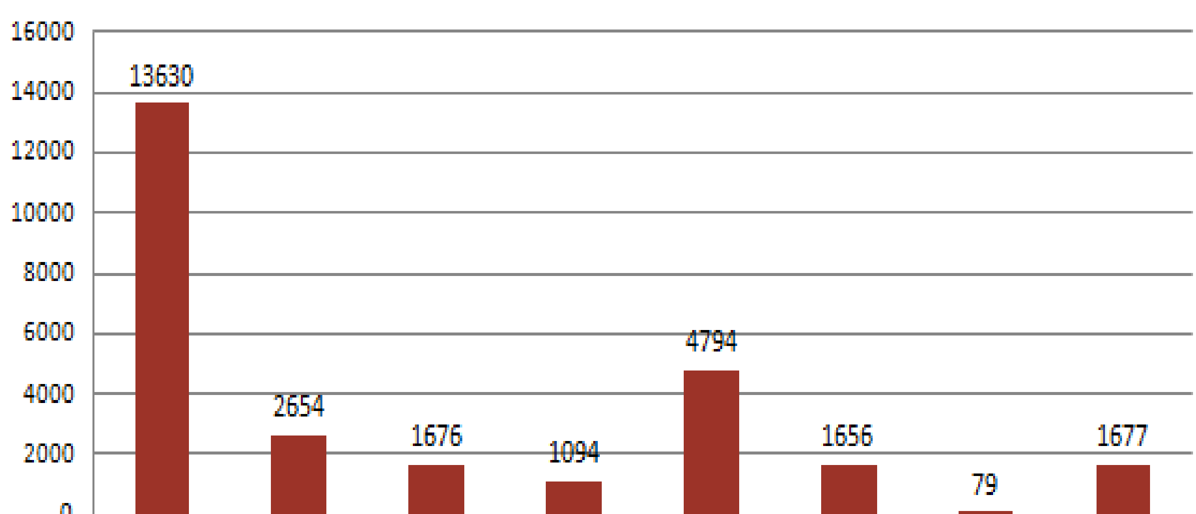

	कुल लंबाई	SARDP /NHDP-II	NH(O)	JICA/ ADB	BMP Projects	NH in principle	NEC	Others
लंबाई (किमी)	13630	2654	1676	1094	4794	1656	79	1677

5.18.2 कार्यान्वयन/निर्माण के अधीन परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	राज्य	पैकेजों की संख्या	लंबाई (किमी में)
1	अंडमान एवं निकोबार	17	457
2	अरुणाचल प्रदेश	35	1050
3	असम	84	3243
4	हिमाचल प्रदेश	3	198
5	जम्मू एवं कश्मीर	13	816
6	मणिपुर	32	2096
7	मेघालय	21	1200
8	मिजोरम	9	843
9	नागालैण्ड	25	834
10	सिक्किम	17	751
11	त्रिपुरा	10	648
12	उत्तराखंड	17	849
13	पश्चिम बंगाल	8	101
	जोड़	**291**	**13630**

5.18.3 वित्त वर्ष 2019-20 में सौंपे जाने के लिए नियोजित परियोजनाएं

परियोजनाएं जिन्हें वित्त वर्ष 2019-20 में सौंपे जाने की संभावना है

क्रम संख्या	राज्य	कुल सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपये में)
1	अरुणाचल प्रदेश	1	8.0	690
2	असम	3	81	6187
3	मणिपुर	7	424	7100
4	मेघालय	6	553	9080
5	मिजोरम	3	189	2835
6	नागालैण्ड	2	161	2595
7	उत्तराखंड	2	233	3502
8	पश्चिम बंगाल	1	6	90
	सकल योग	25	1655	32078

5.19 पारदर्शिता हेतु सूचना-प्रौद्योगिकी पहलें

राजमार्ग, पुल एवं सुरंगें बनाने की अपनी मूल क्षमता के अलावा कंपनी ने प्रापण, कार्य प्रगति, परियोजनाओं की सुपुर्दगी, निविदाएं आमंत्रित करने में पारदर्शिता लाने के लिए और परामर्शदाताओं, प्राधिकरण अभियंता एवं संविदाकारों की सेवाएं सिविल कार्य के प्रापण एवं डीपीआर तैयार कराने के लिए लेने में प्रतिस्पिर्धात्मेक चयन पद्धति बनाने के लिए डिजिटल पहलें शुरू की हैं।

5.19.1 अवसंरचना परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए इन्फ्राकॉन पोर्टल का विकास

I. अवसंरचना क्षेत्र, विशेष रूप से सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र में काम करने वाली परामर्शदाता फर्मों एवं परामर्शदाताओं के लिए 'इन्फ्राकॉन' एक वैब-आधारित राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। ये परामर्शदाता सार्वजनिक निकायों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के काम में भी लगाए जाते हैं। इन्फ्राकॉन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि परामर्शदाता फर्मे और प्रमुख कार्मिक अपनी योग्यताओं के बारे में ऑनलाइन सूचना अपलोड कर सकें और उस तरीके एवं प्रारूप में कर सकें जिस में उनके तकनीकी प्रस्तानवों का स्वचालित आकलन हो सके। इस पोर्टल पर यह सुविधा है कि फर्मों एवं कार्मिकों के आत्म-विवरण/कार्य-विवरण एवं योग्यताओं को 'आधार' एवं डिजी-लॉकर से संबद्ध करके ऑनलाइन अभिप्रमाणित किया जा सकता है।

इस पोर्टल पर सार्वजनिक एजेंसियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है कि वे इन्फ्राकॉन के माध्यम से तकनीकी प्रस्तावव प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए फर्मों और प्रमुख कार्मिकों को पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। निविदा प्रस्तुति के दौरान प्रस्तुकत किए जाने वाले दस्तावेजों के बोझ में भारी कमी लाने के लिए और प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पोर्टल पर कैप्चर की जा रही सूचना और इनपुट फॉर्मों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इससे मूल्यांकन प्रक्रिया के स्वसचालन में सहायता मिलती है और तीव्र एवं प्रभावी निर्णयन का रास्ता खुलता है। अभी तक 1049 फर्मों और 12210 प्रमुख कार्मिकों ने एनएचआईडीसीएल के साथ काम करने के लिए इन्फ्रीकॉन पर पंजीकरण कराया है।

5.19.2 बी टू बी लेनदेन के लिए एक साझा मंच के रूप में इनाम प्रो+ का विकास

इनाम प्रो (www.nmpro.nic.in) एक वेब आधारित मंच और मार्केटप्लेस है जो अवसंरचना और सामग्री प्रदाताओं के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और चुस्त तरीके से कारोबार करने के लिए है। इस मंच से, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का उद्देश्य बुनियादी ढांचा क्षेत्र को सामग्री की कमी, सामग्री मूल्यो में अबोध परिवर्तनों के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि जैसी बाहरी बाधाओं जिसने ऐतिहासिक रूप से अवसंरचना विकास क्षेत्र को ग्रस्त किया है, से मुक्त करना है। यह पोर्टल कंपनियों के लिए उनके उत्पादों, स्टॉक के साथ कीमतों और क्रेताओं के लिए अन्य जानकारी प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करके, बुनियादी ढांचा सामग्री उद्योग में आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन पर आधारित बुनियादी ढांचे की सामग्री की कीमत को स्थिर करना है। यह पोर्टल नई प्रौद्योगिकी / उत्पाद निर्माताओं को भी बाजार तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जिससे ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के लिए अवसर की एक खिड़की खुल जाती है जिससे समावेशी विकास होता है। अब तक कुल 849 खरीदारों, 215 विक्रेताओं को 660 उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है।

5.20 एनएचआईडीसीएल को सौंपी गयी परियोजनाओं के लिए दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि के लिए व्यय की गयी निधि और उस अवधि के लिए संभावित व्यय को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट -6** में दिया गया है।

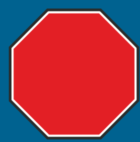

रुकिए
Stop

सत्यमेव जयते
Ministry of Road Transport & Highways
Government of India

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा

Golden rules of Road Safety
सड़क सुरक्षा के स्वर्णिम नियम

Be a good samaritan अच्छे नागरिक बनिए	Stop or slow down अच्छे नागरिक बनिए
Pedestrians have the right of way सड़क पर सबका अधिकार	Don't overspeed तेज़ गति से वाहन मत चलाईए
Cyclists have the right of way सड़क पर सबका अधिकार	Never drink and drive नशे में वाहन न चलाएं
Never use mobile while driving वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें	Never drive on the wrong side विपरीत दिशा में गाड़ी न चलाएं
Always wear seatbelt सीट बेल्ट का प्रयोग करें	Use child restraint system शिशु सुरक्षा प्रणाली का उपयोग करें
Always wear helmet हेलमेट पहनें	Give way to emergency vehicles आपातकालीन सेवा वाहनों को रास्ता दें

यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ–कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच–चौकियों पर लगाते हैं।

This is one of the most important and prominent Road Signs. This sign indicates that driver should immediately stop. Usually Police, traffic and toll authorities use this sign at check posts.

अध्याय-VI

6.1 सड़क परिवहन, भारत में यातायात हिस्सा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान - दोनों ही दृष्टि से परिवहन का प्रमुख साधन है। माल और यात्रियों की आवाजाही को सुविधानजक बनाने के अलावा, सड़क परिवहन देश के सभी क्षेत्रों में न्यायोचित रीति से सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वेपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की सामाजिक और आर्थिक एकता एवं विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलभता, संचालन में लचीलापन, घर-घर तक सेवा पहुंचाने और विश्वसनीयता के कारण सड़क परिवहन ने परिवहन के अन्य, साधनों की तुलना में यात्री एवं माल की आवाजाही- दोनों में श्रेष्ठरतर स्थान अर्जित किया है।

6.2 यह मंत्रालय, पड़ोसी देशों के साथ वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करने/इसकी मॉनीटरिंग करने के अतिरिक्त, देश में सड़क परिवहन के विनियमन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है ।

6.3 मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियमों/नियमावालियों, जिनमें मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीति निहित है, का प्रशासन किया जाता है -

- मोटर यान अधिनियम, 1988
- केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- वाहक अधिनियम, 1865 को निरस्त करके बना सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम 2007
- सड़क मार्ग द्वारा वहन नियमावली, 2011

6.4 राज्यों के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही को सुखद बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिनांक 08.05.2010 से एक नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली क्रियान्वित की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार 1000/- रुपए के घरेलू राज्य प्राधिकार शुल्का तथा 16,500/- रुपए प्रति वर्ष प्रति ट्रक के हिसाब से समेकित शुल्क का भुगतान करने पर गृह राज्य द्वारा राष्ट्रीय परमिट दिया जा सकता है और उससे परमिट धारक को देशभर में संचालन के लिए प्राधिकार प्राप्त हो जाता है। नई प्रणाली को दिनांक 15.09.2010 से राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्रर (एनआईसी) द्वारा विकसित वैब पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से भी क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय स्टेंट बैंक के माध्यम से वसूल किए गए समेकित शुल्कत को राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सहमत सूत्र के आधार पर आनुपातिक दर पर बांटा जाता है।

6.5 वर्ष 2018-19 के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा राज्य परिवहन/यातायात विभागों और नगर निगम के अधिकारियों के लिए प्रमुख ऑटोमोबाइल संस्थानों/रिसर्च एसोसिएशन और शैक्षिक संस्थानों नामत: केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) पुणे, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) पुणे, इंजीनियरिंग स्टारफ कॉलेज आफ इंडिया (ईएससीआई) हैदराबाद, भारतीय पैट्रोलियम संस्थाय (आईआईपी) देहरादून, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान

(आईआरटीई) फरीदाबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली इत्यादि के माध्यम से विभिनन कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण संचालित किए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें भाग लेने वालों को सड़क परिवहन क्षेत्र के प्रशासन के सभी पहलुओं की जानकारी दी जा सके और उभरती चुनौतियों का सामना करने का अनुभव प्रदान किया जा सके।

6.6 दिनांक 1.1.2018 से 31.3.2019 तक अन्या प्रमुख उपलब्धियां / पहलें :-

6.6.1 चालन अनुज्ञप्ति और पंजीकरण प्रमाण - पत्र के लिए समान प्रारूप

मंत्रालय ने सभी राज्यों में चालन अनुज्ञप्ति और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के प्रारूप में और कार्ड की गुणवत्ता में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु पूरे देश के लिए ऐसे प्रमाण पत्रों के लिए एक समान मानक प्रारूप और डिजाइन विहित किया है।

एक कागज या पुस्तिका आधारित चालन अनुज्ञप्ति या पंजीकण प्रमाण पत्र प्रदान करने के विकल्प को समाप्त कर दिया है। ऐसे प्रमाण पत्र केवल दो प्रकार के कार्डों अर्थात् पीवीसी आधारित या पॉलिकार्बोनेट में प्रदान किया जा सकता है। जारी की गयी अधिसूचना में सरकार द्वारा विस्तृत विनिर्देशन विहित किए गए हैं। संवर्धित विनिर्देशन उच्च मानक के हैं और वे टिकाऊ और गुणवत्ता परक कार्ड सक्षम करेंगे। राज्य् सरकारों को कार्ड की सामग्री के प्रकार संबंधी निर्णय लेने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा, एक चिप आधारित स्मा्र्ट कार्ड प्रदान करने के लिए वैकल्पिक विशिष्टताएं या इसके अलावा एक संपर्क रहित विशिष्टियां (एनएफसी) प्रदान करने का विकल्प भी प्रदान किया गया है, जो राज्य विहित कर सकते हैं।

कार्ड पर एक क्यू आर कोड विहित किया गया है। इससे सारथी या वाहन डेटाबेस से कार्डों की सूचना को लिंक करना और प्राप्ति करना और वैधीकरण सक्षम करेगा। चूँकि मंत्रालय ने हाल में केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 का संशोधन जारी किया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवहन संबंधित दस्तावेजों समर्थ होगा, क्यूजआर कोड प्रवर्तन प्राधिकारियों को सुविधा प्रदान करेगा।

6.6.2 चालन अनुज्ञप्ति में पता नवीकरण / परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता को हटाना

मंत्रालय ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 28 फरवरी 2019 की एक परामर्शी भेजी है जिसके तहत अनुज्ञापन प्राधिकरणों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहकर मैन्युतअल तरीके से सत्यापन की पुरानी प्रक्रिया बंद करने और रोकने और नागरिकों की सुविधा के लिए चालन अनुज्ञप्ति का ऑनलाइन सत्यापन का अनुपालन करने के निदेश दिए गए हैं।

6.7 नियम विनियम

(i) सड़क नियमन के नियम

इस मंत्रालय ने 23 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 634 (अ) के तहत अन्यं सड़क प्रयोक्ताओं और आम लोगों के प्रति सड़क प्रयोक्ताओं के कर्तव्यल तथा वाहनों द्वारा सड़कों के प्रयोग के बारे में नियम अधिसूचित किया है।

(ii) **ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का प्रयोग**

इस मंत्रालय ने 27 जून, 2017 की अधिसूचना जी.एस.आर. 643 (अ) के तहत एलएनजी के लिए द्रव उत्समर्जन मानक अधिसूचित किया है ताकि इसे ओटोमेटिव ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सके।

(iii) **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बस बॉडी संहिता और ट्रक बॉडी संहिता का मानकीकरण**

इस मंत्रालय ने 10 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सा.का.नि. 1378 (अ) के तहत यह प्रस्ताव किया है कि एम2 और एम3 श्रेणी की सभी पूर्णत: निर्मित बसें जो 1 अप्रैल, 2019 को या इसके बाद मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा विनिर्मित की जाएंगी, एआईएस:153 के अनुरूप होंगी जिससे कि वे बसें अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा कर सकें।

6.8 सड़क सुरक्षा

सड़क सुरक्षा के परिमाण और गंभीरता और अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोगों विशेषकर निम्न आय वाले, के सामान्यए कल्याााण पर नकारात्मंक प्रभाव को देखते हुए यह चिंता का जटिल विषय है। हर वर्ष 10 प्रतिशत की चक्रवृद्धि बढ़ोत्तरी की दर से बढ़ रहे मोटरीकरण और फैलते जा रहे सड़क नेटवर्क की स्थिति में यात्रा जोखिम एवं यातायात से खतरा काफी तेज गति से बढ़ रहा है। आज सड़क यातायात से लगने वाली चोटें, मौत के, अशक्तता के और अस्पताल में भर्ती होने के प्रमुख कारणों में से एक हैं और पूरी दुनियां में इसके गंभीर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव सामने आ रहे हैं।

मंत्रालय ने देश में सड़क सुरक्षा परिदृष्य में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है। इस नीति में जागरूकता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस स्थापित करने, सुबोध परिवहन के अनुप्रयोग सहित अधिक सुरक्षित सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने और सुरक्षा से संबंधित नियमों का प्रवर्तन करने जैसे विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा प्रचालित सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण योजनाओं में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान, चालन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु संस्थानों की स्थापना करने की योजना, असंगठित क्षेत्र में ड्राइवरों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना और मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम (एनएचएआरएसएस), निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र स्थापित करना और सड़क सुरक्षा तथा प्रदूषण परीक्षण उपकरण और कार्यक्रम कार्यान्वयन इत्यादि जैसी स्कीमें शामिल हैं।

6.9 नया दुर्घटना संसूचना प्रारूप

एक मजबूत सड़क सुरक्षा कार्य योजना के लिए एक मजबूत डेटाबेस के आवश्यकता होती है। इसलिए संसूचना के वर्तमान प्रारूप को आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, डब्ल्यूएचओ, पुलिस और राज्यों के परिवहन विभागों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया है। दुर्घटना संसूचना के नये प्रारूप को सभी राज्यों द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है और यह आने वाले वर्षों में सड़क सुरक्षा को सशक्त करने के लिए मुख्य जोखिम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।

6.10 शिक्षा और जागरूकता

I. सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए एक बहु-मुखी कार्य-नीति के रूप में प्रचार उपायों और जागरूकता अभियानों की योजना के माध्यम से आम जनता के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता और हिमायत गतिविधियां चलाई जाती हैं। मंत्रालय का प्रयास है कि सड़क सुरक्षा को एक सामाजिक आंदोलन बना दिया जाए। इस के लिए सरकार टीवी स्पॉट/रेडियों जिंगलों के प्रसारण के रूप में, सिनेमा स्लाइडों, होर्डिंगों के प्रदर्शन, सड़क सुरक्षा सप्ताह, संगोष्ठियों, प्रदर्शनों का आयोजन करके, सड़क सुरक्षा के बारे में अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित करके, सड़क सुरक्षा सुधारने के काम में लगे हितधारकों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार देकर, सड़क प्रयोक्ताओं के विभिन्नो वर्गों जैसे पदयात्रियों, साइकिल सवारों, स्कूली बच्चों, भारी वाहन चालकों आदि के लिए हैंडबिल/स्टिकर, पोस्टलर आदि जिनमें सड़क सुरक्षा संदेश शामिल होते हैं, छपवाकर, सड़क सुरक्षा गेम, कैलेण्डर जिनमें सड़क सुरक्षा संदेश आदि का वर्णन होता है, डिजाइन एवं मुद्रित कराकर विभिन्न प्रचार उपाय करती रही है।

ii. सड़क सुरक्षा ब्रांड एंबेसडर के रूप में श्री अक्षय कुमार की नियुक्ति : सड़क सुरक्षा की दिशा में जन जागरूकता सृजित करने के लिए तीन लघु फिल्में चलाई गयी हैं।

iii. राज्यों में आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला : विभिन्न राज्यों में सड़क सुरक्षा विषय पर हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए 14 कार्यशालाएं मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की गयी और राज्यों द्वारा आयोजित की गयी।

iv. सड़क सुरक्षा का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान सभी हितधारक अर्थात राज्य सरकार, कारपोरेट हाउस, ऑटो उद्योग और उनके संघ, विश्वविद्यालय, संस्थान, गैर-सरकारी संगठन और समस्त समाज मिलकर ही निकाल सकते हैं। इसलिए मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि आम जनता में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाए। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान मंत्रालय द्वारा 203 गैर सरकारी संगठनों को सड़क सुरक्षा की हिमायत करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की गयी।

v. सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्क से मंत्रालय प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करता है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी वकालत / प्रचार अभियान जोर शोर से चलाया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान 29वां और 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्तायह आयोजित किया गया।

6.11 वाहनों की फिटनेस की जॉच करने के लिए आदर्श स्वचालित केंद्र

सुरक्षा एवं उत्सर्जन अपेक्षाओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब वाहन नियमित अंतराल पर फिटनैस परीक्षण से गुजरें इसीलिए मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि वाहनों के लिए एक उपयुक्त ढंग से तैयार की गई निरीक्षण एवं अनुरक्षण प्रणाली लागू की जाए। तदनुसार, हर राज्य में ऐसा एक-एक केन्द्र स्थापित करने के लिए स्वचालित निरीक्षण एवं प्रमाणन (आई एंड सी) केन्द्र का एक मॉडल योजना मंत्रालय ने तैयार और अनुमोदित किया है। मंत्रालय ने एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाणिज्यिक वाहनों के फिटनेस का परीक्षण करने के लिए 21 स्वचालित निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र संस्वीकृत किए हैं। ये केंद्र भारी वाणिज्यिक वाहनों की सड़क योग्यता का निष्पक्ष मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेंगे।

उत्साहवर्द्धक अनुभव के आधार पर, मंत्रालय ने 14वें वित्तीय चक्र के दौरान और निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र, शेष राज्यों / संघ क्षेत्रों में एक - एक, स्थापित करने की योजना बनाई है।

6.12 सड़क अभियांत्रिकी उपाय

(I) दुर्घटना ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार

ब्लैक स्पॉट (राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थान) की पहचान और सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभियांत्रिकी उपायों के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए हैं। 2011, 2012, 2013 और 2014 कैलेंडर वर्षों में घातकताओं के आधार पर 789 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई और प्रत्येक स्पॉट को निर्दिष्ट विशिष्ट आईडी नंबरों के साथ अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट की जांच और सुधार के लिए दिशानिर्देश तैयार और अधिसूचित किए गए हैं। अब तक 340 स्पॉट पहले ही ठीक किए जा चुके हैं। 273 स्थानों पर सुधार के उपायों को मंजूरी दी गई है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 139 स्पॉट राज्य सरकार / अन्य एजेंसियों के अधीन हैं। शेष 37 स्थान पर अलग से प्रबंध किया जाएगा या चालू परियोजनाओं के हिस्से के रूप में सुधार लाया जाएगा।

चूँकि जांच, ब्लैक स्पॉट पर सुधार के उपायों के डिजाइन की प्रक्रिया में समय लगता है, सड़क उपयोगकर्ताओं को संकेतों, सौर ब्लिंकर और गति में कमी बाधाओं के माध्यम से सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट के बारे में सतर्क और सावधान करने के लिए तत्काल सावधानी के उपाय स्थापित और परिचालित करने का निर्णय लिया गया है। अब तक 280 किमी की लंबाई के लिए क्रैश बैरियर लगाने को मंजूरी दी गई है। ब्लैक स्पॉट के दीर्घकालिक स्थायी उपायों के माध्यम से ठीक हो जाने तक सावधानी बरतने के उपाय किए जा रहें हैं।

मंत्रालय ने सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु चिन्हित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट के सुधार के लिए विस्तृत आकलन करने के प्रयोजन के लिए तकनीकी स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

(ii) सड़क सुरक्षा संपरीक्षा

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा आयोजित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और अधिसूचित किए गए हैं। सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर ही सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। विभिन्न चरणों में सड़क सुरक्षा संपरीक्षा को ईपीसी और बीओटी मोड पर सभी सड़क विकास परियोजनाओं का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया है जो विस्तृंत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) / आभियांत्रिती डिजाइन के चरण में 5 किमी या उससे अधिक की सभी नई सड़क परियोजनाओं के लिए सड़क सुरक्षा संपरीक्षा आयोजित करना अनिवार्य करता है। इसके अलावा, 1382 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों खंडों को उन पर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए स्वतंत्र सड़क सुरक्षा संपरीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दी गई है।

(iii) क्रैश बैरियर की संस्थाहपना

मंत्रालय ने दुर्घटना संभावित स्थानों पर, मुख्य रूप से पहाड़ी राज्यों में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहाड़ी इलाकों में क्रैश बैरियर लगाने का काम किया है। खंडों की पहचान और चयनित प्रकार के क्रैश बैरियरों की स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर एक रिपोर्ट तैयार और परिचालित की गई है। अब तक 280 किमी की लंबाई के लिए क्रैश बैरियर लगाने को मंजूरी दी गई है।

(iv) **यातायात शांति उपायों के लिए आईआरसी के दिशानिर्देश**

आईआरसी ने आईआरसी : 99-2018 ''ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यातायात शांति उपायों के लिए दिशानिर्देश'' जारी किया है।

6.13 वाहनों में सड़क सुरक्षा

(I) **एम1, एम2 श्रेणियों और दुपहियों में अनिवार्य एबीएस प्रणाली**

एम1, एम2 श्रेणियों और दुपहियों में, नये वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2018 से मौजूदा वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2019 से एबीएस प्रणाली अनिवार्य कर दिया गया है।

(ii) **स्वत: हेड लाइट ऑन**

भारत में दुपहिया वाहनों के लिए सड़कों को सुरक्षित करने के प्रयास में मंत्रालय ने अप्रैल 2017 से दुपहिया वाहनों में 'स्वत: हेड लाइट ऑन' (एएचओ) की अनिवार्यता अधिसूचित की है।

(iii) **क्रैश परीक्षण**

क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा सभी हल्के मोटर वाहनों हेतु क्रैश परीक्षण अधिसूचित किया गया है।

(iv) **गति सीमा**

6 अप्रैल 2018 को वाहन, सड़क श्रेणी और क्षेत्र के अनुसार राष्ट्रीय अधिकतम गति सीमा अधिसूचित की गयी है।

(v) **एयर बैग्स**

मंत्रालय ने एक मानक एआईएस - 145 को अंतिम रूप दिया जिसे अधिसूचित किया जा रहा है।

(vi) **बस बॉडी संहिता**

मंत्रालय ने बस बॉडी संहिता अधिसूचित कर दिया है।

(vii) **ट्रक बॉडी संहिता**

मंत्रालय ने ट्रक बॉडी संहिता अधिसूचित कर दिया है।

(viii) **कारों में गति चेतावनी प्रणाली**

1 जुलाई 2019 के पश्चात विनिर्मित सभी कारों को 80 किमी प्रति घंटा से अधिक की गति के लिए चेतावनी प्रणाली से सुसज्जित करना अनिवार्य होगा।

(ix) **रेड बीकन बत्ती**

देश में स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर आपातकालीन, संचालन और राहत सेवाओं, आदि से जुड़े लोगों को छोड़कर देश में सभी प्रकार के वाहनों के सभी प्रकार के बीकन को हटा दिया है।

(x) **नये हेलमेट डिजाइन में वजन कमी**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और बीआईएस ने नये हेलमेट डिजाइन से 300 ग्राम वजन कम कर दिया है।

श्री अक्षय कुमार के साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

माननीय मंत्री वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले वाहनो का निरीक्षण करते हुए

टोल - ऑपरेट - ट्रांसफर पर प्रकाशन का विमोचन

नागपुर में आईआरसी का 79वां वार्षिक सत्र

साइकिल–सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए, साइकिल–सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जहां यह चिन्ह लगा हो।

In order to ensure the safety of cyclists certain roads which are meant for fast moving vehicles are prohibited for cyclists. So the cyclists should not use the roads where this sign has been installed.

अध्याय-VII

वर्ष 2018-19 के दौरान अनुसंधान और विकास:

7.1 सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की भूमिका, परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और गुणता नियंत्रण के लिए राजमार्ग आयोजना, डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण में नई प्रकार की निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने तथा नई तकनीकें संस्तुत करने हेतु सड़क एवं पुल निर्माण कार्य से संबंधित विनिर्देशों को अद्यतन करने की है। मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीमें सामान्यीत: "अनुप्रयुक्त" स्वरूप की होती हैं जो एक बार पूरी हो जाने पर, प्रयोक्ता एजेंसियों/विभागों द्वारा अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में अपनाई जा सकती हैं। इनमें सड़क, पुल, यातायात और परिवहन इंजीनियरी आदि क्षेत्र आते हैं। अनुसंधान कार्य, विभिन्न ख्याति प्राप्त, अनुसंधान व शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार भारतीय सड़क कांग्रेस के माध्यंम से ''भारतीय राजमार्ग में शोध'' डाइजेस्ट के प्रकाशन और इन निष्कर्षों को भारतीय सड़क कांग्रेस के मार्गदर्शी निर्देशों/कोडों/ अभ्यास संहिताओं/मैनुअलों में, मंत्रालय के विनिर्देशों में, अत्याधुनिक रिपोर्टों को तैयार करने में और मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों/परिपत्रों में शामिल करके किया जाता है। मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा, नाजुक सड़क प्रयोक्ताओं और शारीरिक रूप से अशक्त व्याक्तियों की सुरक्षा में सुधार किए जा रहे हैं। इस प्रकार, अनुसंधान कार्य की देश में सड़क अवसंरचना संबंधी विकास में महत्वजपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2018-19 के दौरान अनुसंधान और विकास के लिए 40.88 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

7.2 अनुसंधान और विकास संबंधी प्रस्तारव

वित्तय वर्ष 2018-19 में सड़कों एवं पुलों के विकास के लिए निम्नलिखित अनुसंधान योजनाएं संस्वीकृत की गयीं हैं :

(I) संक्षारण रोधी लेप सहित विभिन्न सुदृढीकरण बार सामग्रियों का संक्षारण, भिन्न पर्यावरण अनावरण हालात में सतह लेप से उपचारित कंक्रीट का अध्ययन करने के लिए 62.79 लाख रुपये की अनुसेधान योजना।

(ii) एस्फायल्टि मिश्रणों की आयतनी / निष्पाधदन संलक्षण द्वारा मापांक के आकलन के लिए अनुसंधान के लिए 36.00 लाख रुपये की राशि।

7.3 नई सामग्री और तकनीकें:

7.3.1 मंत्रालय का प्रयास रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर नई/वैकल्पिक सामग्री/प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए मंत्रालय ने भारतीय सड़क कांग्रेस की सहायता से प्रत्यारयन की प्रक्रिया आरंभ की है। तथापि, सूचना है कि परियोजना इंजीनियरों, डिजाइनरों और परामर्शदाताओं से नई/वैकल्पिक सामग्री/प्रौद्योगिकियों को अभी भी मामूली प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। इसलिए, मंत्रालय ने इनके अभिग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर नई सामग्रियों/प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में तेजी लाने के लिए मंत्रालय की एक समन्वयन समिति का गठन किया गया है जिसने अब तक 22 ऐसी नई सामग्रियों/तकनीकों का चयन किया है।

7.3.2 प्रक्रिया का सरलीकरण करने और राजमार्गों पर नई सामग्रियों और तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने निर्धारित किया है कि भारत और विदेश में उपयोगी सिद्ध होने वाली नई सामग्रियों/प्रौद्योगिकियों को प्रत्यायित माना किया जाएगा बशर्ते कि प्रवर्त्तक सिद्ध निष्पादन प्रस्तुतत करें और भारत में स्थायी कारोबार स्थापित करें। इसके अलावा मंत्रालय ने निदेश दिया है कि नई/वैकल्पिक सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकियों को क्षेत्र परीक्षणों में प्राथमिकता दी जाएगी और उनके कार्य निष्पादन का एक निर्धारित समय तक मूल्यांकन किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर भविष्य में उनके प्रयोग हेतु दिशा निर्देश और व्यवहार संहिता बनाई जा सके।

7.3.3 संस्तुति हेतु नवीन या नवाचारी प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और उपकरणों के कार्यान्वयन में सामने आने वाले तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रालय ने महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त सचिव श्री एस. आर. तांबे की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ पैनल (एनपीई) गठित किया है जिसमें 9 सदस्य शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय विशेषज्ञ पैनल को विभिन्नस वैकल्पि क प्रौद्योगिकियों की जांच का काम भी सौंपा जाएगा, जब नई प्रौद्योगिकी/वैकल्पिपक सामग्रियों/उपकरणों के प्रवर्तकों से अलग-अलग प्रस्ताव उनके सामने रखे जाएंगे। राष्ट्रीय विशेषज्ञ पैनल को या तो उपयुक्त मामलों में प्रायोगिक खंडों पर प्रयुक्त की जाने वाली नई प्रौद्योगिकियों/सामग्रियों के अनुमोदन की या फिर राजमार्गों के निर्माण में उनके प्रयोग के अनुमोदन की शक्तियां दी गई हैं। नई सामग्रियां और तकनीकें 'उपयोग काल लागत दृष्टिकोण' के आधार पर ढांचे की दृढ़ता, स्थायित्व, उच्चतर निष्पादन, पर्यावरणीय अनुकूलता और किफायती लागत बढ़ाने में मददगार होती हैं।

7.3.4 एनपीई समिति ने विस्तृत अध्ययन और निर्माण स्थल, जहां इस तकनीक का पहले ही उपयोग किया जा चुका है, पर जाने के बाद, एनएच -752 (लातूर-निलंगा-औरद खंड) पर प्रायोगिक परियोजना के रूप में किमी 42 + 050 (एकमात्र नदी) पर पुल संरचना के निर्माण में अल्ट्रा हाई-परफॉर्मेंस फाइबर प्रबलित कंक्रीट प्रौद्योगिकी (यूएचपीएफआरसी) के उपयोग की सिफारिश की। प्रायोगिक परियोजना का विस्तृत डिजाइन सलाहकार द्वारा तैयार किया गया है और आईआईटी मुंबई सहित किसी अन्य सलाहकार द्वारा प्रमाण की जांच की जानी है।

7.3.5 जियोसिंथेटिक्स

मंत्रालय मौजूदा आईआरसी संहिता / दिशानिर्देशों और मंत्रालय के विनिर्देशनों / दिशानिर्देशों के अनुसार बड़े पैमाने पर जियो-सिंथेटिक्स के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। तदनुसार, मंत्रालय ने दिनांक 16.07.2018 के अपने परिपत्र के तहत जियो-सिंथेटिक्स और सड़क निर्माण में उनके उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। सभी राज्य सरकारों को उनकी दर अनुसूची में विभिन्न प्रकार के जियो-सिंथेटिक्स को शामिल करने की भी सलाह दी गई है, ताकि जियो-सिंथेटिक्स को शामिल करके परियोजना की अनुमानित लागत पर काम किया जा सके। किसी भी परियोजना में जियो-सिंथेटिक्स के उपयोग की व्यवहार्यता का सभी निष्पादन एजेंसियों / राज्य सरकारों द्वारा डीपीआर चरण में ही पता लगाया जाना चाहिए और, तदनुसार, इसका उपयोग कार्य के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।

7.3.6 फ्लाई ऐश

मंत्रालय सड़क निर्माण में फ्लाई-ऐश के उपयोग की पैरवी करता है जिसे भारतीय सड़क कांग्रेस / मंत्रालय द्वारा विकसित मानकों और विनिर्देशों के अनुसार अनुमति दी गयी है। तदनुसार, मंत्रालय ने दिनांक 27.08.2018 के परिपत्र के तहत

दिशा-निर्देश जारी किए हैं। फ्लाई एश के भौतिक और रासायनिक गुणों और तटबंध निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली डिजाइन पद्धति आईआरसी: एसपी: 58: 2001 सड़क निर्माण में फ्लाई-ऐश के उपयोग के लिए दिशा निर्देश में विनिर्दिष्ट की गयी है। सड़क और पुल कार्य के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय विनिर्देशों के खंड 305 अर्थात तटबंध निर्माण, तटबंध निर्माण में फ्लाई-ऐश के उपयोग के विनिर्देश निर्धारित करता है। मंत्रालय ने सभी क्रियान्वयन एजेंसियों को थर्मल पावर प्लांट से 300 किमी के दायरे में प्रत्येक चालू परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली फ्लाई ऐश की मात्रा का आकलन करने की भी सलाह दी है।

7.3.7 अपशिष्टि प्लास्टिक

प्लास्टिक का सुरक्षित निपटान भारत में पर्यावरण की गंभीर समस्या है। प्लास्टिक नष्ट योग्य पदार्थ न होने के कारण यह लैंडफिल्स में चला जाता है, नालियों को अवरूद्ध करता है, जानवरों के लिए खतरा बन जाता है। माननीय मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण में बिटुमिनस मिक्स में प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 11-10-2018 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एनआरआरडीए) एवं एनएचएआई के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। एनएचएआई ने पहले ही तमिलनाडु राज्य में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए 11 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का निर्माण किया है।

7.3.8 पुनर्चक्रण

मंत्रालय ने 11 जनवरी, 2018 के अपने पत्र के तहत उन खंडों का चयन करने हेतु जहाँ हॉट इन प्ले्स पुनर्चक्रण किया जा सकता है, मापदंड सहित आवधिक नवीकरण (पीआर) कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हॉट इन प्लेस पुनर्चक्रण तकनीक के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी कार्यकारी एजेंसियों को भी हॉट इन प्लेस तकनीक पुनर्चक्रण तकनीक का उपयोग करते हुए सुधारे गए खंडों के निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी करने के निदेश दिए गए हैं। डिजाइन मिश्रण का चयन करते हुए हॉट इन प्लेस पुनर्चक्रण के लिए विचार किए गए मौजूदा खंडों के जॉच के संबंध में और साथ ही प्रदर्शन संबंधी प्रतिक्रिया की नियमित रूप से मंत्रालय को सूचित किया जाना चाहिए ताकि इस संबंध में दिशानिर्देशों को और आशोधन / में और सुधार किया जा सके।

7.4 सड़क सुरक्षा अभियांत्रिकी

7.4.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गो पर अभियांत्रिकी उपायों के माध्यरम से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहा है। कलैंडर वर्ष 2011, 2012, 2013 और 2014 में हुई मौतों के आधार पर 789 ब्लैक स्पॉटों की पहचान की गई है और प्रत्येक स्पॉट को अद्वितीय आईडी संख्या देकर अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा ब्लैक स्पॉटों की जांच और सुधार के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए है और उन्हें अधिसूचित किया गया है। अब तक 340 ब्लैक स्पॉकटों को पहले ही ठीक किया जा चुका है। कुल 506 ब्लैक स्पॉट एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र में हैं, 144 ब्लैक स्पॉट राज्य पीडब्यूडी (एनएच) के क्षेत्राधिकार में हैं, 139 ब्लैक स्पॉट राज्य सरकार के अधीन हैं। एनएचएआई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 506 ब्लैक स्पॉटों में से 234 को पहले ही ठीक कर लिया गया है, 180 के कार्य सौंप दिए गए हैं और प्रगतिधीन हैं, 55 बोली प्रक्रिया के अधीन हैं और शेष 37 स्पॉट पर विचार किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी

(एनएच) के क्षेत्राधिकार के 144 स्पॉटों में से 106 को पहले ही ठीक कर लिया गया है, 33 के कार्य सौंप दिए गए हैं और प्रगतिधीन हैं और 4 बोली चरण में हैं।

7.4.2 चूंकि ब्लैकस्पॉटों की जांच और सुधार उपाय करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है, दीर्घकालिक स्थायी उपायों के माध्यंम से ब्लै क स्पॉटों को ठीक किए जाने तक संकेतकों, सोलर-ब्लिंकर्स और गतिरोधक उपायों द्वारा सड़क दुर्घटना संभावित ब्लै क स्पॉटों के बारे में सड़क प्रयोक्ताओं को सावधान और सजग करने के लिए तत्काल चेतावनी उपाय स्था पित करने का निर्णय लिया गया था।

7.4.3 राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षाएं शुरू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और उन्हे अधिसूचित किया गया है। ईपीसी/बीओटी पद्धति पर वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए सड़क सुरक्षा संपरीक्षाओं को अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने परिपत्र जारी किया है जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) / अभियांत्रिकी डिजाइन चरण में ही 5 किमी या अधिक लंबाई वाली सभी नयी सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा संपरीक्षा निष्पादित करना अनिवार्य करता है। इसके अलावा, 1382 किमी. के राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के संबंध में, उन मार्गों की सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने के लिए स्वतंत्र सड़क सुरक्षा संपरीक्षा कराने की स्वीकृति दी गई है।

7.4.4 मंत्रालय ने मुख्यतया पहाड़ी राज्यों के दुर्घटना प्रवण अवस्थानों में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटना अवरोधक लगवाने का काम आरंभ किया है। मार्गखंडों की पहचान करने और चयनित किस्म के दुर्घटना अवरोधकों के संस्थापन से संबंधित भिन्न - भिन्न पहलुओं पर एक रिपोर्ट तैयार की गई और इसे परिचालित किया गया है। अभी तक 280 किमी की लंबाई में क्रैश बैरियर स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

7.5 मानकीकरण

इलाके, मिट्टी और जलवायु में परिवर्तनशीलता का सम्यक ध्यान रखते हुए डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण में मानकीकृत प्रथाओं का अंगीकरण ग्रामीण सड़कों सहित राजमार्ग सुविधाओं के कुशल और किफायती विकास के लिए अनिवार्य है। इस मोर्चे पर, आईआरसी ने सड़कों, पुलों और यातायात आभियांत्रिकी के विभिन्न पहलुओं पर मानकों, विनिर्देशों, संव्यवहार संहिताओं, दिशानिर्देश और नियमावली को तैयार / संशोधित करने में इस पेशे को मूल्यवान योगदान दिया है। इस पेशे के हितलाभ के लिए विभिन्न केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों, अनुसंधान संगठन, शैक्षणिक संस्थान (अर्थात, आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज), निजी हितधारक, बहुपक्षीय संगठन आदि के राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से गठित आईआरसी की 27 तकनीकी समितियां आयोजना, डिजाइन, निर्माण, अनुरक्षण, संचालन, मशीनरी, पर्यावरण, आईटीएस, सुरक्षा इत्यादि से संबंधित विषय पर सड़क क्षेत्र के मानकों को संरचित / संशोधित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। इस वर्ष के दौरान, आईआरसी डोमेन विषय तकनीकी समिति द्वारा 22 महत्वपूर्ण दस्तावेज / संशोधन तैयार किए गए और व्याकपक अंगीकरण हेतु अनुमोदित किए गए। दस्तावेजों के विवरण इस प्रकार हैं ;

1. आईआरसी : 37 ''गाइडलाइन्स फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स'' का पुनरीक्षण
2. आईआरसी : 52 ''गाइडलाइन्स फॉर द एलायनमेंट सर्वे एंड जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हिल रोड्स'' का पुनरीक्षण

3. आईआरसी : 79 ''रिकॉमेंडेड प्रेक्टिस फॉर रोड डेलिनिएटर्स'' का पुनरीक्षण
4. आईआरसी : एसपी : 16 ''गाइडलाइन्स ऑन मिजरिंग रोड रफनेस एंड नॉर्म्स'' का पुनरीक्षण
5. आईआरसी : एसपी : 17 ''गाइडलाइन्स फॉर कंक्रीट ओवरलेज ऑन कंक्रीट पेवमेंट्स'' का पुनरीक्षण
6. आईआरसी : एसपी : 36 ''गाइडलाइन्स ऑन आईआरसी स्टैंडर्ड्स'' का पुनरीक्षण
7. आईआरसी : एसपी : 40 ''गाइडलाइन्स ऑन रिपेयर स्ट्रैथनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कंक्रीट ब्रिजेज'' का पुनरीक्षण
8. आईआरसी : एसपी : 84 ''मैनुअल ऑफ स्पेशिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर फोर लेनिंग ऑफ हाइवेज'' का पुनरीक्षण
9. आईआरसी : एसपी : 87 ''मैनुअल ऑफ स्पेशिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर सिक्स लेनिंग ऑफ हाइवेज'' का पुनरीक्षण
10. आईआरसी : एसपी : 88 ''मैनुअल ऑन रोड सैफ्टी ऑडिट'' का पुनरीक्षण
11. नया ''गाइडलाइन्स फॉर ग्रीन रेटिंग ऑफ हाइवेज''
12. नयी ''एक्सप्लानेटरी हैंडबुक ऑन आईआरसी : 22 - 2015 : ''स्टैडर्ड स्पेशिफिकेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड ब्रिजेस, सेक्शन VI - कंपोजिट कंस्ट्रिक्शन''
13. नया ''गाइडलाइन्स ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ वर्कमेन इन हाईवे सेक्टर''
14. ''पॉकेट बुक फॉर रोड कंस्ट्रॉक्शन इक्विपमेंट'' संबंधी नया दस्तावेज
15. नया ''गाइडलाइन्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ हाईवे प्रोफेशनल्स''
16. आईआरसी : एसपी : 79 - ''टेंटेटिव स्पेशिफिकेशन फॉर स्टोन मैट्रिक्स एस्फाल्ट'' में आशोधन
17. आईआरसी : 6 : 2017 ''स्टैंडर्ड स्पेशिफिकेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड ब्रिजेस, सेक्शन -II लोड्स एंड लोड्स कंबिनेशन (सातवां पुनरीक्षण)
18. आईआरसी : एसपी : 114 - 2018 ''गाइडलाइन्स फॉर सिसमिक डिजाइन ऑफ रोड ब्रिजेस'' का आशोधन / शुद्धि पत्र
19. आईआरसी :112 - 2011 ''कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंक्रीट रोड ब्रिजेस'' में आशोधन
20. आईआरसी : एसपी : 65 -2018 ''गाइडलाइन्स फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शसन ऑफ सेगमेंटल ब्रिजेस (प्रथम पुनरीक्षण)'' का आशोधन
21. आईआरसी : 83 (भाग IV) - 2014 स्टैंडर्ड स्पेशिफिकेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड ब्रिजेस, खंड IX - बियरिंग (स्फैरिकल एंड सिलिंड्रिकल) में आशोधन
22. आईआरसी : एसपी : 80-2008 ''गाइडलाइन्स फॉर कोरोशन प्रिवेंशन, मोनिटरिंग एंड रिमेडियल मिजर्स फॉर कंक्रीट ब्रिज स्ट्रक्चर'' का आशोधन

7.5.1 राजमार्ग इंजीनियरों के अंगीकरण हेतु प्रकाशित पुस्तकें

1. आईआरसी : 83 - 2018 (भाग - II) " स्टैंडर्ड स्पेशिफिकेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड ब्रिजेस", खंड IX - बियरिंग्स (इलास्टोमेरिक बियरिंग्स) (दूसरा पुनरीक्षण)

2. आईआरसी : 83 - 2018 (भाग - III) स्टैंडर्ड स्पेशिफिकेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड ब्रिजेस, खंड IX - बियरिंग्स भाग III : पीओटी, पीओटी सह पीटीईई, पीआईएन एंड मेटलिक गाइड ब्रिजेस'' (प्रथम पुनरीक्षण)
3. आईआरसी : 99 - 2018 गाइडलाइन्सभ फॉर ट्रैफिक कामिंग मिजर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज (प्रथम पुनरीक्षण)
4. आईआरसी: एसपी : 65 - 2018 ''गाइडलाइन्सव फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेगमेंटल ब्रिजेस'' (प्रथम पुनरीक्षण)
5. आईआरसी: एसपी : 71 - 2018 गाइडलाइन्सइ फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिकास्ट प्रि-टेंसंड गर्डर्स फॉर ब्रिजेस'' (प्रथम पुनरीक्षण)
6. आईआरसी : एसपी : 89 - 2018 भाग II गाइडलाइंस फॉर डिजाइन ऑफ स्टेबलाइज्ड पेवमेंट''
7. आईआरसी: एसपी: 113 - 2018 गाइडलाइंस फॉर फ्लड डिसेस्ट र मिटिगेशन फॉर हाईवे इंजीनियर्स''
8. आईआरसी: एसपी: 114 -2018 ''गाइडलाइन्स फॉर सिसमिक डिजाइन ऑफ रोड ब्रिजेस''
9. आईआरसी: एसपी: 115 - 2018 - ''गाइडलाइन्स फॉर डिजाइन ऑफ इंटिग्रल ब्रिजेस''
10. आईआरसी: एसपी: 116 - 2018 - ''गाइडलाइन्स फॉर डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ गेबियॉन स्ट्रक्चर''
11. आईआरसी: 37 - 2018 - ''गाइडलाइन्स फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट'' (चौथा पुनरीक्षण)
12. आईआरसी: 57 - 2018 - ''रिकॉमेंडेड प्रेक्टिस फॉर सीलिंग इन ज्वायंट्स इन कंक्रीट पेवमेंट'' (दूसरा पुनरीक्षण)
13. आईआरसी: 86 - 2018 - ''जियोमेट्रिक्स डिजाइन फॉर अर्बन रोड्स एंड स्ट्रीटट्स''
14. आईआरसी: 87 - 2018 - ''गाइडलाइन्स फॉर फॉर्मवर्क, फॉल्ससवर्क एंड टेंपोरेरी स्ट्रक्चर्स फॉर रोड ब्रिजेस'' (दूसरा पुनरीक्षण)
15. आईआरसी: 127 - 2018 - ''गाइडलाइन्सक ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ वर्कमेन इन रोड सेक्टर''
16. आईआरसी: एसपी: 36 - 2018 ''गाइडलाइन्स् फॉर आईआरसी स्टैंनडर्स''
17. आईआरसी: एसपी: 54 - 2018 ''प्रोजेक्ट प्रिपेरेशन मैनुअल फॉर ब्रिजेस'' (प्रथम पुनरीक्षण)
18. आईआरसी: एसपी: 63 - 2018 ''गाइडलाइन्स फॉर द यूज ऑफ इंटरलोकिंग कंक्रीट ब्लॉक पेवमेंट'' (प्रथम पुनरीक्षण)
19. आईआरसी : एसपी : 73 - 2018 ''मैनुअल ऑफ स्पेशिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर टू लेनिंग ऑफ हाइवेज विथ पेव्ड शोल्डर'' (दूसरा पुनरीक्षण)
20. आईआरसी :एसपी : 83 -2018 ''गाइडलाइन्स फॉर मेंटनेंस, रिपेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ सिमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स'' (प्रथम पुनरीक्षण)''
21. आईआरसी : एसपी : 117 - 2018 ''मैनुअल ऑन यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी फॉर अर्बन रोड्स एंड स्ट्रीट्स''

22. आईआरसी : एसपी : 119 - 2018 ''मैनुअल फॉर प्लांटिंग एंड लेंडस्केपिंग ऑफ अर्बन रोड्स''

23. आईआरसी : एसपी : 120 - 2018 ''एक्सप्लानेटरी हैंडबुक फॉर आईआरसी : 22-2015 :'' स्टैंडर्ड स्पेटशिफिकेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड ब्रिजेस, खंड VI - कंपोजिट कंस्ट्रीक्शन

24. आईआरसी : एसपी : 121 - 2018 ''गाइडलाइन्स फॉर यूज ऑफ आयरन, स्टील एंड कॉपर स्लैग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रुरल रोड्स''

25. ''पॉकेट बुक फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट''

सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति योग्य सलाहकार सेवा (आरएएस) बैंक करार पर हस्ताक्षर

राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करते हुए सीईएस (सड़क) (2017 बैच) के अधिकारी

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.

अध्याय-VIII

प्रशासन और वित्त

(क) प्रशासन

8.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासन विंग में स्थापना अनुभाग, सामान्य प्रशासन अनुभाग, ओ एंड एम अनुभाग और रोकड़ अनुभाग शामिल हैं। प्रशासनिक विंग को इस मंत्रालय के 913 कर्मचारियों (ग्रुप ए, बी और सी) के सेवा और प्रशासनिक मामले, हाऊस-कीपिंग कार्य और वेतन आहरण और संवितरण एवं अन्य व्ययों का कार्य सौंपा गया है। विभिन्नि संवर्गों का प्रबंधन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आदि द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाने का प्रयास किया जाता है।

8.2 मंत्रालय द्वारा अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में इस मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। तकनीकी और गैर-तकनीकी पक्ष (समूह-वार) के लिए पृथक-पृथक सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और इस मंत्रालय में अनु.जा. /अनु.ज.जा. के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना **परिशिष्ट-7** में दी गई है ।

8.3 सेवानिवृत्ते होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन पेपर वेतन और लेखा अधिकारी के समक्ष समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं और सेवानिवृत्ति लाभ, सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/ कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के अंतिम कार्य दिवस को प्रदान कर दिए जाते हैं ।

8.4 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में एक कल्याण प्रकोष्ठ मौजूद है जो मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याण उपाय संबंधी सभी कार्यकलाप करता है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की विदाई के लिए मंत्रालय का वेलफेयर सैल विदाई समारोह आयोजित करता है और उन्हें एक स्मारक चिह्न (मीमेंटो), तथा एक उपहार भी भेंट किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में मंत्रालय की महिला कर्मचारियों के कल्यारण के संबंध में अनेक कल्याणकारी उपाय किए गए हैं।

8.5 राष्ट्रीय महत्व के महत्वणपूर्ण दिवस अर्थात् आतंकवाद-रोधी दिवस, साम्प्रदायिक सद्भाव दिवस, सद्भावना दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, रैडक्रॉस दिवस, रैडक्रास रेफल ड्रा, स्वच्छ, भारत अभियान, सुशासन दिवस, संविधान दिवस आदि मनाए गए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण किया गया। 'झंडा दिवस' के संबंध में अंशदान भी एकत्रित और संग्रहीत किया गया। साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह/सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इन आयोजनों में भाग लेने वालों को इन आयोजनों में भाग लेने के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

8.6 सूचना और सुविधा केन्द्रस की स्थादपना

मंत्रालय में एक सूचना और सुविधा काउंटर काम कर रहा है जो प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सेवाओं तथा कार्यक्रमों, स्कीमों आदि के बारे में नागरिकों को सूचना प्रदान करता है। इस काउंटर

पर विभिन्न विषयों पर आम जनता के लिए उपयोगी सामग्री रखी गई है। जानकारी देने के अलावा, इस काउंटर पर लोक शिकायत आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें बाद में संबंधित प्राधिकारियों को विचारार्थ और समाधान हेतु भेज दिया जाता है। मंत्रालय की गतिविधियों और सेवाओं से संबंधित नागरिक/ग्राहक चार्टर मंत्रालय की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

8.7 नागरिक चार्टर की संरचना

मंत्रालय के कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए नागरिक चार्टर को मंत्रालय की वैबसाइट पर भी देखा जा सकता है ।

8.8 विभागीय रिकार्ड रूम

मंत्रालय द्वारा अभिलेखों के प्रबंधन की ओर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 31 मार्च, 2019 तक कुल 4,905 फाइलें रिकार्ड की गई और अभिलेख धारण समय-तालिका के अनुसार 800 फाइलों की समीक्षा की गई और उन्हें नष्ट किया गया।

8.9 शिकायत निवारण और सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.

मंत्रालय में, संयुक्त सचिव (टीएंडसी) की अध्यक्षता में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र है। संयुक्त सचिव (टीएंडसी) को लोक शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है। प्राप्त लोक शिकायतों के तुरन्त समाधान के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को भेज दिया जाता है। एक वैब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र अर्थात लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (पीजीआरएएमएस) भी इस मंत्रालय में कार्य कर रही है। 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च, 2019 तक कुल 12,926 लोक शिकायतें प्राप्तर हुई और उन सबको त्वरित निपटान के लिए संबंधित स्कंधों/प्रभागों को पहले ही भेज दिया गया है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचएआईडीसीएल, आईएएचई, सड़क परिवहन स्कंध, और क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। कुल 15,032 (जिसमें पिछले लंबित मामले भी शामिल हैं) शिकायतों में से 31 मार्च, 2019 तक 13,647 का निपटान कर दिया गया है।

मंत्रालय में एक स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र भी कार्य कर रहा है। शिकायत सुनने तथा शिकायत अर्जियां प्राप्तभ करने के लिए निदेशक, संबंधित प्रशासन अनुभाग के प्रभारी निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) को स्टाफ शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में शिकायतों की सुनवाई के लिए पदनामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव (टीएंडसी) भी लोक सुनवाई के लिए उपलब्ध रहते हैं।

8.10 ई-ऑफिस

8.10.1 बड़े पैमाने पर किए जा रहे लिखित कागजी-काम को समाप्त करके परम्परागत सरकारी कार्यालयों को अधिक कार्यक्षम बनाने और परादर्शी ई-कार्यालयों में परिवर्तित करने की आवश्यलकता लंबे समय से अनुभव की जा रही थी। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा संचालित ई-ऑफिस उत्पाद का लक्ष्य अंत: सरकारी और अंतर-सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए गवर्नेंस में सहायता प्रदान करना है।

ई-ऑफिस सुविधा का अभिन्न अंग, ई-फाइल प्रणाली, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वधशासी निकायों के लिए डिजाइन की गई है ताकि वे फाइल के सृजन, नोटिंग, संदर्भन, पत्राचार, संलग्न, अनुमोदनार्थ प्रारूप और अंतत: फाइलों के संचलन एवं पावतियों के साथ ही स्कैनिंग, रजिस्टरिंग और रूटिंग द्वारा कागज-रहित कार्यालय बन सकें।

8.10.2 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में ई-ऑफिस का कार्यान्वैयनः-

- 15 दिनों की समय सीमा के भीतर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उपरोक्तर उद्देश्यों को पूरा करना।
- 90 प्रतिशत स्टाफ के पास अपनी ई-ऑफिस आईडी है और कार्यभार ग्रहण करने वाले नये कर्मचारियों की ई-आफिस आइडी के सृजन की प्रक्रिया चल रही है।
- प्रशासन, मानव संसाधन, तकनीकी, प्रोजेक्टर और वित्त प्रभाग ई-ऑफिस के माध्यम से एक दूसरे के साथ बड़े सुचारु रूप से संवाद कार्य कर रहे हैं।
- फाइलों को ट्रैक करना अब बहुत आसान हो गया है।
- भौतिक फाइलों को इलेक्ट्रोनिक फाइलों में बदलने की प्रक्रिया चल रही है।
- कागज-रहित कार्यालय के लक्ष्यो को प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं।
- अधिप्रमाणन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के क्रियान्वेयन को भी कार्यान्वित किया गया है।
- रिपोर्टें निम्नएलिखित के रूप में सृजित की जा सकती हैं-

1. पार्क फाइल
2. बंद फाइल
3. प्राप्त आवती।
4. लंबित आवती (अनुभाग-वार)

8.11 शिकायत एवं नागरिक चार्टर प्रकोष्ठ

शिकायत के मामलों के त्वरित और समुचित निपटान पर निगरानी रखने के लिए ओएंडएम अनुभाग के हिस्से के रूप में शिकायत एवं नागरिक चार्टर प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। मंत्रालय में शिकायत प्रकोष्ठ, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, डीपीजी, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों और अन्य संबंधित प्रभागों/स्कंधों की स्थानीय शिकायतों को प्रारम्भिक रूप से प्राप्त करने और अग्रेषित करने का कार्य करता है।

(ख) वित्त

8.12 लेखा एवं बजट

8.12.1 सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख हैं और वे मंत्रालय के लिए मुख्य लेखा प्रधिकारी हैं और वह अपने कार्यों का निर्वहन, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एसएस एंड एफए) और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के माध्यम से करते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लेखा और बजट स्कंध, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य कर रहे हैं। प्रधान मुख्य, नियंत्रक का कार्यालय, अन्य बातों के साथ-साथ, मंत्रालय के सभी

प्राधिकृत भुगतान करने, मासिक और वार्षिक लेखों के समेकन, निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय को बजट, केन्द्रीय लेन-देनों का विवरण, वित्तीय लेखों एवं विनियोजन लेखों को तैयार करने, वित्तीय और लेखांकन मामलों पर मंत्रालय को तकनीकी सलाह देने और रोकड़ प्रबंधन करने, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय और अन्य, संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है।

8.12.2 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, एक लेखा नियंत्रक और एक सहायक लेखा नियंत्रक शामिल हैं। बजट अनुभाग में एक अवर सचिव (बजट) हैं। इस कार्यालय में मंत्रालय के लिए एक प्रधान लेखा अधिकारी, प्रशासन एवं स्थापना के लिए एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी और उप-लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक की अध्यक्षता वाले आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के लिए एक वरिष्ठ लेखाधिकारी हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में बारह भुगतान एवं लेखा कार्यालय/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, बंगलौर, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, रायपुर, हैदराबाद और पटना में स्थित हैं।

8.12.3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय और देश में फैले इसके कार्यालयों को सौंपी गई जिम्मेमदारियों का विस्ताधरपूर्वक ब्यौरा इस प्रकार है:

(I) भुगतान

- अनुमोदित बजट के अनुसार प्रस्तुंत किए गए बिलों की पहले ही जांच करने के बाद मंत्रालय की ओर से भुगतान करना।
- अधीनस्थ /संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्तक निकायों, सोसाइटियों, ऐसोसिएशनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को भुगतान करना।
- मंत्रालय की ओर से व्यय करने के लिए अन्य मंत्रालयों को प्राधिकार प्रदान करना।

(ii) प्राप्तियां

- मंत्रालय की प्राप्तियों को स्वीकार करना, बजट बनाना और लेखांकन करना।
- राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से ऋण और उस पर ब्याज की वापसी की मॉनिटरिंग करना।
- नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्तियां और भुगतान।

(iii) लेखे और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मासिक लेखे, केन्द्रीय लेन-देन विवरण, वित्तीय लेखों का विवरण, शीर्ष-वार तथा चरण-वार विनियोजन लेखों को तैयार करना और उन्हें लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग तथा महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व को प्रस्तुत करना।

- कार्य निष्पादन बजट सहित वार्षिक बजट तैयार करना और वित्त वर्ष के दौरान बजट प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय करना ।
- आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की मॉनीटरिंग करना और इसे सीएजी कार्यालय को प्रस्तुत करना।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और वित्तीय प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम और नियमावली के अनुसार अनिवार्य सूचना की निगरानी करना और उसे प्रस्तुत करना ।
- विभिन्न प्राधिकरणों को प्रस्तुात करने के लिए लेखांकन, बजट और लेखा परीक्षा डेटा पर आधारित प्रबंधन सूचना रिपोर्टों को तैयार करना ।
- मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए आवतियों और व्यय के संबंध में मासिक आधार पर वित्तीय आंकड़े तैयार करना ।
- बजट आधारित मासिक व्यय/साप्ताहिक व्यय तैयार करना और विभिन्न प्राधिकारियों जैसे कि अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सचिव आदि को व्याय की मॉनीटरिंग के लिए प्रस्तुकत करना ।
- मंत्रालय को भेजने के लिए वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री तैयार करना, लेखों पर एक नजर और व्यय के त्वरित आंकड़े तैयार करना और उनको सीजीए को भेजना तथा अनंतिम लेखों को तैयार करना और उनको मंत्रालय को भेजना ।
- पीएओ/आरपीएओ से प्राप्त एमआईएस के आधार पर मासिक डीओ तैयार करना और सीजीए को भेजना ।
- सभी आरपीएओ/पीएओ के संबंध में राज्यत-वार मासिक व्यय तैयार करना और इसे आगे मंत्रालय को भेजना।

(iv) बजट

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निधियों के वार्षिक बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा धनराशि का पुनर्विनियोजन करना तथा बजट संबंधी सभी मामलों में वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वय करना ।
- वास्तविक व्यय को समाविष्ट करके वार्षिक अनुदान मांगों का पुनरीक्षण करना।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सिविल एवं कॉमर्शियल) के सभी लेखा परीक्षा पैरा और टिप्पणियों की मॉनीटरिंग/निपटान करना और 'की गई कार्रवाई संबंधी नोट'/बचत संबंधी व्याख्यात्मक नोट के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करना तथा लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्टों के चयनित अनुदानों की समीक्षा करना और एटीएन नोट भी तैयार करना।
- समीक्षा प्राप्तियों, ब्याज प्राप्तियों और लोक लेखाओं के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करना।

(v) आंतरिक लेखा परीक्षा

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन में मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्यकरण में व्यवस्थागत अशुद्धियों/चूकों की पहचान करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई/सुधार के लिए प्रबंधन को सलाह देने

के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग स्थापित की गई है। यह विंग दैनंदिन कार्यकलाप में उद्देश्य-परकता और वित्तीय औचित्य लाने और वित्तीय समझदारी में बेहतर संवेदनशीलता लाने के लिए एक बड़ा प्रबंधन साधन सिद्ध हुआ है ।

आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के अधिकारियों तथा अन्य अनुभागों में तैनात अधिकारियों को विगत में आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन द्वारा विगत कुछ वर्षों के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र के प्रभावी उपयोग के परिणाम-स्वरूप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लगभग सभी कार्यालयों में लेखा अनुरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रमुख अनियमितताओं/कमियों वाले लेखा परीक्षा पैरा विभागाध्यक्षों के नोटिस में लाए जाते हैं और पैराओं के निपटान के लिए मामलों को उठाया जाता है तथा बकाया पैराओं के निपटान के लिए प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा समीक्षा बैठकों की भी व्यवस्था की जाती है।

आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रमुख जिम्मेवारियां इस प्रकार हैं:-

- मंत्रालय के सभी स्कंधों के लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण करना और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य करने वाले राज्य सरकारों के लोक निर्माण प्रभागों (राष्ट्रीय राजमार्ग) और मंत्रालय की इकाइयों के लेखाकरण की परीक्षण जांच करना।
- लोक लेखा समिति और अन्य संसदीय समितियों के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सभी लेखापरीक्षा पैराओं और समुक्तियों की मॉनीटरिंग और निपटान करना ।
- मंत्रालय के सभी पक्षों में आंतरिक कार्य अध्ययन करना और वित्त मंत्रालय की 'स्टाफ निरीक्षण इकाई' के साथ समन्वय करना ।
- आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा तैयार करना ।

वर्ष के दौरान एन.एच. प्रभागों की 29 यूनिटों की लेखा परीक्षा की गई है।

(vi) लेखों का कम्प्यूटरीकरण

क. ई-लेखा : लेखांकन सूचना का दैनिक / मासिक एमआईएस / व्यय सृजित करने के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग सभी पीएओ / आरपीएओ को पूरी तरह से लेखा पोर्टल ई-लेख के साथ एकीकृत कर दिया गया है। उन्हें इस पोर्टल में अपने दैनिक लेनदेन को अपलोड करने की आवश्यकता होती है ताकि व्यय और प्राप्तियां दैनिक आधार पर उपलब्ध हों। इसने व्यय और प्राप्ति पर वास्तविक समय के आंकड़ों की उपलब्धता को सक्षम किया है जो व्यय / प्राप्तियों और बजटीय नियंत्रणों की प्रभावी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। इस पोर्टल के प्रबंधन सूचना प्रणाली से उत्पन्न रिपोर्ट महत्वपूर्ण प्रबंधकीय साधन हैं और इस मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं।

ख. पीएफएमएस: प्रारंभ में पीएफएमएस की शुरुआत, भारत सरकार की योजनागत स्की.मों के तहत निधियों के निर्मोचन के लिए की गई थी। अब पीएफएमएस का दायरा बढ़ा दिया गया है और अब संस्वीकृतियों, बिलों के ऑनलाइन प्रक्रमण और

सभी प्रकार के व्यय के भुगतान के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा भुगतान एवं लेखा अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही विभिन्न विद्यमान स्वतंत्र प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए इसका विस्तार कर दिया गया है। इसका कार्यान्वंय अलग-अलग चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में यह प्रस्तारव है कि वेतनों, पेन्शन और सामान्य भविष्य निधि को छोड़कर समस्त भुगतान पीएफएमएस के माध्यतम से किए जाएं। महालेखानियंत्रक ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली/एनसीआर आधारित भुगतान एवं लेखा अधिकारियों/एनसी भुगतान एवं लेखा अधिकारियों में चरण-। की शुरुआत 1. 10.2015 से कर दी जाए (इसका अर्थ यह होगा कि लगभग 90 भुगतान एवं लेखा कार्यालयों और 500 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में इसका प्रचलन हो जाएगा)।

8.12.4 राष्ट्रीय परमिट शुल्क योजना

(i) देश में माल वाहक यानों के परिवहन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 में एक नई राष्ट्रीय परमिट शुल्क योजना का अंगीकरण किया और देश भर के लगभग 1200 आरटीओ, राज्य परिवहन प्राधिकरणों से राष्ट्रीय परमिट शुल्कर के संग्रहण के लिए तथा पूर्व सहमत सूत्र के आधार पर हर महीने संग्रहीत शुल्क का वितरण सभी राज्यत सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों में करने संबंधी समन्वय कार्य की जिम्मेदारी स्वीकार की।

(ii) मई, 2010 में शुरू की गयी राष्ट्रीय परमिट शुल्क योजना के अनुसार ट्रांसपोर्टरों को समेकित शुल्क के मद में प्रति वर्ष प्रति वाहन 15,000 रुपये का भुगतान करना अपेक्षित है। यह शुल्क सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संग्रहीत किया जा रहा है और केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 2010 में निर्धारित सूत्र के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित किया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र सरकार के लिए कोई राशि उपार्जित नहीं होगी।

(iii) भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं (राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित शुल्क के संग्रहण के लिए प्रत्यायित बैंक) के राष्ट्र-व्यापी नैटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित शुल्क के संग्रहण की ऑनलाइन प्रणाली, संबंधित प्राधिकरणों को इसका संसूचन और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्लीं के पीएओ (सचिवालय) द्वारा इसके लेखांकन का काम, इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद से सुचारु रूप से चल रहा है।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विभिन्नन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय परमिट के लिए नए समेकित शुल्क के संग्रहण, संसूचन और लेखांकन के लिए एक विशिष्ट लेखांकन पद्धति महालेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा तैयार की गई है। विशाल पैमाने की इस राष्ट्र - व्यापी योजना से प्रशासनिक जिम्मेदारियां बढ़ने के अलावा प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन पर धन संग्रह करने और उसका लेखांकन करने के रूप में काम का बोझ और लेखांकन कार्य बहुत बढ़ गया है। राष्ट्रीय परमिट शुल्क का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट - 8** पर दिया गया है।

8.12.5 लोक लेखा समिति के पैराओं/रिपोर्टों और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों/पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट

(I) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार, सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अध्यक्षता में स्थायी लेखा परीक्षण समिति (एसएसी), लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्टों/पैराओं के संबंध में और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मुद्रित रिपोर्टों के अनुरूप लोक लेखा समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर

लेखा परीक्षा रिपोर्टों/पैराओं (सिविल) पर 'की गई कार्रवाई' संबंधी टिप्प णियों के प्रस्तुतीकरण की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करती है। स्थायी लेखा परीक्षण समिति, वाणिज्यिक श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण सार्वजनिक उपक्रम समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मुद्रित रिपोर्टों के अनुसार लेखा परीक्षा पैराओं की समीक्षा और निगरानी भी करती है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार स्थायी लेखा समिति की बैठकें, संयुक्त सचिव/अपर सचिव स्तर पर भी आयोजित की जा सकती है और लेखा परीक्षा निरीक्षण पैराओं के उत्तर देने के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए तदर्थ समिति की भी व्ययवस्था है।

(ii) दिनांक 1.4.2018 से दिनांक 31.3.2019 तक की अवधि के दौरान :

निम्नलिखित लेखा परीक्षा पैराओं (वाणिज्यिक) अंतिम कृत कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) लोकसभा सचिवालय (सीओपीयू शाखा) को भेजी गयी थी :

(क) 2009-10 की रिपोर्ट सं. 9 का पैरा संख्या 17.1.2 -पीआईयू - झाँसी में त्रुटिपूर्ण परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के कारण ''कोई निर्माण नहीं क्षेत्र'' में ऊपरि पुल के निर्माण पर 2.08 करोड़ रुपये की हानि।

(ख) 2012-13 की सीए 8 का पैरा संख्या 13.3 : सुरजपुर टोल प्लाजा के निर्माण में अत्यधिक विलंब के कारण राजस्व की हानि

(ग) पैरा संख्या 12.2 (2017 की रिपोर्ट सं. 9) - टोल के शुरू नहीं होने के कारण 19.04 करोड़ रुपये के टोल राजस्व की हानि।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न मामलों पर लेखा परीक्षा के मसौदा लेखा परीक्षा पैराओं और निरीक्षण रिपोर्टो /पैराओं के बारे में मंत्रालय की ओर से शीघ्र उत्तपर भेजने और लेखा परीक्षा के साथ निरीक्षण पैरा/डीएपी के निपटान के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में स्थायी लेखापरीक्षा समिति (पीएसी) की समय-समय पर बैठकें भी आयोजित की गई।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक) के लंबित लेखापरीक्षा पैराओं की स्थिति **परिशिष्ट-17** में दी गई है।

8.12.6 अनुदान सं-81 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

वर्ष 2018-19 का वास्ताविक व्यय (31 मार्च, 2019 तक) **परिशिष्ट -9** में दर्शाया गया है। विगत तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय लेन-देन विवरण के अनुसार प्राप्तियों का शीर्ष-वार ब्यौरा **परिशिष्ट- 10** में दर्शाया गया है और पिछले तीन वर्षों के लिए व्यय की प्राप्तियों का ब्यौरा परिशिष्ट-- 11 में दर्शाया गया है। लेखाओं की प्रमुख विशिष्टताएं, परिशिष्ट - 12 में दी गई हैं।

(ग) सतर्कता

8.13.1 मंत्रालय का सतर्कता एकक, मंत्रालय के सतर्कता संबंधी कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। एकक के प्रधान, मुख्यय सतर्कता अधिकारी हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियुक्त संयुक्त सचिव (स्थापना, सामान्य प्रशासन और एनएचआईडीसीएल) भी इस मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन स्वाायतशासी निकाय- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में अपना अलग पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है।

8.13.2 वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल 63 शिकायतों की जॉच की गयी और उनमें से 21 शिकायतों का निपटान किया गया। पिछले वर्ष से लंबित तीन अनुशासनात्मसक मामलों की भी सीवीसी / यूपीएससी /डीओपीटी के परामर्श से जॉच की गयी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुमोदन से उपयुक्त कार्रवाई की गयी। एक अनुशासनात्मक मामले में एक समूह क अधिकारी पर छोटी शास्ति लगाई गयी। इसके अलावा, शिकायतों सतर्कता से संबंधित शिकायतों से निपटने (जहां कहीं आवश्यक हो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से) के साथ-साथ निवारक सतर्कता पर विशेष बल दिया गया। इस बात पर बल दिया गया कि सड़क स्कंध को पीएमआईएस पोर्टल के माध्य म से राष्ट्रीय राजमार्गों की समयबद्ध प्रगति / समापन के साथ निर्माण और अनुरक्षण की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए। सड़क स्कंध को यह भी सलाह दी गयी कि वे प्रवेश अनुमति दिशानिर्देश की समीक्षा करें और संपूर्ण (शुरू से अंत तक) प्रवेश अनुमति प्रक्रिया को वास्तविक समय एमआईएस के प्रावधानों के साथ ऑनलाइन करें ताकि प्रक्रिया और सूचना संबंधी मुद्दे की संभावना न रहे।

8.13.3 भ्रष्टाचार, किसी व्युक्तिै, जिसे किसी अधिकार वाले पद की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, द्वारा किए जाने वाले बेईमानीपूर्ण या अनैतिक आचरण को कहते हैं जिसमें या तो स्वयं या किसी अन्या व्याक्ति के लिए कोई लाभ प्राप्त करने की मंशा हो। यह एक वैश्विक बुराई है जो समाज के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार से राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, आर्थिक विकास, पर्यावरण, जन-स्वास्थ्य तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह परमावश्यक है कि जनता को भ्रष्टाचार-रोधी प्रयासों के प्रति संवेदनशील एवं अभिप्रेरित बनाया जाए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गई:

- सचिव (पोत परिवहन) द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राल्य तथा पोत परिवहन मंत्रालय के कर्मचारियों को सत्य निष्ठा शपथ दिलाई गयी।
- स्वांगत कक्ष (मुख्य गेट पर) के निकट संस्थापित टीवी स्क्रीन पर भ्रष्टाचार विषय पर चयनित उद्धरण प्रचारित होते हैं
- मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट पर भ्रष्टाचार के विषय पर उद्धरण अपलोड किए गए
- मीडिया सेंटर में 'रोकथाम एवं उपशमन' विषय पर श्री नीतिश कुमार, निदेशक, सीवीसी द्वारा एक व्याख्यान दिया गया, जहॉं सभी कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की।
- अंग्रेजी में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका विषय था- 'इंपैक्ट ऑफ करप्शन ऑन पूअर' और हिन्दी में आयोजित निबंध प्रतियोगिता का विषय था- 'कारगर सतर्कता – स्वास्थ्य संवृद्धि का एक साधन'। जिन कार्मिकों के आलेखों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हिन्दी और अंग्रेजी निबंध प्रतियोगिताओं में निर्णीत किया गया, उन्हें क्रमश: 2500/- रु., 2000/- रु. तथा 1500/- रु. का नकद पुरस्का0र दिया गया।
- मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सतर्कता जागरूकता के संबंध में दिनांक 6.11.2017 को संवेदीकरण (सेंसिटाइजेशन) कार्यक्रमों को आयोजन किया गया।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम - क्रियान्वहयन

8.14 सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं- प्रत्येकि सार्वजनिक प्राधिकरण के काम-काज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंच नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए व्यवहारिक व्यंवस्था स्थापित करना। यह अपारदर्शिता से पारदर्शिता की ओर बढ़ने का एक प्रयास है जिससे अंतत: सुशासन आता है। सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) की स्थापना की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार मंत्रालय में नोडल अधिकारी, आरटीआई अनुभाग, पीआईओ, अपीलीय प्राधिकारी आदि पूरी तरह से काम कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) में यह परिकल्पना की गई है कि संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों से जनता को अपनी ओर से जानकारी दी जाए। मंत्रालय की वैबसाइट पर इस मंत्रालय से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में ढेरों सूचना विभिन्न शीर्षकों के तहत दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ आरटीआई आवेदन प्राप्तय करने के लिए परिवहन भवन के भूतल पर एक काउंटर खोला गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों की ओर से सूचना प्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने तथा अपील करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वैब पोर्टल शुरू किया गया है और इस मंत्रालय मं यह पूरी तरह से क्रियाशील है। ऑनलाइन प्रणाली में स्कैनिंग करने और आगे की कार्रवाई के लिए भिन्न -भिन्न जन सूचना अधिकारियों को ऑनलाइन भेजे जाने तथा कागज पर उत्तर भेजे जाने की भी सुविधाएं हैं। आवेदक/जनता को सूचना, समय सीमाओं एवं छूट संबंधी खंडों सहित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबंधों के अधीन तथा उनको ध्यान में रखते हुए दी जाती है। तीन संगठनों नामत: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्तर निकाय है; राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड जो इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (जिसे पहले 'नीथि') कहा जाता था जो मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सोसाइटी है; में उनके अलग-अलग पीआईओ/एपीआईओ/अपीली प्राधिकारी हैं जो आरटीआई अधिनियम में दिए गए निदेश के अनुसार जनता/आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराते हैं। मंत्रालय में मोटर वाहन अधिनियम, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों, फ्लाईओवरों, पुलों, पथकर प्लापजा, प्रयोक्त शुल्क के संग्रहण, पेट्रोल पंपों की स्थापना, निविदाओं आदि जैसे विभिन्नय विषयों से जुड़े आरटीआई आवेदन प्राप्त होते रहे हैं। संबंधित जन सूचना प्राधिकारियों द्वारा आवेदकों को सटीक सूचना समय से भेजने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक कुल 10,614 आरटीआई आवेदन (अग्रेणित आवेदन सहित) प्राप्त हुए, जिनमें कागज पर तथा ऑनलाइन आवेदन शामिल हैं। यदि इनमें से कोई भी आवेदन एक से अधिक पीआईओ के लिए होता है तो उसे सिस्टम से तैयार अलग पंजीकरण संख्या देकर अग्रेषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च, 2019 तक कुल 1,054 अपीलें (अग्रेणित अपील सहित) प्राप्त हुई हैं और संबंधित प्रथम अपीली प्राधिकारियों तक उन्हें भेज दिया गया। प्रणाली में यह सुविधा भी है कि संबंधित जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीली प्राधिकारियों के ई-मेल के माध्यम से अधिकारियों को सिस्टम जनित अनुस्मारक/अलर्ट भेज दिया जाए। ऑनलाइन प्रणाली में उपलब्ध इस सुविधा का प्रयोग करके समय-समय पर आरटीआई आवेदनों/अपीलों के निपटान की मॉनीटरिंग भी की जाती है।

यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on left. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

अध्याय-IX

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

9.1 कार्यान्वयन व्यवस्था

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हिंदी अनुभाग में इस समय दो सहायक निदेशक (राजभाषा), 02 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और 02 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी तैनात हैं। इनमें से एक सहायक निदेशक (रा.भा.) राजभाषा नीति के कार्यान्व्यन का कार्य देखते हैं तथा दूसरे सहायक निदेशक (रा.भा.) अनुवाद से संबंधित कार्य देखते हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्व यन में सहायता करने हेतु सहायक अनुभाग अधिकारी का पहले से ही सृजित पद लंबे समय से रिक्ते पड़ा है। उप-निदेशक (रा.भा.) के 02 पद और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का 01 पद भी रिक्त पड़ा है। राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के अतिरिक्त हिंदी अनुभाग, मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त सामग्री का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करता है।

9.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशासन व राजभाषा) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 27 मार्च, 2018, 25 जून, 2018, 24 सितम्बर, 2018 और 21 दिसम्बर, 2018 को हुई। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों और इसके अधीन आने वाले कार्यालयों से प्राप्त तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा इन बैठकों में की गई और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाए गए।

9.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3 (3) का अनुपालन और हिंदी में पत्राचार

9.3.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में इस धारा के अधीन आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।

9.3.2 हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों अर्थात् हिंदी में लिखे अथवा हिंदी में हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए चाहे वे किसी भी क्षेत्र से आए हों।

9.3.3 'क' और 'ख' क्षेत्रों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालयों और आम जनता के साथ हिंदी में पत्राचार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

9.4 हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय

नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना

मंत्रालय में, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना में हिंदी में टिप्पण और आलेखन करने वालों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2017-18 के लिए संचालित उक्त योजना के तहत 07 कार्मिकों को नकद पुरस्कारर प्रदान किए गए। अधिकारियों द्वारा अधिकाधिक हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए भी एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है।

9.5 हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े का आयोजन

9.5.1 हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2018 को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा जारी की गई अपील, मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के विचारार्थ परिचालित की गई। मंत्रालय में 04 सितंबर, 2018 से 18 सितंबर, 2018 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान हिंदी निबंध प्रतियोगिता, राजभाषा प्रश्नोरत्तरी प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता, सामान्य पत्र लेखन प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता, हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता, हिंदी सुलेख और अनुवाद प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इनमें से कुछ प्रतियोगिताएं मंत्रालय के हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी कार्मिकों के लिए अलग-अलग आयोजित की गई। अपर सचिव महोदया एवं संयुक्त सचिव (प्रशासन व राजभाषा) ने दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 को मंत्रालय में आयोजित पुरस्कोर वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित 09 प्रतियोगिताओं में 06 हिंदीतर भाषी और 73 हिंदी भाषी प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रकार, कुल 79 (उनासी) प्रतिभागियों में से 69 (उनहत्तर) प्रतिभागी परीक्षा परिणाम के आधार पर पुरस्कार विजेता घोषित किए गए हैं।

9.5.2 विगत में 8 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। इस वर्ष पहली बार अनुवाद प्रतियोगिता को नई प्रतियोगिता के रूप में हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी दोनों वर्गों के लिए शुरू किया गया है। साथ ही, इस वर्ष पहली बार हिंदी कविता-पाठ प्रतियोगिता में हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग पुरस्कावर शुरू किए गए हैं। इस बार हिंदी सुलेख प्रतियोगिता केवल एमटीएस कार्मिकों के लिए आयोजित की गई। इसी प्रकार, पहली बार राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का अयोजन किया गया जिसमें हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग पुरस्कागर राशि रखी गई। विगत में प्रथम पुरस्कार की राशि 2,500/- रुपए थी जिसे इस बार बढ़ाकर 4,000/- रुपए, द्वितीय पुरस्कार की राशि को 2,000/- रुपए से बढ़ाकर 3,000/- रुपए, तृतीय पुरस्कार की राशि को 1,500/- रुपए से बढ़ाकर 2,000/- रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, विगत में प्रत्येक श्रेणी में 1,000/- रुपए और 750/- रुपए के केवल 2 सांत्वना पुरस्कारों के स्थान पर अब हजार-हजार रुपए के 6 सांत्वरना पुरस्कालर हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग शुरू किए गए। इस प्रकार, इस वर्ष प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि में लगभग 123.33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस वर्ष हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की संख्या में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा पुरस्का र विजेताओं की संख्या में 70.27 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है।

9.5.3 मंत्रालय में दिनांक 20 जून, 2018 को एक पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें पूर्वाहन सत्र में 'राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति' नामक विषय पर और अपराह्न सत्र में 'वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 में निर्धारित लक्ष्यों के बारे में जानकारी' नामक विषय पर राजभाषा विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए और इसमें मंत्रालय के 19 कार्मिकों ने भाग लिया। इसी प्रकार दिनांक 20.09.2018 को एक पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें पूर्वाहन सत्र में 'कंप्यूटर पर यूनीकोड के माध्यम से कार्य करने के बारे में प्रशिक्षण' और अपराह्न सत्र में 'पारिभाषिक शब्द्‍ावली के बारे में

प्रशिक्षण' नामक विषय पर राजभाषा विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए और इसमें मंत्रालय के 20 कार्मिकों ने भाग लिया। इसी तरह दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें पूर्वाहन सत्र में 'सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का प्रयोग करने के बारे में प्रशिक्षण' नामक विषय पर और अपराह्न सत्र में 'हिंदी की मानक वर्तनी के बारे में प्रशिक्षण' नामक विषय पर राजभाषा विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए और इसमें मंत्रालय के 21 कार्मिकों ने भाग लिया।

9.6 सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

मंत्रालय में संपूर्ण हिंदी टंकण-कार्य कंप्यूटरों पर किया जाता है। कार्य को दक्षता और तीव्रता से करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की अनुशंसा के तहत कंप्यूटरों में हिंदी के यूनीकोड समर्थित नवीनतम सॉफ्टवेयर अधिष्ठापित किए गए हैं।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता

यह चिन्ह रेलवे स्टेशन के स्थान को दर्शाता है।
This sign indicates location of Railway Station.

अध्याय-X

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नि:शक्तय व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के कारगर कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। चुने गए/नामित दिव्यांगजनों को उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों पर भी समायोजित किया जाता है।

31 मार्च, 2019 की स्थिजति के अनुसार दिव्यांगजनों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के विवरण इस प्रकार हैं :

समूह	संस्वी कृत संख्याद	नियुक्त दिवयांगजनों की संख्या
तकनीकी		
क	242+86=328*	3
ख	81	2
ग	07	0
कुल	416	5

समूह	संस्वी कृत संख्याद	नियुक्त दिवयांगजनों की संख्या
तकनीकी		
क	88	0
ख	234	0
ग	280	4
कुल	602	4

*** 328 की कुल संस्वीकृत संख्या में 86 प्रतिनियुक्ति आरक्षिति शामिल हैं।**

सुखद यात्रा ऐप का उद्घाटन

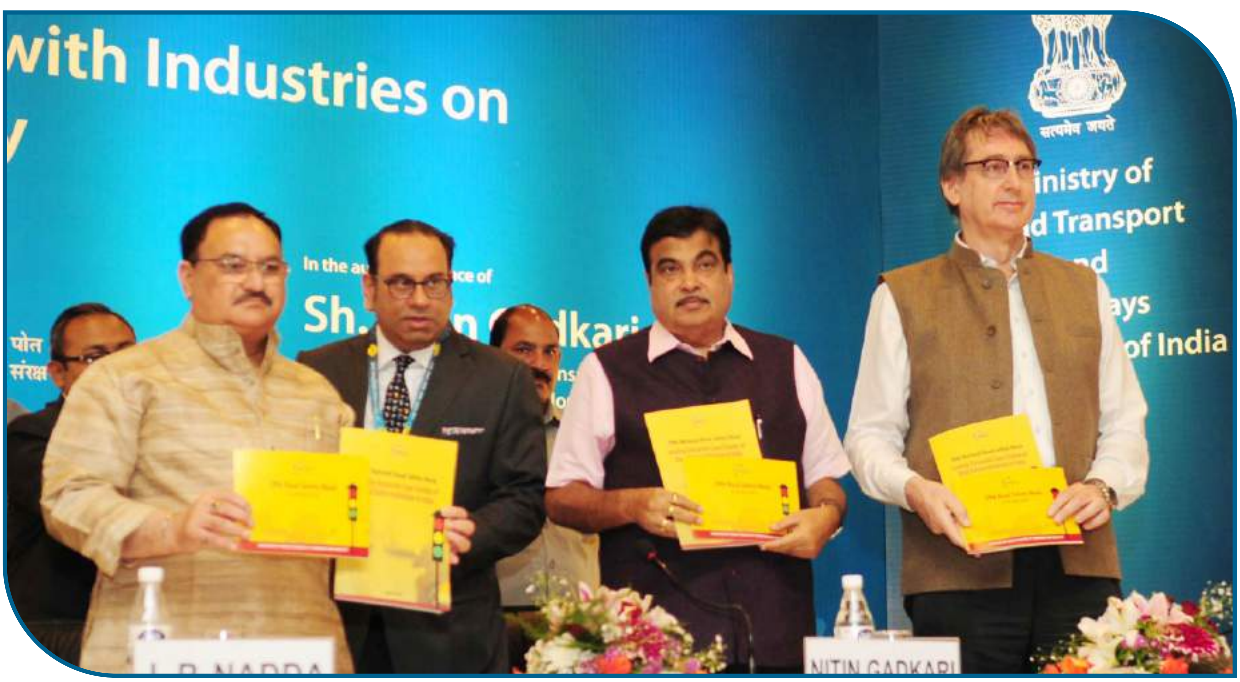

सड़क सुरक्षा संबंधी औद्योगिक मुद्दे संबंधी प्रकाशन का विमोचन

यह चिन्ह आम तौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है, जहां सड़कों पर धूल–मिट्टी या बजरी गिरती रहती है। यह चिन्ह दिखने पर ड्राइवरों को धीमी गति से और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए क्योंकि यहां थोड़ी सी लापरवाही से भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

This sign is usually erected on hilly roads where loose earth or gravel keeps on falling on the road. Driver should drive slowly and carefully after this sign as little carelessness can cause major crashes here.

अध्याय-XI

परिवहन अनुसंधान

11.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का परिवहन अनुसंधान स्कंध सड़कों, सड़क दुर्घटनाओं सहित सड़क परिवहन क्षेत्र से संबंधित डेटा का संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और प्रसार करता है। यह स्कंध नीति नियोजन और मॉनीटरिंग के लिए मंत्रालय को अनुसंधान एवं डेटा सहायता देने के लिए भी जिम्मेदार है। इस दिशा में यह स्कंध डेटा गुणता के व्यवस्थित सुधार के लिए काम कर रहा है और प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से सड़क परिवहन सेक्टर के प्रमुख क्षेत्रों में अध्यंयन भी करा रहा है।

11.2 सड़क और सड़क परिवहन डेटा (सड़क दुर्घटनाओं के डेटा सहित) की गुणता में सुधार के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मंत्रालय की योजनाओं और अंतर्क्षेपों में सहायता की जा सके।

11.3 सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्र में सड़क अनुसंधान स्कंध अपने चार वार्षिक प्रकाशनों नामत: 'भारत की मूल सड़क सांख्यिकी', 'सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका', 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं' के माध्यम से डेटा का प्रसार करता है और राज्यीय सड़क परिवहन उपक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा करता है।

(i) बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स् ऑफ इंडिया

इस पुस्तक में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और जिला सड़कों (राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा निर्मित), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ग्रामीण सड़कों और राज्य लोक निर्माण द्वारा और ग्रामीण कार्य विभागों एवं पंचायतों द्वारा निर्मित सड़कों, नगरपालिकाओं, पत्तंन न्यासों एवं सैन्य इंजीनियरी सेवाओं के अधीन शहरी सड़कों और रेलवे, सीमा सड़क संगठन, कोयला सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों जैसे कि वन, ऊर्जा, सिंचाई आदि जैसे अलग-अलग संगठनों की परियोजना सड़कों सहित सड़क नेटवर्क से संबंधित विस्तृत सूचना दी जाती है। इस पुस्तक के लिए उपर्युक्त एजेंसियो से संबंधित सूचना टीआरडब्ल्यू द्वारा केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी स्रोतों से संग्रहित की जाती है।

(ii) सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिसका

यह पुस्तक पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या, मोटर वाहन कराधान ढांचा, लाइसेंस व परमिट और देश के विभिन्न् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व/ से संबंधित आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है।

(iii) भारत में सड़क दुर्घटनाएं

इस पुस्तक में किसी कैलेण्डर वर्ष के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों के सभी आयामों के बारे में राज्य /संघ राज्यक्षेत्र-वार डेटा उपलब्ध कराया जाता है। परिवहन अनुसंधान स्कंध आईआईटी दिल्ली एवं आईआईटी - खड़गपुर के प्राध्यापकों, प्रधान परिवहन सचिव, त्रिपुरा, एडीजी (पुलिस), यातायात, तमिलनाडु सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक समिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए और सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विहित प्रारूप में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से कैलेंडर वर्ष आधार पर डाटा एकत्र करता है। टीआरडब्ल्यू द्वारा प्रकाशित नवीनतम अंक कैलेंडर वर्ष 2017 का है।

(iv) रिव्यूज ऑफ द पर्फार्मेंस ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स (एसटीआरयू)

इस प्रकाशन में प्रतिवेदनाधीन वित्त वर्ष के दौरान राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों द्वारा प्रदत्तर सूचना के आधार पर एसटीआरयू के भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के लिए राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा का नवीनतम अंक तैयार किया जा रहा है।

11.4 इस प्रकाशन के आंकडों से यथा सुस्पष्ट भारत में सड़कों और सड़क परिवहन क्षेत्र के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :

- रोड ट्रांसपोर्ट इयर बुक 2016-17 को अंतिम रूप दिया जा रहा है, देश में पंजीकृत वाहनों की संख्या मार्च, 2017 तक करीब 2533 लाख (अनंतिम) है, जो वर्ष 2003 से वर्ष 2007 के दौरान 10.0 प्रतिशत की दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि संवृद्धि दर्ज करता है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कुल पंजीकृत वाहनों में दोपहिया 73.9 प्रतिशत है। **परिशिष्ट-13**।
- कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान देश में संसूचित सड़क दुर्घटनाओं की संख्यात 4,64,910 थी, जिनमें 4,70,975 लोगों को चोटें आयीं और 1,47,913 लोगों की जानें गयीं। कैलेंडर वर्ष 2005 से 2017 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्यास, उनमें घायल लोगों की संख्या और मारे गए लोगों की संख्या की प्रवृति **परिशिष्ट 14** में है।
- वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या , घायल व्यक्तियों की संख्या और मारे गए लोगों की संख्या में क्रमश: 3.3 प्रतिशत, 4.8 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत की कमी आयी है। तथापि, प्रति 100 दुर्घटनाओं में मृत व्यमक्तियों की संख्या के अनुसार व्यक्ति दुर्घटना गंभीरता वर्ष 2016 में 31.4 से बढ़कर वर्ष 2017 में 31.8 हो गयी है।
- कैलेंडर वर्ष 2017 के सड़क दुर्घटना पीडितों के उम्र प्रोफाइल से पता चलता है कि 18 से 60 वर्ष के युवा उम्र समूह का प्रतिशत 87.29 (1,29,043 व्यबक्ति) है।
- वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या में सबसे बड़ा हिस्सा दोपहियों का है (33.0 प्रतिशत), उसके बाद कार, टैक्सी, वैन और एलएमवी वाहन हैं (18.2 प्रतिशत), पैदल यात्री (13.8 प्रतिशत), ट्रक / लॉरी (11.6 प्रतिशत), बस (6.1 प्रतिशत), ओटो रिक्शाी (4.8 प्रतिशत) और अन्य (10.1 प्रतिशत) है।
- यातायात नियमों का उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा एकल कारक है। इस नियम के अंतर्गत, नियम सम्मत गति से अधिक गति का हिस्सा दुर्घटनाओं में 70.4 प्रतिशत और मौतों में 66.7 प्रतिशत पर सर्वाधिक है।
- बेसिक रोड स्टैटिस्टक्स (बीआरएस), जिसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, के अनुसार, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार कुल सड़क लंबाई 58,97,671 किलोमीटर (अनंतिम) थी। मुख्य श्रेणियों का अलग अलग विवरण इस प्रकार है :
  - राष्ट्रीय राजमार्ग 1,14,158 किमी
  - राज्यीय राजमार्ग 1,75,036 किमी
  - जिला सडकें 5,86,181 किमी

यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है।

This sign cautions you about a Right Hand Curve on the road ahead. This helps you in maneuvering vehicle accordingly and nullifies the possibility of crash due to sudden appearance of turn.

- ग्रामीण सडकें 41,66,916 किमी
- शहरी सडकें 5,26,483 किमी
- परियोजना सडकें 3,28,986 किमी

- 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का 1.94 प्रतिशत, उसी अवधि में राज्यीय सड़कें 2.97 प्रतिशत और ग्रामीण सड़कों (जेआरवाय सहित) का हिस्सा 70.65 प्रतिशत पर सर्वाधिक था, जिसके बाद जिला सड़कें (9.94 प्रतिशत) और शहरी सड़कें (8.93 प्रतिशत) आती हैं। कुल सड़क लंबाई में सतह सड़क का प्रतिशत 63.28 है।
- देश की कुल सड़क लंबाई वर्ष 1951 के 3.99 लाख किमी से बढ़कर वर्ष 2017 में 58.98 किमी हो गयी, चक्रवृद्धि वार्षिक संवृद्धि दर (सीएजीआर) 4.2 प्रतिशत बैठता है। वर्ष 1951 से 2017 तक कुल सड़क लंबाई का श्रेणीवार अलग अलग विवरण **परिशिष्ट 15** में दिए गए हैं।
- वित्त वर्ष 2016-2017 की अवधि के लिए 'राज्य सड़क परिवहन उपक्रम की समीक्षा और प्रदर्शन नामक रिपोर्ट के अनुसार, कुल 70 एसटीआरयू (छह सह-सदस्य और छः विशेष प्रयोजन माध्यम सहित) में से 55 एसटीआरयू ने वर्ष 2016-17 में अपने भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन सूचित किए जबकि वर्ष 2015-16 में 47 एसटीआरयू ने सूचित किया था।
- 55 एसटीआरयू द्वारा वर्ष 2016-17 में संसूचित हानियां 14,213.34 करोड़ रुपये (अनंतिम) की थी, जबकि वर्ष 2015-16 के लिए 55 एसटीआरयू द्वारा संसूचित हानियां 11,805.45 करोड़ रुपये थी, जो हानियों में 20.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यद्यपि, एसटीआरयू के भौतिक प्रदर्शन में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, एसटीआरयू द्वारा अर्जित कुल राजस्व में 2.51 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि दर्ज हुई है जिसे करीब 5.7 प्रतिशत की लागत अभिवृद्धि ने निष्प्रभावित कर दिया, परिणामस्वरूप वर्ष 2017 में हानियों में वृद्धि हुई, **परिशिष्ट 16**।
- एसटीआरयू का निवल लाभ / हानि प्रत्येक एसआरटीयू में अंतर्निहित प्रचालनात्मक कुशलता मापदंडों पर निर्भर करता है, जैसे पुराने वाहनों का बेड़ा, बेड़ों का उपयोग, अधिभोग अनुपात, कर्मचारी उत्पादकता इत्यादि।

महात्मा गाँधी के 150वीं जयंती मनाने के लिए मोटर रैली को झंडी दिखाई गयी

ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार, यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए।

This sign signifies that the road ahead is wide. The width of the road widens after this sign and thus traffic should adjust accordingly.

अध्याय-XII

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

12.1 वर्ष 2018-19 के दौरान इस मंत्रालय का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग पड़ोसी और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर की गतिविधियों में संलग्न रहा है।

12.2 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग द्वारा की गई प्रमुख पहलें

12.2.1 समझौता ज्ञापन (एमओयू) / समझौते और अन्य हस्ताक्षरित दस्तावेज

पारस्परिक, समानता और परस्पर हितलाभ के आधार पर अन्य देशों के साथ सहयोग के लिए, दो देशों के बीच हस्ताक्षरित दस्तावेज क्रियान्वंयन एजेंसियों, पेशेवरों और निजी क्षेत्र को अभिज्ञात सेक्टरों / क्षेत्रों में मिलकर काम करने और सहयोग करने के लिए सरकारी समर्थन प्रदान करते हैं। इसलिए, साझीदार देशों के सर्वोत्तनम प्रथाओं और तकनीकों का उपयोग करने के लिए गतिविधियों और कार्य योजना की पहचान करने के लिए सड़क परिवहन क्षेत्र में विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दस्तावेजों पर अनुशीलन करने पर प्रयास केंद्रित किए गए।

12.2.2 क्षेत्रीय सहयोग

दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुसाध्य करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पड़ोसी देशों के साथ मोटर वाहन समझौते करने और इस उप-क्षेत्र में बस सेवा करार संपन्न करने हेतु वार्ताओं की पहल की। इन पहलों के अंतर्गत, वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित गतिविधियां की गयीं थी।

(i) सदस्य राष्ट्रों के बीच यात्री और कार्गो वाहनों के आवागमत के नियमन के लिए मोटर वाहन समझौते के पाठ्य पर बातचीत करने के लिए बिम्सटेक की पहली कार्य समूह बैठक 09 - 10 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी। इस बैठक में बांग्लादेश गणराज्य, भूटान, भारत गणराज्य, म्यांमार संघ गणराज्य, नेपाल संघीय गणराज्य, श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणतंत्र, और थाईलैंड राष्ट्र के शिष्ट मंडलों ने भाग लिया। इस बैठक में मोटर वाहन समझौते के मसौदे पाठ्य और इसके अनुलग्नकों के एक एक खंड पर चर्चा की गयी और आगे विचार करने के लिए एक संशोधित मसौदा पाठ्य को अंतिम रूप दिया गया। संशोधित समझौता मसौदा पाठ्य को बिम्सटेक सचिवालय द्वारा सदस्य देशों के बीच, उनके संबंधित आंतरिक / अंतर्मंत्रालयी परामर्श के माध्य म से जॉंच करने हेतु साझा किया गया।

(ii) बांग्लादेश, भारत और नेपाल (बीआईएन) में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौता (एमवीए) के क्रियान्वयन की दिशा में प्रारंभिक कदम के भाग के रूप में 23 से 26 अप्रैल 2018 के दौरान सिलीगुडी, पश्चिम बंगाल के रास्ते काठमांडु, नेपाल की यात्रा करने वाले 43 यात्रियों (बांग्लादेश, भारत और नेपाल के अधिकारीगण) के साथ ढ़ाका, बांग्लादेश से दो सवारी बसों का का पूर्व परीक्षण किया गया। यह पूर्व परीक्षण बस यात्रा 23 अप्रैल को ढ़ाका से शुरू हुई और 26 अप्रैल 2018 को काठमांडु पहुँच गयी। पूर्व परीक्षण बस यात्रा सफलतापूर्वक काठमांडु में संपन्न हुई।

(iii) भारत और नेपाल के बीच सवारी वाहन यातायात के नियमन के लिए भारत – नेपाल मोटर वाहन समझौता के अंतर्गत तीसरा भारत – नेपाल सीमा पार परिवहन सुविधा संयुक्तन कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की दिनांक 20.07.2018 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गयी। जेडब्ल्यूजी ने निर्णय लिया कि दोनों देश अयोध्या से जनकपुर मार्ग पर नियमित बस सेवा शुरू करने के लिए भारत और नेपाल के बस प्रचालकों के लिए आवश्यक मंजूरी और अनापत्तियां शीघ्रता से प्रदान करेंगे। बाद में दिनांक 17.11.2018 से इस मार्ग पर नियमित बस सेवा प्रारंभ हो गयी।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारत और भूमि, अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय (एमएलआईटी), जापान के बीच सहयोग फ्रेमवर्क (एफओसी) के अंतर्गत सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्र में 5वां भारत – जापान संयुक्त कार्य समूह बैठक 12 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी। दोनों पक्षों ने एफओसी के अंतर्गत सड़क क्षेत्र में सहयोग में की गयी प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की और सड़क तथा परिवहन प्रौद्योगिकियों में की गयी प्रगति और दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावना को उजागर किया।

(v) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गांधी जी की 150वीं जन्मोत्सव मनाने के लिए विभिन्न अन्य मंत्रालय के सहयोग से 4 से 24 फरवरी के दौरान एक मोटर कार रैली, 'ड्राइव फॉर सैफ्टी' का आयोजन किया। यह रैली भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में गॉंधी जी से संबद्ध ऐतिहासिक स्थानों से होते हुए गुजरी। इस मोटर रैली को 4 फरवरी 2019 को राजघाट, दिल्ली में झंडी दिखा कर रवाना किया गया। भारत में साबरमती, पोरबंदर, डॉंडी, यरवदा, सेवाग्राम, जबलपुर, लखनऊ, गोरखपुर, चंपारण, शांतिनिकेतन और कोलकाता से होते हुए यह रैली बांग्लादेश में ढ़ाका पहुँची और पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरते हुए 24 फरवरी 2019 को म्यांमार में यंगुन पहुँची। इस रैली ने करीब 40 प्रतिभागियों के साथ 10 कारों में करीब 7250 किलोमीटर की यात्रा की। इस समारोह का लक्ष्य मार्ग में महात्मा गॉंधी और सड़क सुरक्षा के महान मूल्यों का प्रसार करना था।

12.2.3 पड़ोसी देशों में जाने वाली बस सेवाएं

वर्ष के दौरान निम्नलिखित बस सेवाएं शुरू की गयीं :

(i) भारत – नेपाल मोटर वाहन समझौता 2014 के अंतर्गत जनकपुर, नेपाल से अयोध्या, भारत के लिए बस सेवा का औपचारिक उद्घाटन भारतीय प्रधान मंत्री के नेपाल के राजकीय दौरे के दौरान 11 मई 2018 को भारत और नेपाल के प्रधान मंत्रियों द्वारा किया गया। इस सेवा का लक्ष्य भारत और नेपाल के बीच रामायण सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा देना और अवध और मिथिला के लोगों के बीच पुराने संबंध को सशक्त करना है। इस मार्ग पर नियमित बस सेवा दिनांक 17.11.2018 को शुरू हुई, जिसका संचालन भारतीय पक्ष से प्रचालक के रूप में यूपीएसआरटीसी द्वारा किया जा रहा है।

(ii) पटना (भारत) – जनकपुर (नेपाल) मार्ग और बोध गया (भारत) – काठमांडु (नेपाल) मार्ग पर बस सेवाओं को 12 सितंबर 2018 को झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया। भारत – नेपाल मोटर वाहन समझौता, 2014 के अंतर्गत ये दो नयी बस सेवाएं भारत की ओर से बिहार राज्य परिवहन निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है।

12.3 सड़क और सड़क परिवहन में भारत – जापान सहयोग

12.3.1 सड़क और सड़क परिवहन के क्षेत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा जापान के भूमि, अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय (एमएलआईटी) के बीच सहयोग फ्रेमवर्क (एफओसी) के अनुसरण में 12 नवंबर 2018 को दिल्ली में 5वें भारत – जापान कार्य समूह की बैठक आयोजित की गयी।

12.3.2 इस बैठक के पश्चात, दोनों पक्षों ने एफओसी के अंतर्गत सड़क क्षेत्र में की गयी प्रगति के लिए संतुष्टि व्यक्त की। भारत के भारतमाला परियोजना, जिसमें राजमार्ग का बड़ा घटक पर्वतीय और पहाड़ी इलाकों में है, के अंतर्गत इसके विशाल राजमार्ग विस्तार के आलोक मे दोनों पक्षों द्वारा जापान और भारत के बीच सहयोग में वृद्धि की अपार संभावनाओं की अभिपुष्टि की गयी और भावी सहयोग गतिविधियों का पता लगाने के लिए कार्य योजना विकसित करने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गयी :

- भारत में सड़क अवसंरचना विकास में जापानी सहयोग को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहित तकनीकी सूचना विनिमय को गहन करना।
- एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण और प्रचालन से संबंधित प्रौद्योगिकियों संबंधी तकनीकी सूचना विनिमय जैसे आईटीएस, पर्वतीय सड़कों पर आपदा रोकथाम उपाय और पुराने हो रहे पुलों के लिए प्रत्युतपाय।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और जेआईसीए की 5वीं संयुक्त कार्य समूह बैठक

अध्याय-XIII

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पहल

13.1 स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसके सहयोगी संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

13.2 इस मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान स्कंध (टीआरडब्ल्यू) को स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्य के लिए नोडल कार्यालय बनाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय समय समय पर पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित तिथियों के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा मनाता रहा है। टीआरडब्ल्यू एनएचएआई के टोल प्लाजाओं पर शौचालयों के निर्माण, कूड़ादान की व्यवस्था, होर्डिंग / पेंटिंग लगाने, शौचालय का स्थान पता करने के लिए मोबाइल अनुप्रयोग तैयार करने, चालकों के प्रशिक्षण इत्यादि के लिए एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल के साथ अथक अनुशीलन करता रहा है।

13.3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वर्ष 2018-19 के बजट में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आज की तिथि में वित्तीय और भौतिक प्रगति एसबीएम **परिशिष्ट - 18** में दिए गए हैं।

परिशिष्ट-1

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

I. निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के अंदर आते हैं:

1. मोटर वाहनों का अनिवार्य बीमा।

2 सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का संचालन।

3 ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।

4 विधायी विभाग की जांच और विधीक्षा किए बिना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड 'क', धारा 3क, 3घ, 7 और 8क के अंतर्गत अधिसूचनाओं को जारी करना ।

II. संघ राज्यं क्षेत्रों के मामले में:

5 राष्ट्रीय राजमार्गों से इतर सड़कें ।

6 मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का प्रशासन और मोटर वाहनों का कराधन।

7 यांत्रिक रूप से संचालित वाहनों से इतर वाहन ।

III. अन्य विषय जो पूर्व भागों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं:

8. सड़क कार्यों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान।

9. केंद्रीय सरकार द्वारा संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तत पोषित सड़क कार्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सड़क कार्यों के अलावा।

10. मोटर यान विधान

11. मोटर परिवहन और आंतरिक जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारी समितियों को प्रोत्साहन।

12. सड़कों के अवसंरचना क्षेत्रों में निजीकरण नीति को तैयार करना ।

IV. स्वायत्त निकाय:

13. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

V **सोसायटी/संघ:**

14. भारतीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान

VI **सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम:**

15. भारतीय सड़क निर्माण निगम

16. राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

VII **अधिनियम:**

17. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64)।

18. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48)।

19. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)।

20. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68)।

कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है।

Some times roads are intersected by the river without the provision of bridge. These roads are connected through ferry service. This sign indicates that there is a ferry service available to cross the river.

परिशिष्ट-2

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

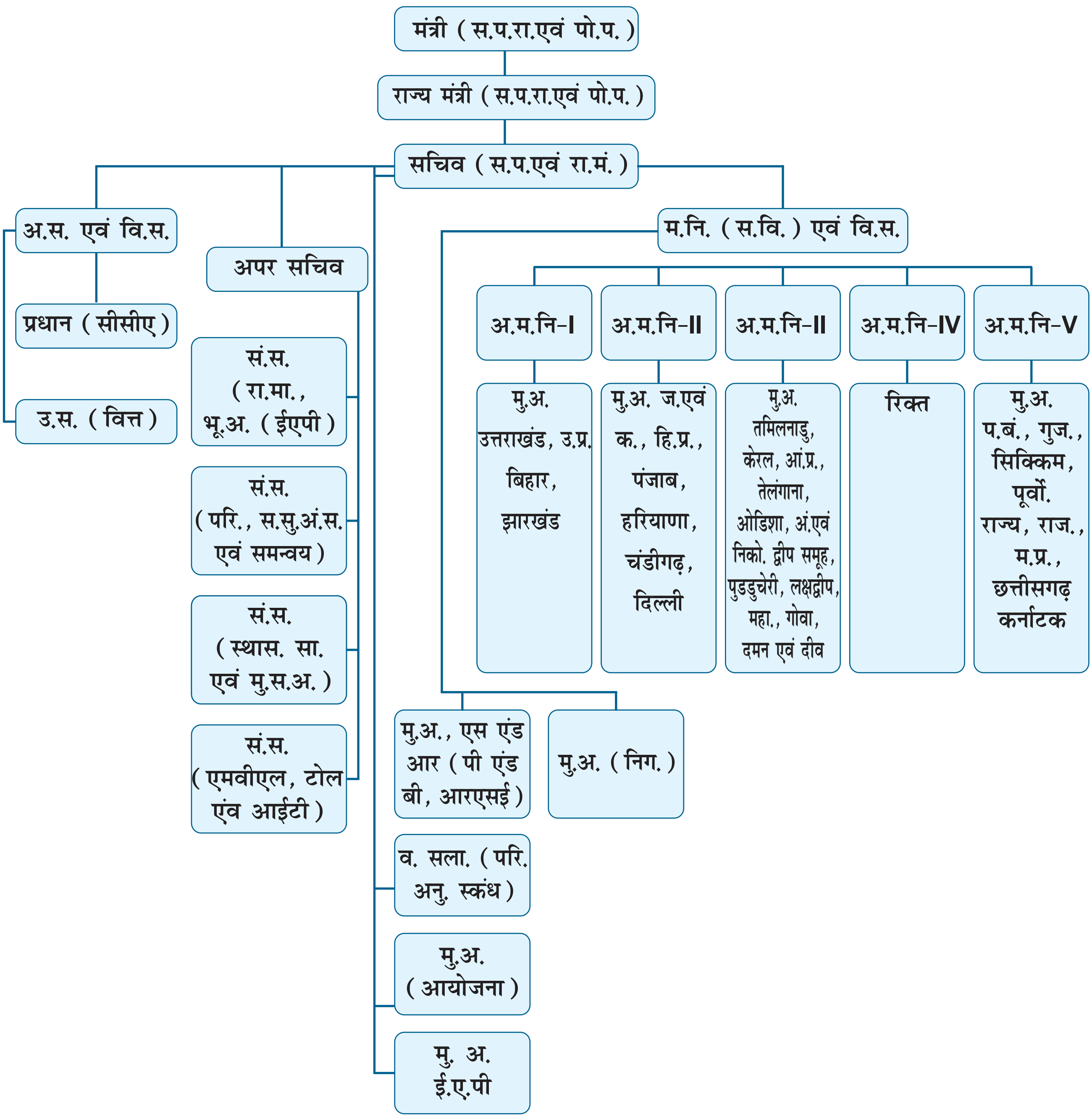

नोटः – सतर्कता, भूमि अधिग्रहण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संसद से जुड़े मामलों को संबंधित संयुक्त सचिव द्वारा सीधे ही सचिव (आरटी एंड एच) को प्रस्तुत किया जाएगा।

परिशिष्ट-3

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्ये का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	31.12.2017 को कुल लंबाई (किमी में)	31.03.2019 को कुल लंबाई (किमी में)
1	आंध्र प्रदेश	16, 216, 216ए, 516सी, 516डी, 516 ई, 716, 716ए, 716बी, 26, 326, 326ए, 30, 40, 140, 340, 340सी, 42, 44 उ.द., 544डी, 544एफ, 544डीडी, 544ई, 150ए, 65, 165, 365बीबी, 565, 765, 67, 167, 167ए, 167बी, 167बीजी, 69, 71, 75	6,383.2	6,913.5
2	अरुणाचल प्रदेश	13, 113, 313, 513, 713, 713ए, 15, 115, 215, 315, 415, 515, 315ए	2,537.4	2,537.4
3	असम	2, 702, 702सी, 702डी, 6, 306, 8, 208ए, 15, 115, 215, 315, 315ए, 415, 515, 715, 715ए, 17, 117, 117ए, 217, 27 पू.प., 127, 127ए, 127बी, 127सी, 127डी, 127ई, 427, 627, 29, 129, 329, 329ए, 37	3,844.7	3,908.5
4	बिहार	19 स्व2.चर्तु., 119, 219, 319, 319ए, 20, 120, 22, 122, 122ए, 122बी, 322, 722, 922, 27 पू.प.., 227, 227ए, 227एफ, 227जे, 227एल, 327, 327ए, 327एडी, 527, 527ए, 527बी, 527सी, 527डी, 527ई, 727, 727ए, 727एए, 31, 131, 131ए, 131बी, 231, 331, 431, 531, 33, 133, 133ए, 133बी, 333, 333ए, 333बी, 333सी, 139	4,838.8	5,357.6
5	चंडीगढ़	5	15.3	15.3
6	छत्तीढसगढ़	30, 130, 130ए, 130बी, 130सी, 130डी, 130सीडी, 930, 43, 143बी, 343, 45, 49, 149बी, 53, 153, 353, 63, 163, 163ए	3,523.2	3,605.8
7	दिल्ली	9, 709बी, 44, 344एम, 344ई, 344पी, 48, 148ए, 148एई, 148ईए, 248बीबी	78.9	157.1
8	गोवा	748, 748एए, 66, 366, 566	292.9	292.9
9	गुजरात	ईई-1, 27, 927डी, 41, 141, 341, 47, 147, 147डी, 48, 148एम, 148ई, 848, 848ए, 848बी, 51, 151, 151ए, 251, 351, 351एफ, 751, 751डी, 751डीडी, 53, 753बी, 953, 754के, 56, 756, 58, 64, 68, 168, 168ए	5,456.0	6,635.0
10	हरियाणा	ईई2, 703, 5, 105, 7, 907, 907जी, 9, 709, 709ए, 709एडी, 11, 919, 334बी, 334डी, 44, 344, 344ई, 344पी, 444ए, 48, 148ए, 148बी, 148ई, 148ईए, 248ए, 248बीबी, 54, 52, 152, 152ए, 152डी, 352, 352ए, 352आर, 352डब्यू 15 , 254	2,740.6	3,165.7
11	हिमाचल प्रदेश	3, 103, 303, 503, 503ए, 5, 105, 205, 305, 505, 505ए, 705, 7, 707, 907ए, 907, 154, 154ए, 44 उ.द.	2,642.5	2,606.9
12	जम्मूल एवं कश्मीलर	1, 301, 501, 701, 701ए, 3, 44, 144, 144ए, 244, 244ए, 444	2,601.0	2,423.2
13	झारखंड	114ए, 18, 118, 218, 19, 419, 20, 220, 320, 320डी, 320जी, 22, 522, 33, 133, 333, 133ए, 133बी, 333ए, 39, 139, 43, 143, 143ए, 143बी, 143एजी, 143डी, 143एच, 343, 49	2,661.2	3,366.8
14	कर्नाटक	44 उ.द., 544डीडी, 544ई, 48 स्व5.चर्तु., 548बी, 548एच, 648, 748, 748एए, 948, 948ए, 50, 150, 150ए, 52, 752के, 160, 161ए, 561ए, 163, 65, 66, 166ई, 766, 766सी, 766ई, 766ईई, 67, 167, 367, 367ए, 69, 169, 169ए, 369, 369ई, 73, 173, 373, 75, 275, 275के, 181	6,991.1	7,334.8
15	केरल	544, 744, 66, 766, 966, 966 ए, 966 बी, 183, 183ए, 85, 185	1,781.6	1,781.6
16	मध्या प्रदेश	719, 27, 927ए, 30, 34, 135, 135बी, 135बीबी, 135बीडी, 135बीजी, 135सी, 44, 45, 934, 39, 339बी, 539, 43, 543, 943, 46, 146, 146बी, 346, 47, 147ई, 347, 347ए, 347बी, 347सी, 547, 548सी, 52, 552 विस्ता6र, 752बी, 752सी, 752जी, 753एल, 56, 161जी	8,052.7	8,772.3

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	31.12.2017 को कुल लंबाई (किमी में)	31.03.2019 को कुल लंबाई (किमी में)
17	महाराष्ट्र	930, 930डी, 130डी, 543, 44, 47, 547, 547ई, 347सी, 247, 647, 347ए, 48, 348, 348ए, 348बी, 348बीबी, 548ए, 548बी, 548सी, 548डीडी, 548एच, 548डी, 548, 548सीसी, 548ई, 848, 848ए, 50, 150, 52, 652, 752ई, 752जी, 752I, 752के, 752एच, 53, 353सी, 353डी, 353ई, 753, 753ए, 753बी, 753ई, 753एफ, 953, 353बी, 353I , 753जे, 753एल, 353जे, 353के, 753सी, 753बीबी, 753एबी, 753एच, 753एम, 60, 160, 160ए, 160बी, 160सी, 160डी, 160एच, 61, 161, 161ए, 161ई, 161जी, 161एच, 461बी, 361एफ, 361, 361बी, 361सी, 361एच, 561ए , 561, 561, 761, 63, 65, 465, 965, 965डीडी, 965डी, 965सी, 965जी, 66, 166, 166ए, 166एच, 166डी, 166एफ, 166जी, 166ई, 266	16,238.5	17,756.6
18	मणिपुर	2, 102, 102ए, 102बी, 102सी, 202, 702ए, 29, 129ए, 37, 137, 137ए	1,745.7	1,750.3
19	मेघालय	6, 106, 206, 217, 127बी	1,204.4	1,155.6
20	मिजोरम	2, 102बी, 302, 502, 502ए, 6, 306, 306ए, 108	1,422.5	1,422.5
21	नागालैंड	2, 202, 702, 702ए, 702बी, 702डी, 29, 129, 129ए, 229, 329ए	1,546.7	1,547.7
22	ओडिशा	16 स्व.चर्तु., 316, 316ए, 516, 516ए, 18, 20, 220, 320डी, 520, 720, 26, 126, 126ए, 326, 326ए, 130सी, 130सीडी, 143, 143एच, 49, 149, 53, 153बी, 353, 55, 655, 57, 157, 157ए, 59, 63	5,413.1	5,761.5
23	पुड्डुचेरी	32, 332	64.0	26.9
24	पंजाब	3, 503, 503ए, 703, 703ए, 703बी, 5, 105बी, 205, 205ए, 7, 9, 44, 344, 344ए, 344बी, 148बी, 148बीबी, 52, 152, 152ए, 54, 154, 154ए, 254, 354, 354बी, 354ई, 754, 62	3,227.5	3,274.1
25	राजस्थान	709, 11, 311, 911, 911ए, 919, 21, 921, 23, 123, 25, 125, 325, 925, 925ए, 27, 927ए, 44, 48, 148, 148बी, 148सी, 148डी, 148ई, 248, 248ए, 448, 52, 552, 552जी, 752, 54, 754के, 954, 56, 156, 58, 158, 458, 758, 62, 162, 162ए, 68, 168, 168ए, 968, 70	8,971.5	10,341.8
26	सिक्किम	10, 310, 310ए, 510, 710, 717ए, 717बी	463.0	463.0
27	तमिलनाडु	16 स्व0.चर्तु., 716, 716ए, 716बी, 32, 32 विस्ता र, 132, 132बी, 332, 332ए, 532, 36, 136, 136, 136बी, 336, 536, 38, 138, 338, 40, 42, 44 उ.द., 544, 544एच, 744, 744ए, 844, 944, 48 स्व.चर्तु., 648, 948, 66, 75, 77, 79, 179ए, 179बी, 179डी, 81, 181, 381, 381ए, 381बी, 83, 183, 383, 85, 785, 87	5,918.4	6,741.5
28	तेलंगाना	30, 44, 150, 353बी, 353सी, 61, 161, 161बी, 161एए, 161बीबी, 63, 163, 363, 563, 65, 365, 365ए, 365बी, 365बीबी, 565, 765, 765डी, 167, 167 ईxtई.	3,786.4	3,795.5
29	त्रिपुरा	8, 108, 108ए, 108 बी, 208, 208ए	853.8	853.8
30	उत्तर प्रदेश	ई2, 307, 9, 509, 709ए, 709एडी, 709बी, 19, 219, 319डी, 519, 719, 21, 321, 321जी, 123, 24, 124सी, 124डी, 27, 227ए, 727, 727ए, 727एए, 727बीबी, 727बी, 727जी, 727एच, 927, 28, 128, 128ए, 128बी, 128सी, 328, 328ए, 30, 230, 330, 330ए, 330बी, 330डी, 530, 730सी, 730, 530बी, 730बी, 730एच, 730, 730ए, 31, 731, 731ए, 731बी, 731एजी, 731के, 135, 335, 931, 931ए, 34, 234, 334, 334ए, 334सी, 334बी, 334डी, 334डीडी, 534, 734, 35, 135सी, 135ए, 135बीबी, 135बी, 39, 339, 539, 44, 344, 552 विस्ताार	9,016.9	11,736.8
31	उत्तराखंड	7, 107, 107ए, 507, 307, 707, 707ए, 9, 109, 309, 309ए, 309बी, 30, 34, 134, 334, 334ए, 534, 734, 344	2,841.9	2,949.3

क्र. सं.	राज्ये का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	31.12.2017 को कुल लंबाई (किमी में)	31.03.2019 को कुल लंबाई (किमी में)
32	पश्चिम बंगाल	10, 110, 12, 112, 312, 512, 14, 114, 114ए, 314, 16, 116, 116ए, 116बी, 316ए, 17, 317, 317ए, 517, 717, 717ए, 18, 218, 19, 419, 27, 327, 327बी, 327सी, 31, 131ए, 33, 133ए, 49	3,004.3	3,664.5
33	अंड एवं निको. द्वीपसमूह	4	330.7	330.7
34	दादरा एवं नागर हवेली	848ए	31.0	31.0
35	दमन एवं दिउ	848बी, 251	22.0	22.0
		कुल	**120,543.2**	**1,32,499.5**

कई बार सड़क पथ–कर वसूली केंद्र / जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहाँ वाहनों को रुकना पड़ेगा।

Many a times the road passes through toll collection point/check posts etc. One can find barriers on such places. This sign indicates that there is a barrier ahead on the road and vehicle has to stop there.

परिशिष्ट-4

विकास एवं अनुरक्षण के तहत आवंटन

राशि करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्य / संघ क्षेत्र / एजेंसी / योजना	दिनांक 31.12.2018 को		दिनांक 31.03.2019 को	
		विकास के तहत आवंटन	अनुरक्षण के तहत आवंटन	विकास के तहत आवंटन	अनुरक्षण के तहत आवंटन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आंध्र प्रदेश	1,645.48	105.46	2,260.26	87.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	43.77	90.00	34.10
3.	असम	121.31	112.53	414.00	48.33
4.	बिहार	1,848.10	103.69	1,598.31	38.86
5.	छत्तीसगढ़	846.35	42.10	1,831.32	28.59
6.	गोवा	400.00	29.18	940.00	8.10
7.	गुजरात	252.79	112.21	391.55	80.30
8.	हरियाणा	100.00	60.49	330.00	0.80
9.	हिमाचल प्रदेश	241.45	98.32	350.80	55.45
10.	जम्मू एवं कश्मीर	30.00	14.29	45.00	33.48
11.	झारखंड	200.00	80.04	320.00	44.31
12.	कर्नाटक	996.16	134.87	1,630.02	66.21
13.	केरल	162.77	123.69	280.45	81.95
14.	मध्य प्रदेश	850.00	69.27	1,665.00	40.59
15.	महाराष्ट्र	3,226.88	187.18	7,050.88	387.90
16.	मणिपुर	60.38	40.39	260.21	34.94
17.	मेघालय	26.94	124.23	70.97	121.29
18.	मिजोरम	30.00	160.93	80.00	158.98
19.	नागालैंड	92.00	80.32	200.00	63.33
20.	ओडिशा	630.84	65.61	790.47	43.24
21.	पंजाब	755.61	76.11	786.18	33.20
22.	राजस्थान	980.57	92.58	1,295.87	52.73
23.	सिक्किम	5.75	11.08	0.73	16.00
24.	तमिल नाडु	700.00	77.69	870.00	52.77
25.	तेलंगाना	395.00	76.67	1,220.00	37.34
26.	त्रिपुरा	33.00	53.26	50.00	47.94
27.	उत्तर प्रदेश	924.94	140.98	2,040.05	73.07
28.	उत्तराखंड	701.37	41.58	1,000.49	38.06
29.	पश्चिम बंगाल	1,319.00	74.08	991.00	32.27
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	6.00	1.31	1.50	0.10
32.	दादर एवं नागर हवेली	0.00	0.11	0.00	0.10
33.	दामन एवं दीव	0.00	0.07	0.00	0.10
34.	दिल्ली	2.00	0.98	42.00	0.50
35.	पुड्डुचेरी	15.00	1.14	30.00	1.08

विकास एवं अनुरक्षण के तहत आवंटन

राशि करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्य / संघ क्षेत्र / एजेंसी / योजना	दिनांक 31.12.2018 को		दिनांक 31.03.2019 को	
		विकास के तहत आवंटन	अनुरक्षण के तहत आवंटन	विकास के तहत आवंटन	अनुरक्षण के तहत आवंटन
36.	रारा (मूल) के अंतर्गत अन्ये परियोजनाएं रु	185.00	0.00	4.00	0.00
37.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) - उपकर रु	11,429.45	100.00	11,569.00	272.19
38.	एनएचएआई - टोल रु	8,462.14	0.00	9,570.13	
39.	एनएचएआई -टीओटी रु	0.00	0.00	9,681.50	
40.	एनएचएआई - रारा(मूल)	1,500.00	0.00		
41.	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि. (एनएचआईडीसीएल) रारा (मूल) के अंतर्गत रु	125.00	75.00	1,000.00	100.00
42.	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)रु	0.00	120.00	135.00	115.00
43.	अरुणाचल पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई)**	5,265.00	0.00	5,380.00	-
44.	विजयवाड़ा - रॉंची सड़क सहित वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्यूई) में सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम''	900.00	0.00	595.00	-
45.	वाहय सहायता प्राप्त परियोजनाएं - मुख्यालय, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल रु	296.00	0.00	183.00	-
46.	पुल प्रबंधन प्रणाली		3.54		
	कुल	**45,782.28**	**2,734.75**	**67,044.69**	**2,331.18**

* इसमें राज्यीय सड़कें भी शामिल हैं
# राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अंग्रेजी के 'टी' अक्षर की तर्ज पर तिराहा (इंटरसेक्शन) है और वहां सीधा रास्ता नहीं जाता है। यातायात को बायीं या दायीं ओर मोड़ना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है।

This sign cautions about that there is T-intersection on the road ahead and there is no forward movement. Traffic has to either turn left or right. This helps driver in planning his movement on road.

परिशिष्ट-5

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आबंटन और निर्मोचन (राज्यीय सड़कें)

Amount in Rs. Crore

वर्ष	2000-01		2001-02		2002-03	
	आबंटन	निर्मोचन	आबंटन	निर्मोचन	आबंटन	निर्मोचन
करोड़ रुपये में	985.00	332.01	962.03	300.00	980.00	950.28
वर्ष	2003-04		2004-05		2005-06	
	आबंटन	निर्मोचन	आबंटन	निर्मोचन	आबंटन	निर्मोचन
करोड़ रुपये में	910.76	778.94	868.00	607.40	1535.36	1299.27
वर्ष	2006-07		2007-08		2008-09	
	आबंटन	निर्मोचन	आबंटन	निर्मोचन	आबंटन	निर्मोचन
करोड़ रुपये में	1535.46	1426.29	1565.32	1322.19	1271.64	2122.00
वर्ष	2009-10		2010-11		2011-12	
	आबंटन	निर्मोचन	आबंटन	निर्मोचन	आबंटन	निर्मोचन
करोड़ रुपये में	1786.56	1344.98	2714.87	2460.29	2288.65	1927.39
वर्ष	2012-13		2013-14		2014-15	
	आबंटन	निर्मोचन	आबंटन	निर्मोचन	आबंटन	निर्मोचन
करोड़ रुपये में	2359.91	2350.37	2359.91	2226.60	2642.63	2094.78
वर्ष	2015-16		2016-17		2017-18	
	आबंटन	निर्मोचन	आबंटन	निर्मोचन	आबंटन	निर्मोचन
करोड़ रुपये में	2852.64	2369.47	7175.00	5069.82	6,744.07	6,367.11
वर्ष	2018-19*					
	आबंटन	निर्मोचन				
करोड़ रुपये में	6,836.43	6785				

परिशिष्ट-6

01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए एनएचआईडीसीएल का वित्तीय व्यय

करोड़ रुपये में

क्र. सं.	राज्य	भूमि अधिग्रहण	सुविधा स्थानांतरण		प्राधिकरण इंजीनियर	सिविल कार्य	कुल
			सुविधा स्थान परिवर्तन	वन मंजूरी			
1	अंड. एवं निकोबार	-	7.00	5.87	4.09	274.58	**291.54**
2	अरूणाचल प्रदेश	76.36	0.43	42.89	32.54	1,661.64	**1,813.87**
3	असम	420.94	16.56	8.38	27.82	721.86	**1,195.56**
4	जम्मू एवं कश्मीर	58.62	-	2.73	2.17	35.50	**99.03**
5	मणिपुर	122.38	-	17.74	0.95	146.70	**287.78**
6	नागालैंड	156.98	21.58	-	6.67	536.19	**721.43**
7	सिक्किम	136.79	2.80	2.30	2.24	109.27	**253.41**
8	त्रिपुरा	9.75	0.70	1.23	7.40	384.21	**403.29**
9	मेघालय	49.31	-	-	-	-	**49.31**
10	मिजोरम	-	-	2.48	-	-	**2.48**
11	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	13.41	**13.41**
12	उत्तराखंड	62.21	11.30	5.96	3.16	260.28	**342.92**
	कुल	**1,093.36**	**60.38**	**89.60**	**87.05**	**4,143.66**	**5,474.03**

परिशिष्ट-7

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों (तकनीकी और गैर-तकनीकी) की कुल संख्याो

समूह	संस्वीकृत संख्या	पदासीन कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति	पदासीन कुल कर्मचारियों में से अनु. जाति कर्मचारियों का प्रतिशत	कुल पदासीन कर्मचारियों में से अनु. ज. जा. कर्मचारियों का प्रतिशत
तकनीकी						
क	242+86*=328*	288	45	19	15.62	6.59
ख	81	63	13	05	20.63	7.93
ग	07	02	01	00	50.00	0
कुल	416	353	59	24	16.71	6.79
गैर-तकनीकी						
क	88	71	11	08	15.49	11.27
ख	234	163	26	14	15.95	8.58
ग	280	199	61	13	30.65	20.63
कुल	602	433	98	35	22.63	8.08

*328 की कुल संस्वीकृत संख्या में 86 प्रतिनियुक्ति आरक्षिती भी शामिल हैं।

परिशिष्ट-8

राष्ट्रीय परमिट शुल्क का राज्य-वार संवितरण दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तिविक रुपये में
1	आंध्र प्रदेश	705085056
2	अरुणाचल प्रदेश	1224106
3	असम	272975638
4	बिहार	888700956
5	चंडीगढ़	248493518
6	छत्तीढसगढ़	348870210
7	दादरा एवं नागर हवेली	91807950
8	दमन एवं दीव	88135632
9	दिल्लीं	816478702
10	गोवा	124858812
11	गुजरात	1232674742
12	हरियाणा	969491952
13	हिमाचल प्रदेश	362335376
14	जम्मूल एवं कश्मी र	104049010
15	झारखंड	812816384
16	कर्नाटक	1575424422
17	केरल	489642400
18	मध्या प्रदेश	1921846420
19	महाराष्ट्रद	2002637416
20	मणिपुर	2448212
21	मेघालय	22033908
22	मिजोरम	3672318

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तिविक रुपये में
23	नागालैंड	17137484
24	ओडिशा	583898562
25	पंजाब	678154724
26	पुडडुचेरी	187288218
27	राजस्थोन	489737002
28	सिक्किम	1224106
29	तमिलनाडु	687947572
30	तेलंगना	253389942
31	त्रिपूरा	12241060
32	उत्तराखंड	489642400
33	उत्तर प्रदेश	1997740992
34	पश्चिम बंगाल	713653798
	कुल	20197749000

परिशिष्ट-9

प्रमुख शीर्षवार व्यय 2018-19

			राशि करोड़ रुपये में		
लेखा शीर्ष	ब.अ. 2019.20	सं.अ.	31.03.2019 से व्यय	ब.अ. %	सं.अ. %
राजस्व शीर्ष					
मु. शी. 3054 - सड़क एवं पुल	3144.49	2705.17	1693.35	53.85	62.60
मु. शी. 3055 - सड़क परिवहन	474.36	424.36	192.01	40.48	45.25
मु. शी. -3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	126.80	126.68	116.91	92.20	92.29
मु. शी. 3601-सरकारों को अराज्य स.	7891.00	6891.00	6763.98	85.72	98.16
मु.शी.3602-संघ क्षेत्र सरकारों को अनुदान सहायता	83.50	75.00	0.00		0.00
अंतर लेखा अधिकारी	11432.95	9644.13	9256.73		95.98
कुल राजस्व खंड	23153.10	19866.34	18022.99	77.84	90.72
वसूली घटाएं (राजस्व)	-11593.35	-9804.53	-8350.55	72.03	85.17
कुल राजस्वं (निवल)	11559.75	10061.81	9672.43	83.67	96.13
मु.शी. 4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र संबंधी पूंजी परिव्यय ***	6210.00	6210.00	0.00		0.00
मु.शी. 5054 - सड़कों और पुलों का पूंजी परिव्यय	53265.25	62397.69	67200.26	126.16	107.70
मु.शी.5055 - सड़क परिवहन का पूंजी परिव्यय	15.00	8.00	0.28	1.89	3.55
अंतर लेखा अधिकारी	58690.25	67510.69	57069.19	9681.50	84.53
कुल पूंजीगत खंड (सकल)	118180.50	136126.38	124269.74	9809.55	91.29
वसूली घटाएं (पूंजी)	-58740.25	-67560.69	-56256.28	95.77	83.27
कुल पूंजीगत खंड (निवल)	59440.25	68565.69	68013.46	114.42	99.19
सकल योग (राजस्व + पूंजी)	141333.60	155992.72	142292.72	100.68	91.22
वसूली घटाएं (राजस्व + पूंजी)	-70333.60	-77365.22	-64606.83	91.86	83.51
कुल (राजस्व + पूंजी)निवल	71000.00	78627.50	77685.89	109.42	98.80

***निधियां मु.शी. 4552 से मु.शी. 5054 में पुनः विनियोजित की गयीं

यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों (स्थानों) की दिशा और उनकी दूरी को इंगित करता है। आम तौर पर चौराहे (इंटरसेक्शन) से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं।

This sign indicates the direction and distance to various destinations falling on that particular road. These signs are generally installed before intersections.

परिशिष्ट-10

राजस्व प्राप्तियों के संबंध में पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीधय लेन-देन (एससीटी) के विवरण के अनुसार निधियों के स्रोत

राजस्व प्राप्तियां

करोड़ रुपये में

मद/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (मार्च 2019 तक)
कर राजस्व	277.10	374.60	382.08	80.78
गैर-कर राजस्व	7017.74	7463.31	9173.41	19451.68
सकल राजस्व प्राप्तियां	7294.84	7831.51	9555.49	20032.46

परिशिष्ट-11

पिछले तीन वर्षो की राजस्व प्राप्तियों का शीर्ष-वार विवरण

करोड़ रुपये में

मुख्य शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 मार्च, 2019
0021 - कॉरपोरेशन कर के इतर आय पर कर	277.10	374.60	382.08	580.78
0049 - ब्याज प्राप्तियां	127.74	135.61	100.24	148.70
0058 - लेखन सामग्री और मुद्रण				
0059 - लोक कार्य	0.12	0.00		
0070 - अन्यल प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00
0071 - पेंशन और अन्य सेवांत हितलाभ	0.46	0.60	0.97	1.48
0075 - प्रकीण सामान्यन सेवाएं	1.77	1.77	1.61	4.93
0210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	0.24	0.27	0.48	0.49
0216 - आवासन	0.16	1.27	0.15	0.14
1054 - सड़क एवं पुल	6887.24	7323.72	9062.81	19295.94
1475 - अन्यत सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.01	0.07	0.01	0.00
कुल	7294.84	7837.91	9548.35	20032.46

स्रोत-ई-लेखा

परिशिष्ट-12

लेखा 2018-19 के मुख्य बिन्दु

प्राप्तियां (2018-19)			संवितरण (2018-19)	
राशि (हजार रुपये में)			राशि (हजार रुपये में)	
क	राजस्व प्राप्तियां		राजस्व व्यय	
1	कर राजस्व	5807859	सामान्य सेवा	217515
2	गैर कर राजस्व	194651486	सामाजिक सेवा	15229
	ब्याज प्राप्तियां	1607085	आर्थिक सेवा	27472049
	अन्या गैर-कर राजस्व	193044401	अनुदान सहायता और अंशदान	67913057
	कुल राजस्व प्राप्तियां	200459345	कुल राजस्वं व्यय	95617850
ख	पूंजीगत प्राप्तियां		पूंजीगत व्यय	
	प्रकीर्ण पूंजीगत प्राप्तियां	20000	आर्थिक सेवा	674002311
	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम		ऋण और अग्रिम	5159
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	4953		
	कुल पूंजीगत प्राप्तियां	24953	कुल पूंजीगत व्यय	674007470
	कुल-भारत की समेकित निधि	200484298	कुल-भारत की समेकित निधि	769625320
	लोक लेखा		लोक लेखा	
	लघु बचत भविष्य निधि खाता	247261	लघु बचत भविष्य निधि खाता	144215
	भविष्य निधि	208263	भविष्य निधि	141286
	अन्य खाते	826	अन्य खाते	2929
	आरक्षित निधियां	603459200	आरक्षित निधियां	592587755
	आरक्षित निधियां बिना ब्याज के	603459200	आरक्षित निधियां बिना ब्याज के	592587755
	जमा ब्यान सहित	101753008	जमा ब्यान सहित	90545782
	जमा ब्यान सहित	0	जमा ब्यान सहित	0
	जमा बिना ब्याज के	101753008	जमा बिना ब्याज के	90545782
	अग्रिम	0	अग्रिम	0
	उचंत एवं विविध	765818752	उचंत एवं विविध	218859447
	उचंत	-981009	उचंत	-741482
	अन्य लेखे		अन्य लेखे	219600929
	कुल लोक लेखा	1471278221	कुल लोक लेखा	902137199
	कुल प्राप्तियां	1671762519	कुल व्यय	1671762519

यह सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक पेट्रोल पम्प है। कई बार इस चिन्ह पर दूरी भी इंगित की जाती है, जो दर्शाता है कि चिन्ह बोर्ड से पेट्रोल पम्प कितनी दूरी पर है।

This informatory sign indicates that there is a Petrol Pump ahead. Sometimes distance is also indicated on this sign which gives an idea about location of the Petrol Pump from the sign post.

परिशिष्ट-13

भारत में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या : 2003-2017

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	समस्त वाहन	दुपहिया	कारें, जीपें और टैक्सियां	बसें @	माल वाहल	अन्य *
1	2	3	4	5	6	7
2003	67007	47519	8599	721	3492	6676
2004	72718	51922	9451	768	3749	6828
2005	81499	58799	10320	892	4031	7457
2006	89618	64743	11526	992	4436	7921
2007	96707	69129	12649	1350	5119	8460
2008	105353	75336	13950	1427	5601	9039
2009	114951	82402	15313	1486	6041	9710
2010	127746	91598	17109	1527	6432	11080
2011	141866	101865	19231	1604	7064	12102
2012	159491	115419	21568	1677	7658	13169
2013	176044	127830	24056	1814	8307	14037
2014	190704	139410	25998	1887	8698	14712
2015	210023	154298	28611	1971	9344	15799
2016	230031	168975	30242	1757	10516	18541
2017(P)	253311	187091	33688	1864	12256	18411
सीएजीआर (2003 से 2017)	**10.0**	**10.3**	**10.2**	**7.0**	**9.4**	**7.5**

* अन्य में शामिल हैं- ट्रेक्टर, ट्रेलर, तिपहिया वाहन (सवारी वाहन)/हल्के मोटर वाहन और अन्य विविध वाहन जो अलग से वर्गीकृत नहीं किए गए हैं।

@ ओमनी बसें शामिल हैं।

स्रोत: राज्य परिवहन आयुक्तों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन परिवहन आयुक्तों के कार्यालय

परिशिष्ट-14

सड़क दुर्घटनाओं और उनसे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या : 2005 से 2017

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या		दुर्घटना की गंभीरता*
	कुल	घातक	मारे गये	घायल	
2005	4,39,255	83,491 (19.0)	94,968	4,65 ,282	21.6
2006	4,60,920	93,917 (20.4)	1,05,749	4,96,481	22.9
2007	4,79,216	1,01,161 (21.1)	1,14,444	5,13,340	23.9
2008	4,84,704	1,06,591 (22.0)	1,19,860	5,23,193	24.7
2009	4,86,384	1,10,993 (22.8)	1,25,660	5,15,458	25.8
2010	4,99,628	1,19,558 (23.9)	1,34,513	5,27,512	26.9
2011	4,97,686	1,21,618 (24.4)	1,42,485	5,11,394	28.6
2012	4,90,383	1,23,093 (25.1)	1,38,258	5,09,667	28.2
2013	4,86,476	1,22,589(25.2)	1,37,572	4,94,893	28.3
2014	4,89,400	1,25,828(25.7)	1,39,671	4,93,474	28.5
2015	5,01,423	1,31,726(26.3)	1,46,133	5,00,279	29.1
2016	4,80,652	1,36,071 (28.3)	1,50,785	4,94,624	31.4
2017	4,64,910	1,34,796 (29.0)	1,47,913	4,70,975	31.8

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल दुर्घटनाओं में से घातक दुर्घटनाओं का हिस्सा) दर्शाते हैं।

* प्रति 100 दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्याक

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पुलिस विभागों) द्वारा भेजी गई सूचना

यह चिन्ह ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है और यह उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी भी दर्शाता है।
This sign assures the driver that he is on right path and also tells the distance of the places written on it.

परिशिष्ट-15

श्रेणीवार सड़क नेटवर्क : 1951 से 2017 (किमी में)

सड़क श्रेणी	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011	2015	2016	2017(P)
राष्ट्रीय राजमार्ग	19811 (4.95)	23798 (4.54)	23838 (2.61)	32671 (2.13)	33650 (1.45)	57737 (1.71)	70934 (1.52)	97991 (1.79)	101011 (1.80)	114158 (1.93)
राज्यीय राजमार्ग	#	#	56765 (6.20)	94359 (6.35)	127311 (5.47)	132100 (3.92)	163898 (3.50)	167109 (3.05)	176166 (3.14)	175036 (2.97)
जिला सड़क	173723 (43.44)	257125 (49.02)	276833 (30.26)	421895 (28.40)	509435 (21.89)	736001 (21.82)	998895 (21.36)	1101178 (20.12)	561940 (10.03)	586181 (9.93)
ग्रामीण सड़क	206408 (51.61)	197194 (37.60)	354530 (38.75)	628865 (42.34)	1260430 (54.15)	1972016 (58.46)	2749804 (58.80)	3337255 (61.00)	3935337 (70.23)	4166576 (70.65)
शहरी सड़क	0 (0.00)	48361 (8.84)	72120 (7.88)	123120 (8.29)	186799 (8.03)	252001 (7.47)	411679 (8.80)	467106 (8.54)	509730 (9.10)	526483 (8.93)
परियोजना सड़क	0 (0.00)	0 (0.00)	130893 (14.31)	185511 (12.49)	209737 (9.01)	223665 (6.63)	281628 (6.02)	301505 (5.50)	319109 (5.70)	328897 (5.57)
कुल	399942	524478	914979	1485421	2327362	3373520	4676838	5472144	5603293	5897671

टिप्पणी: कोष्ठ क में दिए गए आंकड़े प्रत्येक सड़क श्रेणी में कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत दर्शाते है।

जिला सड़कों में शामिल।

स्रोत: सड़क विकास और अनुरक्षण के काम में लगे विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय विभाग/एजेंसियां

परिशिष्ट-16

55 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का संयुक्त भौतिक कार्य-निष्पादन- 2015-16 और 2016-17

क्र. सं.	मद	2015-16	2016-17 (अनंतिम)	प्रतिशत वृद्धि / कमी
क.	भौतिक निष्पाधन			
1	धारित बेड़ा (संख्या)	1,47,116	1,48,843	1.17
2	बेड़ा-प्रचालन में (संख्याह)	1,32,620	1,33,620	0.75
3	बेड़ा उपयोगिता (प्रतिशत में)	90.15	89.77	-0.42
4	यात्री प्रति किमी प्रस्तावित (करोड़ में)	81,884	81,739	-0.18
5	यात्री प्रति किमी निष्पादित (करोड़ में)	57,046	56,604	-0.77
6	अधिभोगिता अनुपात	69.79	69.13	-0.95
7	कर्मचारी संख्या	7,40,021	7,56,309	2.20
8	स्टाफ/बस अनुपात	5.14	4.97	-3.31
9	कर्मचारी उत्पादकता (बस-किमी/स्टाफ/दिन)	59.33	61.41	3.51
10	वाहन उत्पादकता (बस-किमी/बस/दिन)	305.32	305	-0.10
ख.	वित्तीय निष्पादन			
1	कुल राजस्व (करोड़ रुपये में)	54,107.86	55,466.35	2.51
	जिसमें से कुल यातायात अर्जन	44,396.52	44,905.84	1.15
2	कुल लागत (करोड़ रुपये में)	65,913.32	69,679.69	5.71
	जिसमें से स्टाफ की लागत	29,287.83	31,082.07	6.13
3	निवल लाभ/हानि (-)रु (करोड़ रुपये में)	-11,805.45	-14,213.34	20.40

पिछले वर्ष के समायोजनों और कुछ राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संबंध में वर्तमान वर्ष की निवल हानि में ब्याज भुगतान वाले हिस्से के स्थगन के कारण कुल लागत में से कुल राजस्व को घटाने से प्राप्ता राशि, निवल हानि के बराबर नहीं है

स्रोत: विभिन्नव राज्य सड़क परिवहन उपक्रम

परिशिष्ट-17

सी एंड एजी लंबित के लंबित पैरा रिपोर्ट सं. 2016 के 15 के 2.1, 2.3, रिपोर्ट सं. 2017 के 9 के पैरा 12.1, 12.3, 12.4 एवं रिपोर्ट सं. 2018 के 11 का 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 एवं 11.8 की स्थिति

पैरा सं./ रिपोर्ट सं	पैरा का सार	मंत्रालय की अभ्युक्तियां
2.1	रियायतग्राही (पीआईयू, बेगुसराय) को अनुचित वित्तीय लाभ	सी एंड ए जी द्वारा मांगा गया और स्पष्टीकरण एनएचएआई में प्रक्रियाधीन है।
2.3	रियायतग्राही (पीआईयू, दरभंगा) को अनुचित लाभ	सी एंड ए जी द्वारा मांगा गया और स्पष्टीकरण एनएचएआई में प्रक्रियाधीन है।
12.1	रियायतग्राही को अनुचित लाभ के परिणामस्वारूप देयों का संचयन	सी एंड ए जी द्वारा मांगा गया और स्पष्टीकरण एनएचएआई में प्रक्रियाधीन है।
12.3	वित्तीय विश्लेषण में गलत राजस्व अनुमान	सी एंड ए जी द्वारा मांगा गया और स्पष्टीकरण एनएचएआई में प्रक्रियाधीन है।
12.4	एनएचएआई में टोल प्रचालन	सी एंड ए जी द्वारा मांगी गया और स्पष्टीकरण एनएचएआई में प्रक्रियाधीन है।
11.1	रियायतग्राही से क्षतियों और अनुरक्षण लागत की गैर वसूली	एनएचएआई से मांगी गयी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।
11.2	रियायतग्राही से क्षतियों की गैर वसूली	एनएचएआई से मांगी गयी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।
11.3	रियायतग्राही को अनुचित वित्तीय लाभ	एनएचएआई से मांगी गयी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।
11.4	रियायग्राही को बोनस का अधिक भुगतान	एनएचएआई से मांगी गयी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।
11.5	सड़क खंडों की डिलिंकिंग में विलंब के कारण टोल राजस्व पर ब्याज की हानि	एनएचएआई से मांगी गयी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।
11.6	रियायतग्राही से दावों की गैर वसूली	एनएचएआई से मांगी गयी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।
11.7	रियायतग्राही को अनुचित उपकार	एनएचएआई से मांगी गयी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है। .
11.8	टोल संगहण नहीं करने के कारण राजस्व की हानि	एनएचएआई से मांगी गयी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

Appendix-18

स्वच्छ. भारत मिशन के अंतर्गत गतिविधियों की वित्तीय और भौतिक प्रगति (दिनांक 31.1.2019 की स्थिति के अनुसार)

क) वित्तीय प्रगति :

क्र. सं.	कार्यक्रम / योजनाएं / गतिविधियां	आवंटन 2018-19 करोड़ रु. में	दिनांक 31.1.2019 की स्थिति के अनुसार व्यसय करोड़ रु. में	प्रतिशत उपयोग
1	एनएचएआई टोल प्लाजाओं पर शौचालय : एनएचएआई के टोल प्लाजाओं पर शौचालय इकाईयों (महिलाओं एवं पुरूषों) का निर्माण	92.04	68.40	74.32
2	बस स्थानकों पर कूड़ादान : एनएचएआई द्वारा एनएचएआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते में आने वाले बस स्थानकों पर कूडेदानों की स्थापना	0.15	0.14	93.33
3	जन जागरूकता : एनएचएआई द्वारा दीवारों /होर्डिगों /बैनरों पर चित्रों के प्रदर्शन के माध्याम से जन जागरूकता	0.75	0.27	36.00
4	पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड में शौचालय सुविधाएं : एनएचआईडीसीएल द्वारा 80 स्थानों पर शौचालयों का निर्माण (पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 40 नग और उत्तराखंड एवं जे एंड के में 40 नग)	9.996	0.26	3.75
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड में कूडादान लगाना : एनएचआईडीसीएल द्वारा 80 स्थानों पर कूड़ादान लगाए गए (पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 40 नग और उत्तराखंड एवं जे एंड के में 40 नग)	0.064	0.064	100
	कुल निधि आवंटन	100	69.14	69.14

ख) भौतिक प्रगति :

क्र. सं.	कार्यक्रम / योजनाएं / उपलब्धियां	वर्ष 2018-19 का लक्ष्य	दिनांक 31.01.2019 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां	% उपलब्धियां
1	एनएचएआई टोल प्लाउजाओं पर शौचालय निर्माण	पुरुष 811	609	75.09
		महिला 806	608	75.43
	कुल	1617	1217	75.26
2	एनएचएआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते में आने वाले बस स्थानकों पर कूडेदानों की स्थापना	2179	2144	98.39
3	जन जागरूकता : एनएचएआई द्वारा दीवारों /होर्डिगों /बैनरों चित्रों का प्रदर्शन	1255	1180	94.02
4	एनएचआईडीसीएल द्वारा पूर्वोत्तंर राज्योंर, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड में शौचालय सुविधाएं	पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 40 नग और उत्तराखंड एवं जे एंड के में 40 नग	2	2.50
5	एनएचआईडीसीएल द्वारा पूर्वोत्तंर क्षेत्रों, जम्मू एवं कश्मीर और उत्ततराखंड में कूड़ेदान लगाना	पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 40 नग और उत्तराखंड एवं जे एंड के में 40 नग	80	100

दिल्ली– सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की सहारनपुर में आधारशिला

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001